12.05 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

Secretary: Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha:

'In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am diretced to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 10th December, 1964, agreed without any amendment to the Slum Areas (Improvement and Clearance) Amendment Bill, 1964, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 3rd June, 1964.'

12.05½ hrs.

MOTION RE: TWELFTH REPORT OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES—*contd.*

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shrimati Chandrasekhar on the 11th December, 1964, namely:—

"That this House takes note of the Twelfth Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1962-63, laid on the Table of the House on the 24th November, 1964."

Out of 5 hours allotted, 55 minutes have been spent and 4 hours and 5 minutes remain.

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : समय बहुत कम है, इस को बढ़ा दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : चलने तो दीजिये देखा जायगा ।

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : शासन द्वारा यह जो रिपोर्ट पेश की गई है इसका मैं स्वागत करता हूं । इस सम्बन्ध में मैं अपने कुछ विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं ।

हमारे देश में जाति प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है । हरिजन, शैड्यूल्ड कास्ट तथा शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को शासन द्वारा जो मदद दी जाती है, जिस तरह से उनको ऊपर उठाने का प्रयत्न किया जाता है, वह त्रुटिपूर्ण है, उस में कमियां हैं । जिस प्रकार से यह मदद दी जाती है, उसका लाभ उन तक नहीं पहुंचता है । इस का एक प्रमख कारण यह है कि कुछ लोग उनके नाम पर, उनके ठेकेदार बन कर लाभ उठा लेते हैं और ये बचारे देखते के देखते रह जाते हैं । मैं शासन से प्रार्थना करता हूं कि वह देखे कि इन तक अच्छी तरह से और ठीक प्रकार से मदद पहुंचती है या नहीं पहुचती है । अगर नहीं पहुचती है तो पहुचाने का उसको प्रयत्न करना चाहिये ।

हमारे देश में औद्योगीकरण हो रहा है, उद्योग बहुत बढ़ रहे हैं । हम इस दिशा में बड़ी प्रगति कर रहे हैं । औद्योगिक क्षेत्रों में भी शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को ऊंचे पदों पर, अच्छी जगहों पर लगाने की कोशिश होनी चाहिये । इन को जो इनके अधिकार हैं, वे ठीक प्रकार से आज प्राप्त नहीं होते हैं । इन के लिए जो स्थान सुरक्षित किये जाते हैं, वे इनको मिलते नहीं हैं । नीचे के लोगों को आप ऊपर लाना चाहते हैं, ऊंचे स्थानों पर पहुंचाना चाहते हैं लेकिन जिस अनुपात में इन को उन स्थानों तक पहुंचाना चाहिये, उस संख्या में ये पहुंच नहीं पाते हैं या इन को पहुंचाने की कोशिश नहीं की जाती है । यहां तक कि सरकारी दफ्तरों तक में इन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, बड़ा अनुचित व्यवहार किया जाता है । वहां पर पक्षपात भी बहुत चलता है । यह बन्द होना चाहिये और छोटे लोगों को, शैडयल्ड कास्ट के लोगों को ऊंची जगहों पर पहुंचाने का दिल से प्रयत्न किया जाना चाहिये।

जो सरकारी पदाधिकारी होते हैं, उन की तरफ से इन लोगों की आलोचना हो जाती है, इन को वे अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। यह जो चीज़ है, इस का भी अन्त होना चाहिये। यह जो कमजोरी है, शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिये और इस को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये।

बहुत से स्थानों पर, बहुत से गांवों में, प्राय: सभी गांवों में आज भी छुआछूत विद्यमान है। आज भी वहां इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन के साथ ज्यादतियां की जाती हैं। चाहे दफ्तर हो या देहात उन को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। कुंए तक से इन को पानी भरने नहीं दिया जाता है। उन की दाढ़ी नाई बनाने से इन्कार करता है। उस को कहा जाता है कि अगर तुम इन की दाढ़ी बनाओगे तो तुम को बहिष्कृत कर दिया जाएगा, तुम को निकाल दिया जायेगा। इस तरह की जो धौंस दी जाती है, और इस तरह की जो बातें होती हैं, इन का भी अन्त होना चाहिए।

12.08 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

अब मैं आदिवासी क्षेत्रों के सम्बन्ध में कुछ विचार रखना चाहता हूं। आदिवासी लोग बिल्कुल निर्धन होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं, बहुत ही गरीब लोग होते हैं। उन की गरीबी का नाजायज़ फायदा, उन के बद्धिहीन होने का नाजायज़ फायदा आज ईसाई मिशनरीज़ उठाते हैं। इस का शासन द्वारा कोई विरोध नहीं किया जाता है इस आधार पर कि शासन किसी धर्म को प्रोत्साहन नहीं देता है। लेकिन जब हज़ारों लाखों की तादाद में इन की मजबूरी का लाभ उठा कर ईसाइयों ने इन को अपने धर्म में मिला लिया है, इन को ईसाई बना लिया है, तो क्या आज तक शासन सोया हुआ है, यह मेरी समझ में नहीं आया है। शासन को जागना चाहिये और यह जो धर्म-परिवर्तन हो रहा है, इस पर रोक लगानी चाहिये। इन को जबर्दस्ती ईसाई न बनाया जा सके, इस का उपाय करना चाहिये।

आदिवासी क्षत्रों के लोगों का जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, इस के सम्बन्ध में नियोगी कमेटी की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट को पुराने मध्य प्रदेश ने प्रकाशित भी किया था लेकिन आज तक शासन ने उस पर अमल नहीं किया है। उस पर अमल होना चाहिये और रिपोर्ट की तरफ आप का ध्यान जाना चाहिये। एक रेग कमेटी की रिपोर्ट भी जो पहले मध्य भारत था उस ने प्रकाशित की थी। उस पर भी अमल नहीं हुआ। इन दोनों रिपोर्टों पर अमल होना चाहिये। आज मध्य प्रदेश के अन्दर आदिवासियों की जो दशा है वह बहुत ही दयनीय है। उन के साथ कई प्रकार के अत्याचार किये जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अन्दर एक सकधर कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी जिस में कहा गया था कि 1962 के पहले जिन के कब्ज़े में ज़मीनें थीं उन को वापिस नहीं लिया जायगा, लेकिन 1962 के बाद जिन्हों ने कब्ज़ा किया है उन से उन ज़मीनों को छीन लिया जायेगा। इन आदिवासियों को किस प्रकार से मारा गया है और किस प्रकार से उन के झोंपड़े जलाये गये हैं, यह भी आप को देखना चाहिये। ये जो अत्याचार दिन रात उन पर होते हैं, इन का अन्त होना चाहिये। सारे देश में इन पर संकट की जो छाया छाई रहती है उस का अन्त होना चाहिये। एक ओर तो देश पर संकट है और दूसरी ओर इन्हीं आदिवासी लोगों के क्षेत्रों में एक करोड़ की सम्पत्ति, एक करोड़ का माल नष्ट कर दिया गया है, उन के झोंपड़े जला दिये गये, उन को मारा गया। आप देखें कि ये आदिवासी हैं कौन लोग ? ये वे लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, जिन्हों ने जंगलों को अपना

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

घर बनाया है, उन को आबाद किया है । ये वे लोग हैं जिन के बदनों पर कोई कपड़ा नहीं होता है और जो केवल मात्र लंगोटी ही लगाते हैं । ये वे लोग हैं जोकि पेड़ों के पत्ते और जानवरों को मार कर खाया करते हैं । इन की ओर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता है ? आप मेरे साथ चलें और मैं आप को उन क्षेत्रों में घुमाऊंगा और बताऊंगा कि उन पर क्या-क्या अत्याचार किये जा रहे हैं । उनके झोंपड़े जला दिये गये हैं । उन को डराया धमकाया गया है । पुलिस द्वारा, पुलिस इंस्पैक्टर द्वारा उन को यह कहा जाता है कि आप और जनसंघ को वोट दीजिये, और उस को जिताओ, इस में तो तुम्हारी इसी प्रकार की दशा होगी । इस तरह की बातें कह कर थानेदार द्वारा उन को पीटा जाता है । एक ओर तो आप कहते हैं कि हमारे यहां प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है और दूसरी तरफ़ आप इस प्रकार से डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं, तानाशाही चलाना चाहते हैं । कई क्षेत्रों में लोगों ने जनसंघ को वोट दिए इस लिए उन के कब्जे छुड़ाये जाते हैं, उन के टापर छुड़ाये जाते हैं । जहां उन के खेत होते हैं वहीं उन के टापर रहते हैं । आप को हर खेत में उन के टापर मिलेंगे । उन की कोई घनी बस्ती नहीं है, इकट्ठे आठ दस लोग नहीं रह सकते हैं । आज उन के टापरों को सताया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि उन को क्यों सताया जाता है, क्यों उन की दुर्दशा की जाती है । मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो सारी गड़बड़ियां चल रही हैं वह उन की ओर ध्यान दें । शासन की ओर से उन को जमीनें मिलनी चाहियें और ज्यादा से ज्यादा लोग धन्धों में लगें, उन को अच्छी अच्छी नौकरियां मिलें और अच्छी जगहों पर वे पहुंचें । हम लोग उन पर पैसे तो बहुत खर्च करते हैं लेकिन इस की ओर ध्यान नहीं देते कि उस पैसे का उपयोग कौन लोग करते हैं । हरिजनों के नाम पर, शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के नाम पर आज लोग उन के नेता बने हुए हैं । मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि कुछ कांग्रेसी लोगों ने, जो अपने आप को उनके लीडर कहते हैं, अपने घर भरे हैं और अपने मकान जायदादें बनाई हैं ।

श्री उइके (मंडला) : उन के नाम बतलाइये ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : नाम भी बतला सकता हूं ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : आप ने भी बनाये होंगे, आप अलग थोड़े ही हैं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : आप आ कर देख लें । मैं धर्म शाला में रहता हूं ।

इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि शासन को विशेष ध्यान देना चाहिये । दलगत नीति को छोड़ कर सभी हरिजनों को और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को, सहायता मिलनी चाहिये । आज हम देखते हैं कि उन को इस तरह की सहायता नहीं मिलती है बल्कि उन के रास्ते में और रोड़े अटकाये जाते हैं । उन के अन्दर जो कमियां हैं उन को दूर कर के उन को ज्यादा से ज्यादा सहायता देनी चाहिये ।

आदिवासियों की बड़ी दिलेर जाति है, लेकिन उन को सताया जाता है । वे केवल लंगोटी लगाते हैं और तीर कमान ले कर चलते हैं लेकिन उन को भी सताया जाता है । उन को दबा कर रक्खा जाता है और हर तरह से परेशान किया जाता है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह जो अनुसूचित जातियों की रिपोर्ट है उस का गृह मंत्रालय से सम्बन्ध है लेकिन इस मंत्रालय का कोई भी प्रतिनिधि इस समय हाउस में नहीं है। जब इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है तब इस मंत्रालय के किसी प्रतिनिधि को यहां अवश्य रहना चाहिये।

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : अब विभाग बदल गया है। विभाग बदलने के बाद उन का यहां रहना जरूरी नहीं है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अनुसूचित जातियों की जिम्मेदारी आज गृह मंत्रालय पर नहीं है लेकिन फिर भी उन को इस ओर ध्यान देना चाहिये। जो लोग उन से संबंधित पैसे का दुरुपयोग करते हैं उन से शासन को पूछना चाहिये और इन जातियों की शक्ति का उपयोग शासन को ठीक ढंग से करना चाहिये। उन लोगों को जमीन देनी चाहिये, पैसा देना चाहिये। साथ ही जो हजारों मीलों से आ कर उन का धर्म परिवर्तन करते हैं उस से भी उन को बचना चाहिए।

मैं समझता हूं कि मेरे दल में और बाकी दलों में इस बारे में कोई मतभेद नहीं है। इसलिये सभी दलों को इन लोगों के उत्थान के लिये कार्य करना चाहिये। उन की मदद न केवल सरकारी ढंग से होनी चाहिये बल्कि गैर-सरकारी ढंग से भी होनी चाहिये। सभी दलों को तत्व की बात को देखना चाहिये और उन की दशा को सुधारने के लिये कोशिश करनी चाहिये क्योंकि सरकार सभी समस्याओं का हल नहीं कर सकती। कुछ दिन पहले इन सब बातों के लिये कांग्रेस की ओर से काम किया जाता था लेकिन अब वह बात समाप्त हो गई है मैं प्रार्थना करूंगा कि वे उन लोगों का मार्गदर्शन करें और उन लोगों में जा कर काम करें। इस मामले में उन के साथ हमारा दल भी शामिल है।

Shri Basumatari (Goalpara): Mr. Deputy-Speaker, Sir, we have been discussing the report submitted by the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes every year and almost every year the report reveals the same thing. Also, we do not see any result coming out of such discussion even if we use harsh words. Of course, compared to those earlier reports, I should say that the present report is a little better and it is showing an improving trend. For the last so many years we have been requesting the Government of India to transfer this subject of development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes from the Ministry of Home Affairs, as that Ministry is engaged in other important work like maintenance of law and order, now sadachar and the removal of national corruption.

Therefore we wanted that this Department should be entrusted to another Ministry or made a separate Ministry. I welcome Shri Sen who has been put in charge of this Department. I know him. He is a man of vision and judicial outlook. He is also a young and promising man. When a man like him takes the trouble of taking over this Department, we hope that it will do better work than it has done before.

When I saw in the papers that this Department was going to be entrusted to Dr. Ram Subhag Singh, I thought that it would be better. I know him also personally; he is a sincere man. But he refused and when he refused, I thought that there is nobody who will come forward to take over this work. So, when Shri Sen took the trouble of taking over this Department, I felt rather very grateful to him and we hope that he will do his best.

[Shri Basumatari]

Coming to the Report, this Report itself reveals how we have denied justice, in the services and everywhere. If you go through the Report very carefully, you will see that there is nothing where the Government or the country has helped to develop this community. After ten years another period of ten years has been granted for the special provision to the effect that they will do their best for developing these people. During the last ten years it was noticed that nothing had been done either in the matter of education or in the matter of appointment to services or in the field of development. When it was found that nothing was done, the Government of India was compelled because of their own action to extend the time by another ten years.

Now it is time when they should come forward and say whether they want to extend the period by another ten or twenty years or whether they want to develop these people within the specified time of ten years which has been granted once more.

I understand that in the Ministry of Home Affairs they have constituted one cell and they have appointed a number of officers. But if you look to the work done by these officers, you will be surprised to find that some of them not to speak of doing something for the people but they are against the constitutional provision. To substantiate what I say here is a newspaper report which I will not read out. On the 1st of this month one Director of Anthropological Research Institute, Government of India, had been to Gauhati where he publicly criticized the Government for the special provision regarding the Tribals and the Scheduled Castes. When it was brought to my notice by a batch of students, I had to contradict it. I submit to the Minister both my contradiction and the statement made by Mr. Bose, the Director of Anthropological Research Institute. I hope, strong action might be taken against this officer who is holding a responsible position for the development of these Tribals and the Sceduled Castes. He has been holding a lucrative post with a lucrative salary and he criticized the Government for this special provision in the Constitution. How dare he do so? Even the Ministers do not dare to criticize the Government's policy; even the Secretaries do not dare to criticize the Government's policy unless it is amended, but officers like him who are entrusted with the development of the Tribals and the Scheduled Castes have dared to criticize it. I wonder how they courage to do so. Can a small officer like him criticize the Government? Is it a Government? How can we expect then that these Tribals will be developed?

The Tribals are not only denied justice in the matter of appointments and in the matter of education but they are denied even here, in this House. This is because leaders themselves are influenced by the prejudice that the Tribals cannot come up, to the mark to shoulder the responsibility of the country. When the leaders, themselves are influenced by this prejudice—how can you expect the officers to work without being influenced by any of these things?

Now, coming to the details, if you go through the Report you will find how many persons belonging to scheduled castes and scheduled tribes have been employed in the services. Let us take Class I Officers. The total number of posts is, 8394 as against which the number of persons belonging to scheduled castes is 91 and that of scheduled tribes is only 16. The percentage in the case of scheduled castes is 1·08 per cent and the percentage in the case of scheduled tribes is 0·18 per cent. In the case of Class II, the total figure is 14,411. In the case of scheduled castes it is only 352 and in the case of scheduled tribes it is 41 only. Similarly, in the case of Class III, you will find the total figure

is so meagre in the case of scheduled castes and scheduled tribes. As against a total figure of 6,27,480, in the case of scheduled castes it is 44,747 and for scheduled tribes is 5,052 only. These are very meagre figures. This position obtains in the case of permanent posts. If you go into the figures of temporary posts, you will find the same type of figures. As I have not got much time at my disposal, I do not want to go into more details.

Now, I want to read out the remark made by the Commissioner. I must say he made that remark courageously. I refer to p. 130 of the Report of 1961-62 Part I:

> "While there is no reason to dispute the considered opinion expressed by the Union Public Service Commission, this argument advanced by other appointing authorities, does not always hold good. Instances have come to notice which show that while the scheduled caste and scheduled tribe candidates with prescribed qualifications are available and even succeed in written tests prescribed for judging their suitability, they are rejected on the basis of marks secured by them in oral interviews."

That means to say, they even succeed in written test but they are rejected in oral test. Just to avoid appointing them, they take an oral test and they are rejected by them. This is the fate of the scheduled caste and scheduled tribe candidates. This is what even the Commissioner has remarked here. He has pointed out another thing also. It is stated:

> "It is common knowledge that results of the personality tests or oral interviews are not always dependable."

He knows it; they also know it. I do not like to read out the whole thing. I would request the Hon. Minister to go through it and see whether he can do something in this direction so that we may not request the Government again for another extension of 10 years for their poor performance.

There is the constitutional guarantee for tribals. The father of the Nation, Mahatma Gandhi, wanted that there should be some provision in the Constitution which is to bring them up to the same level with other communities in India. The provision was made in the Constitution but at the very beginning the justice was not done to the tribals in regard to their population. In the whole of the world, in regard to their population, India is having the largest concentration of tribals except Africa comprising more than 50 millions but on the political reasons their population had been reduced to half only. In some States the scheduled tribes are excluded on the ground that the areas have been declared as scheduled, for instance in Assam, more than 12 lakhs in the tea garden are taken as non-scheduled tribes although they are of the same community on the ground that they are of floating population and again a lakh in hill tribes residing in the plains and the plains tribes residing in the hills. They are declared as non-scheduled tribes. The same thing has been done in other States also. You will be surprised to know that about 12½ lakh tribals have been left out on the ground that some of the areas declared scheduled in Madhya Pradesh. Similarly more than 6 lakhs left out in Orissa and about 22,07,000 such people in U.P. These tribes in U.P. are known as criminal tribes. I do not know why they should still be called as criminal tribes.

Shri K. C. Pant (Naini Tal): Not all of them are.

Shri Basumatari: Yes, they used to be called criminal tribes in the British days, but they continued to be treated as such in free India.

These people are neither accepted as Scheduled Castes nor as Scheduled

[Shri Basumatari]

Tribes. But their backwardness is such that Government have had to appoint a committee called the Nomadic Tribal Enquiry Committee in which I happened to be a member of that committee. I found that there were a large number of such tribes, homeless and hearthless, almost half-naked and so on. But when we brought this to the notice of Government, they found out several reasons why they should not be included among the Scheduled Tribes, and they said that only some benefits in regard to developmental activities, education and other things should be extended to them. After all, what can these benefits do? Unless they are given some scholarships, and unless they are given some reservation in the services, and unless they are given the same status as the other tribes they should not be excluded from the category of Scheduled Tribes. And do you know why these facilities are not being given to them? The reason is obviously political grounds for not giving them these benefits, because the authorities do not want that the tribals should comprise large population, otherwise they might occupy more seats in the Parliament and in the State Assembly, which they are afraid of. On these political grounds, they have been denied of justice, so I said, denial of justice not only outside on political grounds but even in the House here too.

श्रीमती मिनोमाता (बालोदा बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, आप ने मुझे जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की बारहवीं रिपोर्ट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है उस के लिये आप धन्यवाद के पात्र हैं ।

मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि पिछले वर्षों में अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक हालत में बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है । छुआछूत नगरों में चाहे थोड़ी बहुत खत्म हो रही हो परन्तु गांवों में हालत बहुत कुछ पहले जैसी ही है ।

जैसाकि आयुक्त की रिपोर्ट में बताया गया है मध्यप्रदेश के सात जिलों में छुआछूत बहुत बड़े पैमाने पर जारी है और हरिजन अभी भी नारकीय जीवन जी रहे हैं । अगर हालत छुआछूत तक ही सीमित रहती तब भी कोई बात न थी लेकिन अस्पृश्यता के कारण होने वाले उत्पात और अपराध भी कम नहीं हैं । उदाहरण के लिये मैं बतलाऊं कि मेरे पास इतनी दरख्वास्तें अभी हाउस में आने के बाद मिली हैं । इन सब हरिजनों को गांवों से निकाल दिया गया है । वे पुलिस के अत्याचार से पीड़ित हैं । उन की यह अर्जियां हैं । यदि मैं उन को सम्बन्धित अफसरों को भेजती हूं तो बहुत कम पर इन में से जांच वगैरह होती है ।

जब हमारे हरिजनों के साथ अभी भी इस तरीके से छुआछूत बरती जा रही है हम कैसे कह सकते हैं कि यह 17 वर्षों की आजादी में भी हम अपने पूरे अधिकार प्राप्त कर सके हैं ? ये अपराध मुख्य रूप से होटलों, मन्दिरों, कुओं, तालाबों, धर्मकार्य तथा नाई धोबी को ले कर होते हैं । आयुक्त की रिपोर्ट में बताया गया है कि 1962 में मध्य प्रदेश के 14 जिलों में इस प्रकार के 24 मामले हुए । ये वे मामले थे जिन की सूचना मिली जबकि सैकड़ों ऐसे मामले होते हैं जिन की कोई सूचना नहीं मिलती । कई क्षेत्रों में स्वयं पुलिस और सरकारी अधिकारी जातीयता बरतते हैं और इस प्रकार के मामले दर्ज नहीं हो पाते ।

मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि जातीयता और अस्पृश्यता का सब से उग्र रूप पुलिस में दिखाई पड़ता है । छोटे शहरों में आपस में जितना भेदभाव पुलिस कान्सटेबिल बरतते हैं उतना दूसरा कोई नहीं ।

यह जरूरी हो गया है कि सब से पहले अस्पृश्यता सरकारी कर्मचारियों के बीच से ख़त्म की जाये क्योंकि जब तक वे भेदभाव बरतते रहेंगे तब तक जनता से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह भेदभाव नहीं बरतेगी ।

अभी मध्य प्रदेश में पंचायतों का निर्माण होने जा रहा है । मिनिस्ट्री आफ़ कम्यूनिटी डेवलपमेंट की 1960-61 की रिपोर्ट में कहा गया है कि पंचायतों में शिड्यूल्ड कास्ट्स तथा शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को न्याय मिलना चाहिये । किन्तु हम कैसे इस बात की आशा कर सकते हैं, क्योंकि मैं ने स्वयं देखा है कि पंचायतों के जो चुनाव होने जा रहे हैं, उन में कई हरिजनों तथा आदिवासियों के पेपर्ज़ अकारण रिजेक्ट कर दिए गए मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि केन्द्रीय सरकार की ओर से मध्य प्रदेश सरकार और ग्राम पंचायतों को यह आदेश दिया जाना चाहिए कि वे अपने क्षेत्रों में छुआछात की भावना को दूर करने के लिए अविलम्ब कदम उठायें ।

मध्य प्रदेश सरकार ने अभी यह निश्चित किया है कि जो आफ़िसर छुआछूत को दूर करने के लिये विशेष दिलचस्पी लेंगे, उन को विशेष तरक्की दी जायेगी । यदि यह बात सत्य है, तो मैं मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं । यह एक आदर्श निर्णय है, जिस का अन्य राज्य सरकारों को अनुकरण करना चाहिये ।

शिक्षा के क्षेत्र में हरिजन अभी भी बहुत प्रगति नहीं कर पाये हैं । इस का मुख्य कारण है गरीबी । इस कारण महा-कौशल में हजारों बच्चे हाई स्कूलों और कालेजों के अभाव में केवल मिडल पास कर के रुक जाते हैं । उन के लिए प्रदेश में यह प्राथमिकता दी गई थी कि मिडल पास कर के उन को नार्मल ट्रेनिंग दी जाये और टीचर का कार्य दे दिया जाये । लेकिन आफ़िसरों की ख़राब भावना के कारण हजारों मिडल पास लड़के नार्मल ट्रेनिंग में नहीं जा सके ।

मेरी अपनी राय यह है कि जब तक अनुसूचित जातियों के बच्चों को शिक्षा के लिए हर प्रकार की सुविधा और रियायत नहीं दी जाती, तब तक वे शिक्षा के सम्बन्ध में पिछड़े हुए रहेंगे । मैं ने रिपोर्ट में देखा है कि अलग अलग प्रदेशों में हरिजनों को शिक्षा के विषय में अलग अलग किस्म की रियायतें दी जाती हैं । किसी प्रदेश में फ़ीस माफ़ है, तो किसी प्रदेश में किताबें दी जाती हैं, कहीं पढ़ने की किताब नहीं दी जाती हैं और कहीं फ़ीस भी ली जाती है । मैं सरकार से आग्रह पूर्वक कहना चाहती हूं कि हरिजन बच्चों को शिक्षा के सम्बन्ध में हर किस्म की सुविधा दी जाये। उन को पाठ्यपुस्तकें, रहने के लिए छात्रावास, स्कालरशिप और फ़ीस की माफ़ी आदि सब प्रकार की सुविधायें उपलब्ध की जायें । ये सुविधायें देते समय उन बच्चों की योग्यता या अयोग्यता को न देखा जाये, क्योंकि ये जाति सैकड़ों बरसों से पशुता का और नारकीय जीवन व्यतीत करते रहे हैं । इस लिए वे दो चार बरस में योग्य नहीं बन सकते हैं । अगर उन को लम्बे समय तक हर प्रकार की सुविधायें प्रदान की जायेंगी, तो वे भी योग्य बन सकेंगे ।

इस रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि अगर प्रदेश सरकारें पचास प्रतिशत भाग दें, तो केन्द्रीय सरकार हरिजनों के लिए अनुदान देगी, अन्यथा नहीं । केन्द्रीय सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश के लिए 83,64,000 रुपये की रकम निर्धारित की थी, किन्तु मध्य प्रदेश सरकार आज तक सिर्फ़ 29,63,000 रुपये ही खर्च कर पाई है । तीसरी पंचवर्षीय योजना शेष होने वाली है । इस अवस्था में हरिजनों को सुविधायें देने के लिए बाकी रुपया खर्च नहीं किया जा सकेगा । मैं निवेदन

[श्रीमती मिनीमाता]

करना चाहता हूं कि अगर हरिजनों को आगे बढ़ाना है, तो यह आवश्यक है कि उन के लिए जो रकम निर्धारित की जाये, उस को पूर्णतया खर्च किया जाये ।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसन्ख्या 1951 में 39,12,205 थी और 1961 में यह जनसंख्या बढ़ कर 42,53,024 हो गई । इस प्रकार इन दस वर्षों में उन की जनसंख्या में 3,40,819 की वृद्धि हुई है । इसलिए यह आवश्यक था कि अगले चुनाव के लिए अनुसूचित जातियों की सीटों में विधान सभा के लिए चार और संसद् के लिए एक की वृद्धि की जाती । इस के विपरीत चुनाव आयोग ने विधान सभा की चार सीटें और संस्द् की एक सीट कम कर दी है । मुझे आशा है कि इस बारे में शासन की ओर से फ़ौरन कदम उठाया जायेगा ।

हम ने होम मिनिस्ट्री को लिखा है कि जिस गांव की जनसंख्या वास्तव में तीन सौ है, सैन्सस में उस की संख्या 105, 110 या 185 ही लिखी गई है । हम ने इस संबंध में कई गांवों के उदाहरण दिये थे, लेकिन अभी भी इस ग़लती का निराकरण करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

नौकरियों के मामले में भी अनुसूचित जातियों के साथ विषमता बरती जाती है । केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सेवाओं में सुरक्षित जगहों में उन को नहीं लिया जाता है ।

जहां तक एनक्रोचमेंट का सम्बन्ध है, गांवों में हरिजन और आदिवासी बुरी तरह फंसे हुए हैं । पटवारी, तहसीलदार और दूसरे छोटे आफ़िसर हमेशा उन को तंग करते रहते हैं । साल दो साल होने पर उन पर केस चलता है और उन पर सौ से ले कर पांच सौ पये तक जुर्माना होता है । फिर भी वह जगह उन को नहीं मिलती है । अगर वे छोटीमोटी झोंपड़ी बना लेते हैं, तो उस को भी तोड़ना पड़ता है । इस तरह से हरिजन और आदिवासी एनक्रोचमेंट में बहुत ही उलझे हुए हैं ।

यदि वे एन्क्रोचमेंट कर लेते हैं, तब तो उन पर केस चलता है । यदि वे आबादी के लिए मांग करते हैं, तो दस बार अपनी रोज़ी, मज़दूरी को छोड़ कर, अपने बाल बच्चों को भुखा मार कर कचहरी जाने के बाद भी उन को आबादी में जगह नहीं मिलती है । अगर वे ज़बर्दस्ती घर बना लेते हैं, तो उन पर केस चलता है । इस तरह हरिजनों और आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है ।

जहां तक स्कालरशिप्स का सम्बन्ध है, मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि स्कालरशिप या तो बच्चों के मां बाप तथा गार्डियन के हाथ में दिया जाये या बच्चों के हाथ में दिया जाये । पिछले बरस मैं ने कई बच्चों के स्कालरशिप निकलवाए थे । इस बरस बच्चे स्कालरशिप न मिलने की वजह से हड़ताल कर रहे हैं । चालीस बच्चों के एक स्कूल में स्कालरशिप रुके हुए हैं । अध्यापकों को स्कालरशिप देने का परिणाम यह होता है कि कई बार वे हस्ताक्षर करवा कर स्कालरशिप निकलवा लेते हैं, लेकिन बच्चों को फिर भी नहीं मिलता है और वे फ़ीस के लिए भटकते रहते हैं ।

शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट में बहुत सी सुविधाओं का ज़िक्र किया गया है, लेकिन वे सब सुविधायें केवल इस पुस्तक तक ही रह जाती हैं । मैं आशा करती हूं कि ये सुविधायें देने के लिए आफ़िसरों को लिखित रूप में आदेश दिये जायेंगे । एसा न हो कि ये सुविधायें उपलब्ध करने के लिए कोई कार्यवाही न की जाये और फिर दो चार साल के बाद हम को इस प्रकार की रिपोर्ट देखने को मिले ।

इस तरह से हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है इस को हम कितने दिनों तक बरदाश्त करते रहेंगे । आप को शायद यह अनुभव नहीं होता होगा कि हम भी सवर्णों का एक अंग हैं और हम भी हिन्दुस्तान के नागरिक हैं । हमें हर प्रकार की सुविधा से वंचित किया जा रहा है । यह घोर अन्याय है जो हमारे साथ बरता जा रहा है । सरकार हमारी सुविधाओं-असुविधाओं की ओर देखे, हमारे पिछड़ेपन की ओर देखे और हमारे साथ न्याय करे । अफसर जो हैं उन को आदेश जाने चाहियें कि वे हमारे साथ अन्याय न करें । मैंने कई कलैक्टरों, कई तहसीलदारों के साथ बात की है और मैंने देखा है कि इन में से कोई भी हरिजनों, आदिवासियों के मामले में कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं और न ही उन की असुविधाओं को अनुभव करते हैं और न ही उन के बारे में कोई अनुभव रखते हैं । जब कभी उन से हम पूछने जाते हैं कि फलां काम हुआ है या नहीं हुआ है तो कह देते हैं कि फाइल को देखने पर पता चलेगा । यह तो उन के अनुभव की बात है । हम भी तो देश के नागरिक हैं, हिन्दुस्तान से अलग अंग तो हम नहीं हैं, हम भी देश का एक अंग हैं और हमारे साथ भी तो न्याय होना चाहिये । मैं आशा करती हूं कि इस ओर ध्यान दिया जायगा और हमारे साथ आगे से न्याय होगा ।

श्री शिव मूर्ति स्वामी (कोप्पल) : उपाध्यक्ष महोदय, शेड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिश्नर की रिपोर्ट जोकि 1962-63 की है, उस पर नजर डालने से साफ़ जाहिर हो जाता है, साफ साबित हो जाता है कि पिछड़े वर्गों को उठाने में सरकार को बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली है, सरकार बिल्कुल ना-कामयाब रही है । जो थोड़ी बहुत इन की दशा सुधारने की कोशिश की गई है, वह बिल्कुल नाकाफी थी, ऊंट के बराबर थी ।

भारतवर्ष में हरिजन भाइयों और आदिवासी भाइयों की कुल तादाद 18 से ले कर 20 प्रतिशत है । कुछ स्टेट्स में इन की आबादी बहुत ज्यादा है और कुछ में कम है । इस प्रस्ताव पर जो मैंने एमेंडमेंट पेश किया है, और कहा है कि सरकार इन इन कामों में असफल रही है, उस को मैं अपने शब्दों में न कह कर इस रिपोर्ट के शब्दों में ही, इस रिपोर्ट में जो कुछ लिखा हुआ है, उस के आधार पर ही साबित करना चाहता हूं । कमेंट्स आन गवर्नर्ज रिपोर्ट आन दी शैड्यूल्ड एरियाज में जो लिखा हुआ है, उस को पढ़ कर मैं आप को सुनाता हूं । बिहार जिस में 1 करोड़ 10 लाख के करीब इन की आबादी है, उस के बारे में लिखा हुआ है :—

"It is reported that a scheme for allotment of forest coupes to Scheduled Tribes, on co-operative basis, on the lines of Bombay scheme, has also been embarked upon; but...."

अब जो "बट" आयेगा उस में तमाम रहस्य छिपा हुआ है, उस से तमाम फैल्योर साबित होती है ।

"but it is found that no such society was organised during the year 1959-60."

एक और बात भी बिहार के बारे में यह लिखी हुई है :

"It was a general complaint that the stipends were paid very late, with the result that the purpose for which they were granted was not properly fulfilled."

रेजीडेंशल स्कूल्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, ग्रेन गोलाज में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है ।

आगे चल कर लिखा हुआ है :

"For development of cottage industries training-cum-production

[श्री शिव मूर्ति स्वामी]

centres were started under the backward classes sector. The report however does not indicate the number of scheduled tribe trainees who were able to settle in the industries and earn their livelihood therefrom. Tribal students were also afforded opportunities for developing their technical skills. Some of them were trained at the industrial training institute at Chaibassa, and the technical training school at Dumka in a number of trades. This technical training did not, however, help the tribal candidates in securing even semi-skilled jobs in industrial concerns, because their training was not considered complete for want of inplant or apprenticeship training for which no provision was made in the scheme".

इस स्कीम के अन्तर्गत कहा गया है :

"Under the same scheme, 23 houses for landless scheduled tribe families in the district of Palamau were nearing completion".

क्या यह शर्म की बात नहीं है कि 23 खानदानों को जहां पर एक करोड़ से ज्यादा लोग बसते हैं मकान बना कर बसाने की बात सोची गई है और ये 23 घर भी पूरे नहीं हो सके हैं ? इस तरह से अगर प्रगति चलती रही तो किस तरह से इन का उद्धार हो सकता है, किस तरह से इनका भला हो सकती है, यह आप सोचें ।

जहां तक फिजिकल टारगेट्स का संबंध है, पूरा पढ़ कर सुनाने अगर मैं लगूं तो सारा वक्त ही मेरा उस में चला जायगा । इस वास्ते उस में मैं जाना नहीं चाहता हूं । मैं कोआपरेटिव सोसाइटीज के बारे में थोड़ा सा आप को पढ़ कर सुना देना चाहता हूं । इस में कहा गया है :

"During 1959-60 three co-operative farming societies were registered, thus bringing the total number of societies to 16. These societies in all brought under cultivation an area measuring 2575 acres and 11 gunthas. Five societies incurred a loss of Rs. 17,000 while six societies made a profit of Rs. 6,766. The loss of Rs. 17,000 may be looked into".

इसी तरह से जहां तक रिहैबिलिटेशन का सम्बन्ध है, उस में आप नाकामयाब रहे हैं । हाउसिंग स्कीम के बारे में गवर्नमेंट कमेंट जो हैं और कमिशनर साहब की तरफ से जो रिपोर्ट है, उन दोनों से साफ पता चलता है कि शासन बिल्कुल इस स्कीम को लागू करने में, इस को कार्यान्वित करने में असफल रहा है । जहां तक फिजिकल टारगेट्स का सम्बन्ध है, जहां तक अचीवमेंट्स का ताल्लुक है उस को अगर देखा जाय तो हर हरिजन भाई, हर आदिवासी भाई तथा उनका सेवक दुखी होगा । हर किसी का उस को देख कर दिमाग जलने लगता है, खून खौलने लगता है । बिहार में 1 करोड़ 10 लाख के करीब जिन लोगों की आबादी है वहां पर फिजिकल टारगेट्स से लाभ हुआ है 200 फैमिलीज को, जिस का मतलब यह है 1025 परसंज इस से बैनिफिट हुए हैं । इसी तरह से गुजरात को आप देखें । वहां पर 140 फैमिलीज ही बैनिफिटिड हुई हैं । जहां तक हमारी मैसूर स्टेट का सम्बन्ध है, उस के बारे में "नाट अवेलेबल" शब्द लिखे हुए हैं । दूसरी कुछ स्टेट्स के बारे में भी यही लिखा हुआ है । कमिश्नर साहब को मालूमात हासिल नहीं हुई हैं ।

अब आप एम्प्लायमेंट फिगर्ज को देखें इस के सम्बन्ध में शासन कितना अलक्ष्य रहा है, यह भी इस से सिद्ध हो जायगा । शासन ने बड़ी ही लापरवाही इस बारे में भी दिखाई है । इन की आबादी भारतवर्ष में जैसा मैंने कहा है, पांचवां हिस्सा है ।

इन को हम ऊपर उठाना चाहते हैं, इस में कोई शक नहीं है । इन के लिये हम ने कई कानन भी पास किये है यह भी सही है । हम चाहते भी हैं कि ये ऊपर उठें । लेकिन मशीनरी में कहीं पर जंग लगा हुआ है, जिस के कारण ये ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं और उस जंग को साफ करने में मंत्रीगण तथा दूसरे सरकारी अफसर लगातार नाकामयाब साबित हो रहे हैं ।

आप देखें कि कामर्स एंड इंडस्ट्री में क्लास 1 पोस्ट्स की कुल स्ट्रेंग्थ 188 है और शैड्यूल्ड कास्ट के लोग केवल चार हैं । कामर्स एंड इंडस्ट्री के कम्पनी ला एडमिनिस्ट्रेशन में क्लास 1 की कुल स्ट्रेंग्थ 43 है और शैड्यूल्ड कास्ट का एक भी आदमी नहीं है । कम्युनिटी डिवेलेपमेंट एंड कोऔपरेशन जिस का निर्माण ही बैकवर्ड एरियाज और बैकवर्ड पापुलेशन को ऊंचा उठाने के लिए किया गया है, वहां भी एक भी क्लास 1 का अफसर शैड्यूल्ड कास्ट का नहीं है, एक भी क्लास 2 का नहीं है । अलबत्ता स्वीपर्ज वहां पर 50 फीसदी, 80 फीसदी और 90 फीसदी हैं । स्वीपर्ज की जगहों के लिए तो इन को बिल्कुल फिट समझ लिया जाता है लेकिन दूसरी किसी जगह के लिए फिट नहीं समझा जाता है, यह इस से साफ जाहिर हो जाता है । आंकड़े जो दिये गये हैं अगर ये सही है तो साफ इन से गवर्नमेंट की असफलता साबित होती है । इस के बाद डिफेन्स की बात को छोड़ता हूं क्योंकि वहां पर नाट अवेलेबल लिखा हुआ है । आखीर में मैं आप को टोटल बतलाना चाहता हूं । जहां पर 18 से 20 परसेन्ट तक उन लोगों की आबादी है वहां फर्स्ट क्लास आफिसर्स 1.20 परसेन्ट हैं, सेकेन्ड क्लास .15 परसेन्ट हैं, थर्ड क्लास 2.30 परसेन्ट हैं । इसी प्रकार से 7.47, .85, 16.36 आदि के प्रतिशत हैं । हां फोर्थ क्लास के लोग जोकि स्वीपर्स नहीं हैं वह जरूर 91.11 परसेन्ट हैं । इस तरह से आप देखेंगे कि अभी तक जो दौर चल रहा था उस को आज भी जारी रक्खा जा रहा है । अगर आज आप एम्प्लायमेंट एक्स्चेन्ज के फिगर्स को देखिये तो आप को पता चलेगा कि हजारों ग्रैजुएट्स वेटिंग लिस्ट में हैं । यह नहीं है कि उन लोगों में ग्रैजुएट्स नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं । अगर पढ़े लिखे लोग न होते तब तो बात अलग थी लेकिन पढ़े लिखे होते हुए भी वे लोग नौकरियों में नहीं लिये गये हैं । मैं आप को बतलाऊं कि मैट्रिकुलेट्स और ग्रैजुएट्स सब मिला कर तकरीबन 40 हजार लोग लाइव रजिस्टर पर हैं जोकि अभी तक अनएम्प्लायड हैं । अगर एम्प्लायमेंट के लिये नाम होने पर भी लोग भर्ती न हो सकें तो मैं यही कह सकता हूं कि :

Both the Central Government and the State Governments have utterly failed to make improvement in this.

इस के बाद ढेबर भाई की रिपोर्ट है । सरकार को और कोई कमेटियां बनाने की जरूरत नहीं है । सरकार के हाथ में जितनी रिपोर्ट्स हैं अगर उन पर ही अमल करने की कोशिश की जाये तो काफी होगा । यह नहीं होना चाहिये कि यहां तो सरकार कह दे कि हम ने रिकमेन्डशन मान लिया लेकिन कुछ हो नहीं । आज हम को यह नहीं देखना है कि सरकार रिकमेन्डेशन मानती है या नहीं बल्कि हम को देखना यह है कि फिजिकल अचीवमेंट क्या होता है । जो कुछ हासिल किया जाता है उस को हाउस को बतलाना जरूरी था । लेकिन पिछले सत्तरह सालों में सरकार यह कभी नहीं बतला सकी । मुझे अफसोस है कि इस बारे में इन लोगों की कोई मदद नहीं की गई । हम यह नहीं सुनना चाहते हैं कि रिजर्वेशन खत्म कर दिया जायेगा और उन को सब के बराबर लाया जायेगा । हम तो यह जानना चाहते हैं कि उन की मसावी हालत वाकई में कहां तक ठीक हुई है । मैं कहना चाहता हूं कि यह बात जरूर है कि इन लोगों पर पैसा खर्च किया गया है, लेकिन उस से फिजिकल अचीवमेंट कुछ नहीं हुआ ।

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

अब मैं इस सिलसिले में कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं । पहला तो यह है कि जो हरिजन भाई या ट्राइबल कम्यूनिटीज के भाई पार्लियामेंट के सदस्य हैं या शासन सत्ता के सदस्य हैं, उन को इस सम्बन्ध में खास दिलचस्पी लेनी चाहिये । यह नहीं होना चाहिये कि यहां पर सब तरह की बात आप कहते हैं मगर खुद अपने भाइयों को आप भूल जाते हैं । यह बड़ी गलत बात है । आप लोगों के पार्लियामेंट के मेम्बर होते हुए या सरकार में रहते हुए उन लोगों का लिहाज नहीं किया जाता और आप के सुझावों पर अमल नहीं किया जाता । अपने क्षेत्रों में फिरने के बाद मुझे पता नहीं है कि आप लोग सरकार के सामने कोई सुझाव रखते हैं या नहीं या अगर रखते हैं तो उन पर अमल कहां तक किया जाता है । आप उन को विद्या देने और मदर्से खोलने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन जब तक आप उन की मसावी हालत और एक्तसादी हालत नहीं सुधारेंगे तब तक उन की समस्या हल नहीं हो सकती । आज भी इस मुल्क में बहुत सीफैलो लैंड है, अनकल्टिवेबल लैंड है, फारेस्ट लैंड है, वेस्ट लैंड है । आज उस का बटवारा उन लोगों के लिये करना चाहिये ।

हमारे प्लानिंग कमिशन का मकसद है कि इस मुल्क में कोआपरेशन बढ़े । अभी ही कहीं पर, शायद पटना में, हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि किसानों को काम करना चाहिये और मिल कर अन्न की समस्या को हल करना चाहिये । लेकिन आज इन हरिजनों और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज से ज्यादा मिल कर काम करने वाले और कहां मिल सकते हैं । अन्न की समस्या हल करने के लिए हम को मिल कर काम करने वालों की जरूरत है लेकिन आज भी यहां पर दस करोड़ लोगों से ज्यादा की आबादी हरिजनों और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की है । वह लोग ऐग्रिकल्चरिस्ट हैं । अगर उन लोगों को ले कर और उन की कोआपरेटिव सोसाइटी बना कर कोआपरेटिव फार्मिंग की जाय तो कितना अच्छा हो । यहां तो हमेशा कहते हैं कि हम कोआपरेटिव सोसायटियों पर नजर रक्खेंगे, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट के जत ताल्लुक में हम देखते हैं कि जहां पहले ट्राइबल लोगों की कोआपरेटिव सोसायटी बनाई गई थी अब उस को डिजाल्व कर के जमीनों को बेचा जा रहा है और गरीब लोगों को तकलीफ दी जा रही है । इस को देख कर मेरी आंखों में पानी भर आता है । इस तरह की जो बातें भी आप के सामने आयें उन को आप को देखना चाहिये और खुद उन मसलों को हल करना चाहिये । अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो शायद ही कोई दिन ऐसा आये जब इन भाइयों का उद्धार होगा । जब तक इन भाइयों का उद्धार नहीं होगा तब तक भारतवर्ष का भी उद्धार नहीं होगा ।

Shri Achuthan (Mavelikara): *Mr. Deputy-Speaker, Sir, I welcome the 12th report of the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for 1962-63.

When I begin to talk about the report my thoughts go to the memory of Mahatma Gandhi. The culture and heritage of India is equal to any other nation in the world. Gandhiji firmly believed that the uplift of Harijans is necessary for the betterment of India and worked ceaselessly to achieve this laudable objective.

The framers of the Constitution drew inspiration from the teaching of Gandhiji and realised his concern for the Harijans all over India. Some definite provisions were thus incorporated in the Constitution with a view to ameliorate their grievances and provide safeguards. It is well known that untouchability is banned by the Constitution. Gandhiji wanted to shake off the Harijan community's feelings of helplessness and infuse in

*English translation of the speech made in Malayalam.

them the spirit of self-respect. In a very large measure he has succeeded in giving them the pride of place which they deserved.

Though the report deals with many measures the Government is doing for the uplift of Harijans, I want to discuss only education and co-operation.

13 hrs.

The Central and State Governments have made substantial provisions in their budgets for the educational advancement of this community. I welcome this. However, it is a fact that the officers who are responsible for handling these funds cause unnecessary delay and hardship to the recipients. These officers are sitting under the very portrait of Gandhiji, whose interest in the uplift of Harijans is well known. and acting in a way prejudicial to the best interests of the Harijans. I disapprove of this conduct. The Government should exercise greater vigilance over them and bring to book those who are responsible for such malpractices.

In my State, a number of schools are being run by the Harijan Welfare Department. The sad plight of these schools will be very shocking for anybody who knows the conditions of these schools. In many schools, there are no qualified teachers and accommodation facilities. A few years ago, realising this unsatisfactory state of affairs, the then Adviser to the Rajpramukh, Shri P. S. Rao ordered that these schools be run by the Education Department. After two years, the Education Department handed over the administration back to the Harijan Welfare Department. I feel that if the Harijan Welfare Department is not in a position to run them efficiently and to the satisfaction of those for whom these schools are intended, they should hand them over to the Education Department. Otherwise, the amount spent in the name of education of the Harijans will not bring the desired effect. Another factor that will support my earlier contention of the inability of the Harijan Department to conduct the eduactional institutions is their lack of experience. When there is a specialised agency (such as the Education Department) to conduct the schools, it is not befitting that Harijan institutions alone should be run by a department other than the Education Department. The students who come out successful from these schools may not be well-equipped at a later stage. If compared with students who had education from other schools their standard is low. The number of seats reserved for Harijan students in the colleges should be increased as the present seats are not adequate to meet the demand.

A number of multi-purpose co-operative societies have been sanctioned for the benefit of the Harijan community. The Harijan Welfare Department recommends the formation of these societies and the Registrar of Co-operative Societies sanctions them. However, the benefits conferred on Co-operatives directly under the Co-operative Department are not received by the multi-purpose societies formed by Harijans. This differential treatment must end. All the societies irrespective of the fact whether they belong to Harijans or not must get full benefits. I am even inclined to support the handing over of these societies to the Co-operative Department if such a change will be useful to these societies and thereby to the Harijans.

श्री साधूराम (फिल्लौर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज दो साल के बाद शैड्यल्ड कास्ट्स ऐंड शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट इस सदन् में पेश हुई है। जहां तक इस रिपोर्ट का ताल्लुक़ है, कमिश्नर साहब ने अपनी रिपोर्ट में जो सारे देश की बाबत अर्ज

[श्री साधूराम]

किया है उस को पढ़ कर और उस को देख कर बड़ा अफसोस होता है कि हमारी गवर्नमेंट जो काम करना चाहती है वह पूरा नहीं होता है। फकत कहने से कुछ बनता नहीं है। महात्मा गांधी जी की इच्छा थी कि हरिजनों की वह समस्याएं या देश के सामने जो तकलीफें हैं वे दूर हों। सोचा यह गया था कि आजादी आने के बाद इस देश में बसने वाले करोड़ों लोगों के साथ में इंसाफ़ होगा और उन को आजादी जो प्राप्त हुई है उस का कुछ लाभ होगा। लेकिन इस रिपोर्ट के पढ़ने के बाद मालूम होता है और प्रैक्टिकल हम देख भी रहे हैं कि गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ़ पूरा जैसा जाना चाहिए वैसा नहीं जाता है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स भी जो लेजिस्लेशंस पास करती हैं उन पर भी अमल नहीं होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो कानून आदि पास करती है उस पर भी अमल नहीं होता है। बावजूद इस बात के कि साल, दो साल के बाद जब भी यह शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट जो पार्लियामेंट में पेश होती है और तमाम हरिजन एम० पी० शैड्यूल्ड ट्राइब्स और शैड्यूल्ड कास्ट्स यह दुहाई मचाते हैं कि हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है तो भी उसके बाद भी गवर्नमेंट फिर भी कुछ ध्यान नहीं देती और न ही यह पूछती है कि क्या बेइंसाफी आप के साथ हो रही है, आप के साथ तो बड़ा इंसाफ़ हो रहा है ? इस के कहने के बावजूद भी गवर्नमेंट इस बात पर ध्यान नहीं देती है बल्कि यह हमारा शैड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर का डिपार्टमेंट जोकि होम मिनिस्टरी के नीचे होता था, शायद होम मिनिस्टरी वालों ने ऐसा समझा कि यह फिजूल सा महकमा है और इसलिए इसे सोशल सिक्योरिटी के मातहत कर दिया। जहां तक इस नये महकमे का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि उनको कुछ इस बात के मुताल्लिक़ पता ही नहीं है कि हरिजनों की समस्या है क्या देश में ? इस देश में थर्ड फाइव इयर प्लान में 90 करोड़ रुपये की रक़म सैंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ़ से खर्च करने के लिए रखी गई थी। इस का मतलब यह बनता है कि 18 करोड़ रुपये हर साल हरिजनों की तकलीफ़ों को या शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए खर्च किया जाय लेकिन वह 18 करोड़ रुपये जो एक साल में खर्च करने थे वह खर्च नहीं हो पाते हैं और वह स्टेट गवर्नमेंटों और सट्रल गवर्नमेंट का रुपया लैप्स हो जाता है क्योंकि महकमे वाले इन की तकलीफ़ों की तरफ़ ध्यान देने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। मैं समझता हूं कि या तो वह रुपया उन तक पहुंचता नहीं है या वह रुपया गवर्नमेंट के खजाने में वापिस होकर लैप्स हो जाता है और हक़ीक़त यह है कि हरिजनों के लिए कोई काम नहीं किया जाता है।

सर्विसेज के बारे में श्री बासुमतारी ने पहले बतला दिया है कि ग्रेड 1 में टोटल नम्बर 8632 दर्ज किया गया है जिस में से कि 113 शैड्यूल्ड कास्ट्स के हैं और सिर्फ 13 शैड्यूल्ड ट्राइब्स में से हैं। क्लास 2 सर्विस में 14339 टोटल नम्बर रिपोर्ट में दर्ज है जिन में से कि 330 तो शैड्यूल्ड कास्ट्स के हैं और केवल 31 शैड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं। इसी तरह से क्लास 3 सर्विस में टोटल नम्बर 6,20,580 दर्ज है जिनमें से शैड्यूल्ड कास्ट्स के 46,366 हैं और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के केवल 5,310 हैं। क्लास 4 सर्विस में यह सब से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देते हैं। लेकिन जहां सैंट्रल गवर्नमेंट साढ़े 12 फ़ीसदी का ऐलान करती है कि हम साढ़े 12 फ़ीसदी रिजरवेशन हरिजनों, शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए मुकर्रर करते हैं तो क्या उन्होंने कभी फीगर्स नहीं देखीं कि इस साढ़े 12 फीसदी के बजाय वह पौने दो फ़ीसदी का रिजरवेशन भी पूरा नहीं कर सके हैं ? आज 17 साल की आजादी की हुकूमत के बाद भी 2 फ़ीसदी शैड्यूल्ड कास्ट्स के आदमी सर्विसेज में नहीं आ सके हैं तो आखिर इस

साढ़े 12 फ़ीसदी का रिजरवेशन देने का फ़ायदा क्या है ? ऐसी हालत में वे इस रिजरवेशन का नाम ही क्यों लेते हैं ? सर्विसेज की यह हालत है। यूनियन पबलिक सर्विस कमीशन में शैड्यूल्ड कास्ट्स वाले को उसका मेम्बर भी नहीं रखा गया है। अगस्त की यूनियन पबलिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में दर्ज है कि उस में शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई आदमी बतौर मेम्बर के नहीं है। देश में हमारे लोगों की क़रीब 20 करोड़, सब को मिला कर, आबादी है लेकिन उन की तरफ़ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और न तो सैंटर में और न ही स्टेटों के किसी भी पबलिक सर्विस कमीशन में उनको बतौर मेम्बर के रखा जाता है और जब ऐसी हालत हो तो सर्विसेज के मामले के साथ कैसे इंसाफ़ हो सकता है ? और कैसे उन को सर्विसेज में पूरा हिस्सा मिल सकता है ? आज 15 साल की हुकूमत के बाद भी उन्हें उनका हिस्सा सर्विस में नहीं मिल सका है।

इस के अलावा मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एजूकेशन मिनिस्टरी के तहत आरकाइब्स का एक महकमा है। उस में तीन वैकेंसीज शैड्यूल्ड कास्ट्स के लिए एक दफ़े निकली थीं। शैड्यूल्ड कास्ट्स के सिर्फ दो कैंडीडेट्स वहां गये थे लेकिन वह दो भी नहीं रखे गये और वह वैकेंसीज दूसरे अपने रिश्तेदारों को भर कर के पुर कर ली गयीं। इसी तरह से हम देखते हैं कि हर एक महकमे में डिस्क्रिमनेशन हो रहा है और नौकरियों में हमारे लोगों को पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा है। क्या मैं गवर्नमेंट से यह पूछ सकता हूं कि जब यह बात पार्लियामेंट में पहले भी आ चुकी है, तो क्या इस के मुताल्लिक कोई ग़ौर किया गया है ? क्या महकमे से यह पूछा गया कि पार्लियामेंट के मेम्बर यह बात कहते हैं, यह दुहाई देते हैं, उन की बात ग़लत है या सही है ? अगर ऐसा नहीं किया गया है, तो मैं समझता हूं कि यह सब ढोंग है और सरकार हरिजनों को न तो नौकरियों में और न ज़मीन में हिस्सा देना चाहती है।

आज देश भर में ज़मीन के मुताल्लिक हाहाकार मचा हुआ है और कहा जा रहा है कि ज़मीन लैंडलैस लोगों को दी जाये। आज देश में अकाल की हालत है और लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट्स ज़मीन तक्सीम नहीं कर रही हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के जो लोग लैंडलैस हैं, उन को बिल्कुल ज़मीन नहीं दी जाती है।

मैं अभी पंजाब में अपने हल्के से आया हूं। वहां अनाज का भाव 31, 32 रुपये मन गेहूं मिल रहा है। मैं अपने शहर फगवाड़े गया। वहां पर लोगों ने हाहाकार मचा दी कि यहां पर आटा और दाल नसीब नहीं होते हैं। आज लोग खाने के लिए तड़प रहे हैं और भूखों मर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट उन की तरफ़ ध्यान नहीं देती है। वह कहती है कि हमारे यहां से अनाज यू० पी० चला गया। क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ? आज ग़रीब लोग इतनी तकलीफ़ में हैं, ऐसी मुसीबत में मुबतिला हैं, लेकिन गवर्नमेंट के कानों पर जूं नहीं रेंगती है।

पंजाब में पांच छः किस्म की ज़मीन है। एक तो मुस्लिम इवैकुई प्रापर्टी है, जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने सैंट्रल गवर्नमेंट से ख़रीद की थी। मैं समझता हूं कि मुनासिब तो यह था कि जिस रेट पर पंजाब गवर्नमेंट ने यह ज़मीन ख़रीदी थी, उसी रेट पर उस को शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्ज और अदर बैकवर्ड क्लासिज के लैंडलैस लोगों को तकसीम कर देनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। आज वह ज़मीन नीलाम की जा रही है और इस तरह उस का रुपया बढ़ाया जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट के खज़ाने में जायेगा। आप खुद सोच सकते हैं कि जो आदमी नीलाम में ऊंची कीमत पर इस किस्म

[श्री साधूराम]

की बंजर और कल्लर जमीन को खरीदेगा, वह उस से क्या फ़ायदा उठा सकेगा ?

सीलिंग मुकर्रर करने के बाद जो सरप्लस जमीन निकली है, वह मुजारों को दी जा रही है, लेकिन बहुत सी फ़ालतू जमीन पड़ी है, जिस को तकसीम नहीं किया जा रहा है । इसी तरह लैंड एक्वीजीशन के तहत जमीन निकली है । पंजाब में बड़े बड़े लैण्डलार्ड्ज ने जिन जमीनों को कल्टीवेट नहीं किया वे भी गवर्नमेंट के पास आ गई हैं । इस के अलावा वस्ट लैंड्स और नजूल लैंड्ज भी हैं । इन सब जमीनों को तकसीम नहीं किया गया है ।

एक तरफ़ तो सरकार की तरफ़ से जमीन को तक्सीम नहीं किया जाता है और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि हमारे देश में अनाज नहीं मिलता है । आज लोग बेकार हैं, लेकिन गवर्नमेंट उन को खेती की जमीन नहीं दे रही है । इस सूरत में पैदावार कैसे बढ़ेगी और देश अन्न के मामले में कैसे सैल्फ़ सफ़िशेंट होगा ? मैं समझता हूं कि यह नामुमकिन है । अगर ये जमीनें गरीब हरिजनों और लैंडलैस लोगों को दे दी जायें, तो हमारी पैदावार बढ़ेगी, बेरोजगारी खत्म होगी और इस तरह देश में बहुत जल्दी खुशहाली आ सकेगी ।

लेकिन इस सिलसिले में गवर्नमेंट का रवैया हमारी समझ में नहीं आ रहा है । आखिर इस बात की क्या वजह है कि पंद्रह सालों की हुकूमत के बाद भी जमीन लोगों में तक्सीम नहीं हो सकी है ? जमीन के मुताल्लिक रिपब्लिकन पार्टी जो एजीटेशन कर रही है, वह बिल्कुल सही है । इसलिए यह जरूरी है कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी लोगों को जमीन दे ।

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : माननीय सदस्य भी रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो जायें ।

श्री साधूराम : मैं समझता हूं कि जब तक शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को स्माल स्केल इंडस्ट्रीज और घरेलू दस्तकारियां खोलने की सहूलियत नहीं दी जाती है, तब तक देश का उद्धार नहीं होने वाला है ।

लोग मेजारिटी में गवर्नमेंट के साथ इसलिए बैठे हैं कि उन को उम्मीद है कि गवर्नमेंट आज कुछ करती है, कल करती है, परसों करती है, छः महीने या एक साल में करती है । लेकिन गवर्नमेंट को इस समस्या की तरफ़ कोई ध्यान न देना नाकाबिले-दर्दाश्त बात है । अगर गवर्नमेंट का यही रवैया रहा, तो हरिजनों और आदिवासियों को, जो कि करोड़ों की तादाद में हैं, इस गवर्नमेंट से अलग होना पड़ेगा । जब इस देश में बीस करोड़ के करीब आदमी ऐसे हैं, जिन को ऊपर उठाने की जरूरत है, जिन के बग़ैर गवर्नमेंट जिन्दा नहीं रह सकती है, तो मेरी मांग है कि गवर्नमेंट को उन की हालत को बेहतर बनाने के लिए फ़ौरन कदम उठाने चाहिए । गवर्नमेंट ने पिछले पन्द्रह साल से उन को इग्नोर किया है । अगर वह आगे भी उन को इग्नोर करती रहेगी, तो यह मुनासिब नहीं होगा । मैं इन लोगों को ऊपर उठाने के लिए एक सैपरेट मिनिस्ट्री की मांग करता हूं, जो सिर्फ़ इन लोगों की प्राबलम को देखे और इन को ऊपर उठाने की कोशिश करे ।

एक माननीय सदस्य ने, जो कि आज यहां नहीं हैं, हरिजन उन को कहा था, जिन के मां-बाप नहीं हैं । मैं उन को कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक बिल्कुल ग़लत और झूठ बात कही है । उन्होंने सिर्फ़ हरिजनों को पिच करने के लिए यह बात कही है ।

गवर्नमेंट को सर्विसिज में और मिनिस्ट्री में हरिजनों की रिजर्वेशन के बारे में अपनी पालिसी को साफ़ करना चाहिए। आज स्टेट्स में कितने हरिजन मिनिस्टर बनाये जाते हैं ?

सिर्फ़ एक आध आदमी को डिपुटी मिनिस्टर बना दिया जाता है । सैंटर में 55, 56 मिनिस्टर हैं । उन में कितने हरिजन हैं ? कितने हरिजनों को गवर्नर या एम्बैसेडर बनाया गया है ? यह बिल्कुल बे-इन्साफ़ी की बात है । आज लोगों में जाग्रति आ चुकी है । आज वे करोड़ों लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते । इस मुल्क के बीस करोड़ों लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए न इस पार्लियामेंट में और न विधान सभाओं में ज्यादा वक्त मिलता है । मैं चाहता हूं कि उन की प्राबलम्ज़ पर विचार करने के लिए हम लोगों को बोलने का टाइम ज्यादा मिले । यह भी बड़ी भारी तकलीफ़ है । मैं बहुत सी मिसालों को इस हाउस के सामने रखना चाहता हूं, था, लेकिन वक्त कम होने के कारण ऐसा नहीं कर सकता हूं ।

मैं गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि वह हरिजनों की समस्याओं की तरफ़ ज्यादा ध्यान दे । पार्लियामेंट में मैजारिटी में जो लोग हैं, कम से कम उन को यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि तुम क्या कहते हो, तुम्हारी प्राबलम्ज़ क्या हैं और उन को कैसे हल किया जा सकता है ।

आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि जो तकलीफ़ें मैंने बयान की हैं, उन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को फ़ौरन कदम उठाना चाहिए ।

श्री माते (टीकमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा हरिजनों के कल्याण के लिए कानून बनाये जाते हैं और कई योजनायें भी तैयार की जाती हैं, लेकिन फिर भी उन को कोई सुविधा नहीं मिलती है । मध्य प्रदेश में आदिवासी जिस ज़मीन को पंद्रह बीस सालों से जोत रहे हैं, उन को वहां से निकाला जा रहा है और उन से वह ज़मीन छुड़वाई जा रही है । आदिवासी कहते हैं कि हम मर जायेंगे, मगर अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे । पुलिस मार मार कर उन से उन की ज़मीन छुड़वा रही है । एक तरफ़ तो सरकार कहती है कि हम आदिवासियों को ज़मीन देने के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ़ उन आदिवासियों की ज़मीनें छुड़वाई जा रही हैं ।

आदिवासियों के लिए लाखों रुपये ख़र्च किये जाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है कि वह रकम किस पोल में घुस जाती है । इन आदिवासियों को न मकान की सुविधा मिलती है और न ज़मीन की सुविधा । उन को कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है । हरिजनों के नाम से लाखों करोड़ों रुपये मकान बनाने के लिए दिये जाते हैं, लेकिन उस रकम का पता नहीं चलता है ।

मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ के कोटरा गांव में आदिवासी हरिजनों को मकान बनाने के लिए 750 रुपये दिये गये हैं । सरकार ने कहा है कि तालाब से ऊपर मकान बनाओ । साढ़े सात-सात सौ रुपये गवर्नमेंट ने एक एक को दिये । रुपया ले कर वे बस स्टैंड पर पहुंचे । वहां पर पटवारी और सभापति ग्राम पंचायत के पहुंच गये और उनको कहने लगे कि तुम्हें यह रुपया मुफ्त का मिला है, तुम इस में से सवा दो दो सौ रुपया हम को दे दे । पहले तो इन्होंने देने से इन्कार कर दिया लेकिन बाद में जब इन को मजबूर किया गया तो इनको देने पड़ गये । इन्होंने मुखिया के पास जो ग्राम का था, रिपोर्ट की । इसकी इनक्वायरी हुई । यह बात सही पाई गई । लेकिन इस इनक्वायरी का कुछ भी नहीं बना क्योंकि बड़े बड़े लोग खाने वाले थे । इनके खिलाफ यह रिपोर्ट भी कर दी गई कि इन्होंने मकान नहीं बनवाये हैं, इस वास्ते इन से जो रुपया इनको दिया गया है वापिस ले लिया जाये । वास्तव में इन्होंने मकान बनवा लिये थे लेकिन उसके बावजूद भी इन को हुकम दे दिया गया कि रुपया ये वापिस कर दें । जब ये लोग पैसा दे नहीं सके तो

[श्री माते]

इन की ज़मीन को नीलाम कर दिया गया, इनके बैल नीलाम कर दिये गये, इन का सब सामान नीलाम कर दिया गया ।

श्री राघेलाल व्यास (उज्जैन) : यह जो ज़मीन थी यह पट्टे की थी या इस पर इन्होंने जबर्दस्ती कब्ज़ा कर रखा था ?

श्री माते : पट्टे की थी ।

इन लोगों ने कलैक्टर के पास इसकी शिकायत की । उन्होंने जब जांच की तो भी यह पाया गया कि इन्होंने मकान बना लिये हैं और इन से सवा दो दो सौ रुपये लिये गये हैं । लेकिन कलैक्टर ने भी इन बेचारे लोगों के लिये कुछ नहीं किया और किसी ने भी नहीं माना कि मकान इनके बने हुए हैं । बहुत सी इन लोगों ने दरख्वास्तें लिखीं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई । आप लाखों रुपया हरिजन और आदिवासी लोगों के लिए दे रहे हैं लेकिन हरिजनों और आदिवासियों को उसका कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है । यह जो ज्यादती इनके साथ हुई इसके विरोध में एक आदमी ने भपाल में भूख हड़ताल की । लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ और इन बेचारों का सामान कुड़क कर लिया गया । इन के आज भी बल कुड़क होते रहते हैं, जमीनें कुड़क होती रहती हैं, इनके बाल बच्चे रोते रहते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है । इन बेचारों के पास खाने तक के लिए नहीं है । दरख्वास्तें लिखी जाती हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है । यह जो हालत है यह बहुत गम्भीर है । इसका अन्त होना चाहिये और जो रुपया खर्च किया जाता है उसका वास्तविक लाभ इनको मिले इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये ।

Shri Jaipal Singh (Ranchi West): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I do not know whether we should welcome this change from the Home Ministry to this new Cinderella Ministry. We could judge the change whether it is desirable only hereafter, if it is effective. This Report must be judged against the various Articles of the Constitution—Articles 29, 30, 45, 46, 50, 257, 339 and the two Schedules, Fifth and Sixth Schedules. If this Report does not answer the requirements of those various articles, it is not doing its duty. I have the same complaint which I voice every year, that the problem of the Adibasis and the Harijans is thought of very lightly by the present ruling party. We have to beg that a debate does take place, and even when a debate does take place, we have to beg of you to increase the number of hours given by your quota. That is the dismal picture. Now look at the position in this House. There is not even a single Cabinet Minister present. This problem should relate to the Finance Ministry, the Home Ministry, the Education Ministry, practically every other Ministry. But there is one pair of shoulders. I do not know whether it is carrying on it the entire present Cabinet; I have no idea;; he has to share the burden.

I feel that this problem has now assumed a very very vital role after what has happened, I mean the Chinese aggression. Parliament and the whole country must think seriously whether the Adibasis have got to be given a fair deal; otherwise, the security of this realim is not safe. Very few Members of Parliament, I think, were in the areas that was invaded. I was there some time and I saw what was happening. The demoralising effect of that invasion has not yet disappeared; let us not deceive ourselves. I am an Adibasi and I would like to tell this Parliament and the country, when I hopped from one area to the other, for which I had an aircraft for myself, I told the people there not to run away. In one particular place I asked them what they

thought of the present government. This is what they said:

"मुगल भी आये, अंग्रेज भी आये, देशी लोग भी आये। अगर पीले लोग भी आ जायें तो क्या फर्क पड़ेगा।"

That is the imponderable situation in those areas. Let us not take this lightheartedly. It is a serious mater. I tell you, we are fooling ourselves if we think that because we are a big country, and the Nagas are only about 3 lakhs, we can browbeat them with punitive expeditions. Yet, that is the type of language that some Members of Parliament have used here. We must accept it as a human problem. I may tell you that unless the Adibasis are given a fair deal, the eastern region is not going to be safe for this country. Let us think about it very seriously.

Take the problem of Assam. I was a member of the Minorities Sub-Committee. Why were there two sub-Committees? Because, the ruling, party, the dominant party, had already decided that there should be a separate sub-Committee for Assam. We were told that in Assam the tribal problem was very very different from the rest of India, as if the problems of Adibasis in Assam were very different from the Adibasis in the rest of the country. In the plantations in Assam most of the labour is from my district and they are mostly Adibasis. But the moment they go to Assam to work in the plantations and settle down permanently in Assam they cease to be Adibasis; they are not in the Schedule. Similarly, we have been so dishonest in the Constitution that millions of people have been left out of the Schedule under one execuse or the other. We are not prepared to face this problem.

I fully agree with my hon. friend, Shri Basumatari, that there should be an All India Schedule. The only way you can achieve national integration is by seeing to it that the Adibasis get the full advantages of the safeguards granted to them in the Constitution, those safeguards that are pronounced from housetops every day, no matter where they go and live. That is my approach to this problem.

It is a very serious and dangerous position that we are placed in today. It is not merely the question of the Chinese or the other neighbours who are posing some threat to us. We know what has happened in the Garo Hills. It can happen elsewhere today. As a result of what happened there, the evacuation from Garo Hills, there was communal trouble in my area, communal-political troubles.

The Adibasis are highly inflammable material. One minute they may revolt against you, murder you or burn you; but it can happen to the other fellow also, from the same person. I think the Central Government as well as the State Governments do not realise that the Adibasis are no longer going to be dumb; they are no longer going to accept your sloganing; every hour makes them wiser and wiser and wiser. Believe me, it is not that I am condemning the ruling party, but as far as the problems of the tribals are concerned, in my opinion the ruling party has been bluffing them too long. They are becoming impatient. They have specifically nothing against the ruling party, but when promises are made and not implemented physically, they begin to wonder. Now the communications have developed and they are no longer living in isolated jungles. Whenever I get into my aircraft and fly over there, I find they are getting wiser and wiser, very discerning and challenging. We are told in a multi-purpose tribal block, Rs. 28 lakhs have been spent. What is the benefit that is accruing to them? Or, is it all disappearing in the number of battalions of officers that you have?

The first most important thing is that we must go to these people with a purpose, with a mission. What do the officers that we see today do? They look down upon us. They do not even know the tribal language.

[Shri Jaipal Singh]

At the top, in the apex, we are told you have reserved so many jobs. You are giving crores of rupees by way of scholarships. Adivasis are qualifying quite well. But where are they? Are they employed? There is no follow-up. Every year I have been demanding, "It is no good your telling us that you are spending so many crores of rupees, I want to know the follow-up."

Only recently I had the experience of one of the Railway people coming to me to Ranchi and telling me, "It is an educated area but none of your boys appear". I said that this was very funny and I would find it out. Immediately I sent him a list to Calcutta of 500 qualified Adivasis. I asked these boys as to why they did not apply. They said:

> "वहां हम लोग जा कर क्या करेंगे, बेकार यहां से कलकत्ता जाना पड़ेगा और खर्च करना पड़ेगा। हम लोग कभी बाहर गये नहीं। वहां अन्दर जाने देने के लिये भी पैसा मांगते हैं।"

That is the position.

Take, the Central sector. When the Heavy Engineering project was started the Central Minister, Shri Manubhai Shah, as well as the then Chief Minister, Dr. Krishna Sinha, made a public announcement mentioning my name giving this assurance that up to Rs. 500 salary posts only the local people would be appointed. Please go and find out—you have it in the Dhebar Report—how many of the local people are in service there. Even the people of Bihar are not there. Everybody from all over the country is all right but we are not competent.

Then, I am told, "You people are not qualified". I say, now what do you want? You supply want technicians. Only last month I have given them a list of 400 qualified technicians from Bihar. Most of them are local boys. I do not know how many of them are going to be taken in. Now they will tell us that the places have all been filled up; there are no vacancies. Some excuse or the other is all the time made in this particular regard.

I think, there are only two problems of the Adivasis as far as I can think of. One is relating to land. They are *bhumiputra*, children of the soil. The only place where they can feel safe is when they are firmly rooted to the soil. The moment you uproot them, the moment you make them landless, they just roam here and there. It upsets all their cultural moorings. What is happening to their lands? As far as the Jharkhand area is concerned, every other day there is more and more acquisition of land. More and more Adivasis are being asked to get away. This Parliament was foolish enough to pass an Act, the Coal-bearing Areas Act. It is a peculiar Act. The moment they find coal under you, you are asked to get out. There is no question whether you have been given compensation, alternative land or alternative roof. No; first get out, afterwards we will talk about it. As you know, the whole area, Madhya Pradesh and Bihar, is full of coal and other minerals. From day to day no one feels save as to whether the National Coal Development Corporation is going to acquire your fields or what. The Government must think very seriously about it. No land should be acquired unless other land has been given.

This is an assurance the late Prime Minister gave when the DVC began, when the Sindri fertiliser factory was built there, when Chittaranjan Locomotives, Hirakud and so forth came up, but nowhere has it been honoured. Even in the latest Heavy Engineering at Hatia, you will see what the position is. The Land Acquisition Officer of the State awarded Rs. 500 per acre

for the land that was being taken away from the local villages. We had our *hartal*. We imitated the Congress method. We said, we will not take it. Eventually, because a Marwari had to be given Rs. 20,000 per acre for exactly the same type of land, our people got no less than Rs. 6,000 per acre.

Why do I mention this? This is the treatment you give to the Adivasis. You think, because they are ignorant and cannot go to the law courts, go on cheating them; go on giving them false promises. How long are you going to do it? They are waking up. Hitherto, by and large, they have been non-vialent. They are not going to be non-violent any more unless you give them a fair deal. I feel, I owe a duty to Parliament and the country that we better wake up and do something about it.

The second problem to my mind is one of employment, educated employment and the other type, even the unskilled employment. What is the good of taking away boys and girls from villages and educating them up to a certain point if you divorce them from their village which, unfortunately, the type of education we have does now-a-days does? The moment they are educated, they do not want to go back to the villages. If you cannot employ them, what is going to happen? It is obvious that the same thing will happen as is happening to all the other youngmen in this country. There is nothing to interest them. They become parasites, as it were. They become a serious danger to society.

I have already mentioned that I think, there should be an All-India Schedule. I know, there are constitutional difficulties in the way. I would like Adivasis in particular not to depend upon a sense of vested interest. I do not think we are doing ourselves any good if all the time we depend upon safeguards. We are entitled to certain things without the safeguards even. There must be the conscience of the enlightened people to give us what is due to us as human beings in a democratic country in particular.

On the question of employment, I know my Adivasi and Harijan MP friends will disagree with me. I was for several months the Chairman of the Railway Accidents Enquiry Committee. In many places complaints were put to me that Shri Jagjivan Ram had done great harm to his community, the *harijans*, by issuing a directive to the Railways that *harijans* should automatically get promotion.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): That was on the basis of the Supreme Court judgement.

Shri Jaipal Singh: Whatever it is; but I think, we better think hard here because it is a question of national integration, emotional integration. Certainly, we should get reservations. Certain percentage we must have; otherwise, there is no chance of our getting in in any way. But once we have got in there, I think, to say that automatically we must supersede all the others is a wrong thing. I would like to tell my colleagues—it is not that I am arguing against Adivasis or against the *harijans* or, as I have every right to, I sort of disbelieve the *bona fides* of the others,—but even then I say that in the long run for the sake of our respect let us depend on our performance.

To end up with, I would like to refer to some of the things that were said by my hon. friend, Shri Kachhavaiya. I have heard from the hon. Member here, Shri Prakash Vir Shastri also often enough about the Neogy Report. I feature very largely in that report. In fact, I did not know that I was such a wonderful man. I did not know that I would be receiving so much money from America and all over the place, as it says. I would just like to mention that only a few years ago in Nagpur I was invited to inaugurate a conference of the Adivasis there and Dr. Neogy happen-

[Shri Jaipal Singh]

ed to be the Chairman of the Reception Committee. I was rather surprised in a way. I was very glad to have the opportunity of meeting him. I asked him only one question. I said, "Dr. Neogy, you went mad on this problem of conversion, whether it was to Christianity or Islam or whatever it is; how is it that you have become a Buddhist now, which he had?" That is all that I have to say.

Dr. M. S. Aney (Nagpur): Now he has publicly declared that he has not been converted.

Shri Jaipal Singh: Recently. That was a few years ago. He may have done it now. If he becomes a Muslim after two years, I can't say.

I would ask Government not to play about with experiments on Adivasis. Take, for example, their time-immemorial customs. Now, in the name of this panchayati raj you are introducing certain changes which they do not understand. You have got to work accordiny to their own genius and try to make your modern ideas fall in line with them. In the Singhbhum district because all the Mankis supported our Party, they abolished the Manki system. The Mankis system is among Adivasis. In the Santhal Parganas, in the same manner, the Parganaits, chieftains were all abolished. Now, when they realise that it has become a hopeless case—we are now in a different situation—they say, let us have the panchayati system. It is a very dangerous thing when you are interfering with some thing that everyone of them understands, in the name of academic thinking, academic planning and your own ideas about social changes. For God's sake, remember that the late Prime Minister used to say time and again, "Carry them with you; don't push them."

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज दो वर्ष के पश्चात् अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की बारहवीं रिपोर्ट पर विचार सदन में हो रहा है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का यह विभाग कुछ निर्जीव सा प्रतीत होता है । अभी तक जो इस विषय में विचार यहां सदन में प्रकट किये गये हैं और जो भी सुझाव दिये गये हैं उन पर क्या अमल हो रहा है या हुआ है वह भी सदन के सामने आना चाहिए था । यही नहीं, बल्कि बारबार जैसा कि यहां पर कहा गया है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर को और उन के विभाग को कुछ ऐसी शक्ति से सुसज्जित किया जाय ताकि राज्य सरकारों पर भी और यहां केन्द्र में भी उस का प्रभाव हो सके, उस दिशा में भी कोई कदम उठाया गया नहीं मालूम होता है ।

दुःख के साथ कहना पड़ता है कि असेम्बिलियों में भी इस रिपोर्ट पर बहस नहीं की गई है और राज्य सरकारें उदासीनता के साथ उधर ध्यान देती हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह शैड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर का महकमा गृह मंत्रालय की व्यवस्तता से अलग हो कर सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के अधीन आया है । यह इस बात का द्योतक है कि सत्तरह साल की स्वतन्त्रता के पश्चात् भी हरिजन और आदिवासियों की स्थिति शोचनीय बनी हुई है और वह हालत आज भी किसी से छिपी नहीं है । वे अभी तक सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक न्याय से वंचित हैं । अस्पृश्यता की विभीषिका की उग्रता आज भी देश में विद्यमान है । ग्रामों में इस की उग्रता अधिक है और शहरों में थोड़ी है, लेकिन शहरों में भी अस्पृश्यता कोई कम नहीं है ।

आज भी मानव का जो गौरव है, संविधान के पश्चात् और बापू आदि महापुरुष,

जिन्होंने कि उन का आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए और उन्हें आत्मगौरव प्रदान करने के लिए प्रयत्न किया है, उस के लिए मैं कहने को तैयार हूं कि आज भी वह सम्मान उन्हें प्राप्त नहीं है ।

देश में नेशनल इंटेग्रेशन (राष्ट्रीय एकता) और इमोशनल इंटेग्रेशन (भावात्मक एकता) की बात कही जाती है और वह है भी आवश्यक। देश में संकटपूर्ण स्थिति है । चीन की लिप्सापूर्ण दृष्टि इधर लगी हुई है । पड़ोसी देश भी दूसरे विचार रखता है । ऐसी दशा में और ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि देश के अन्दर राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता मज़बूत हो । यहां नई दिल्ली के अन्दर मुख्य मंत्री सम्मेलन हो रहा है। उस में भी अनेक बातों पर विचार किया गया है । उस में साम्प्रदायिकता की ओर ध्यान दिया गया है । ठीक है, साम्प्रदायिकता भी समाज का एक भयंकर दोष है और देश के भविष्य के लिए खतरा है लेकिन अस्पृश्यता और यह जाति भेद-प्रभेद जो कि सदियों से इस देश में लगातार चालू है वह तो समाज का एक कोढ़ है और राष्ट्र की देह के अन्दर बैठा हुआ वह घुन है, जो कि उसको खाये चला जा रहा है । यदि उस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो राष्ट्र का सारा ढांचा हिल जायेगा । यह एक चेतावनी है ।

इतने दिन के बाद भी हमारे करोड़ों हरिजनों और आदिवासियों के मस्तिष्क में आत्म विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ है, विश्वास पैदा नहीं हुआ है । तीन पंचवर्षीय योजनाओं में जो कुछ भी धनराशि उनके कल्याण के लिए रक्खी गई है वह ठीक प्रकार से व्यय नहीं हुई है । मैं कह सकता हूं कि यदि वह खर्च भी हुई है तो कुछ विशेष स्थानों और व्यक्तियों में ही खर्च हुई है और उसका प्रभाव बहुत नीचे तक, जहां तक अस्पृश्यता है, जहां पिछड़ापन है, जहां कमजोरी है, वहां तक नहीं पहुंचा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता को दृष्टि में रखते हुए व्यापक दृष्टि से कार्यक्रम बनाया जाय । राष्ट्रीय आधार पर इस समस्या को ग्रहण किया जाय और इस पर ध्यान दिया जाय तभी जाकर देश के अन्दर मज़बूती आ सकती है । आज इतने दिन के बाद हमारे भाइयों के दिमाग में एक अलग प्रकार का विचार है और वह विचार यह है कि आज भी उन की समस्याओं का निराकरण नहीं होता है । जिस प्रकार की घटनाएं आज भी घटित होती हैं, जिस प्रकार की बाधाएं उनके रास्ते में आती हैं उनको देख कर और सुन कर रोमांच हो आता है और बदन में एक सिहरन सी होने लगती है । आज भी अपमान की, बलात्कार की, क़त्ल व आगज़नी की घटनाएं घटित होती हैं । स्वर्गीय डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी जबकि वह हिन्दू महासभा के प्रधान थे उन्होंने बहुत साफ़ तौर से इस बात को कहा था कि 'हमारे इन पिछड़े भाइयों पर भयंकर अत्याचार होते हैं और यह भयंकर अत्याचार हिन्दू समाज की ओर से उन पर होते हैं ।' यदि उसका व्यापक इलाज नहीं किया गया तो देश तथा समाज भयंकर खतरे में पड़ जाएगा जैसा कि गांधी जी ने स्वयं कहा था; या तो अस्पृश्यता को दूर होना है नहीं तो हिन्दू समाज को मिटना है । यह बात अवश्य है कि अगर इन बातों पर ध्यान दिया जाय, और उसके अनुसार चला जाय तो बहुत कुछ काम हो सकता है । लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि उस मिशनरी जील का कि जिसके अनुसार उन महापुरुषों ने अपना समग्र जीवन इस समस्या के निराकरण के लिए अर्पण कर दिया हो और ऐसे कर्मी पुरुषों ने किया भी है, आज वह मिशनरी जील की भावना मिटती जा रही है । जिन लोगों में हरिजनों का विश्वास था, वे एक एक करके यहां से उठते जा रहे हैं । आज उस प्रकार के लोग सामने आ रहे हैं, जो केवल फ़ुरसत के तौर पर और समय बचा कर काम करते हैं ।

[श्री बाल्मीकी]

आज आवश्यकता इस बात की है कि जो लोग अपना समग्र जीवन इस दिशा में निस्वार्थ कार्य करने के लिए समर्पित करते हैं, सरकार उनको विशेष सहायता देने का प्रबन्ध करे, ताकि वे समाज में अधिक काम कर सकें। आज जबकि हम चौथी पंचवर्षीय योजना पर ध्यान दे रहे हैं, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि अस्पृश्यों की समस्या का पूरा हल ढूंढने के लिए धन की आवश्यकता तो है ही, उस धन का ठीक और उचित व्यय भी हो सके।

हालांकि हमारे देश में सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ है और पंचायती राज का विस्तार हुआ है, लेकिन हमारे इन भाइयों की समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है, बल्कि उनकी कठिनाइयां और बाधायें और बढ़ रही हैं। विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र में अनेक प्रकार के जुल्म उन पर ढाए जाते हैं।

आज हरिजनों की विशेष मांग यह है कि उन को धरती उपलब्ध की जाये—खेती के लिए भी और आवास के लिए भी। हरिजन भाई सदियों से, वेदकाल से, बराबर खेती की उन्नति के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए मेहनतकश की तरह काम करते रहे हैं। लेकिन इतने दिनों की स्वतन्त्रता के पश्चात् भी भूमि में उनका भाग क्या है ? इस लिए आज भी उनके मस्तिष्क में निराशा है। यह कोई मामूली प्रश्न नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रश्न है, जिसको पूरी तरह हल करने के लिए सरकार को भरसक प्रयत्न करना चाहिए।

मैं समझता हूं कि यह विचार ठीक नहीं है कि देश में अस्पृश्यता की विभीषिका कम हो गई है। आवश्यकता इस बात की है कि इस अस्पृश्यता-निवारण के कार्य को तेजी देने के लिए एक उच्च-स्तरीय सम्मेलन बुलाया जाये। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति महोदय भी उसमें भाग लें और इस समस्या से सम्बन्धित केन्द्र तथा राज्य के सब मन्त्रालय भी इसमें शामिल हों। इस के अतिरिक्त स्टेट-स्तर और जिला स्तर के उच्च-स्तरीय अधिकारी भी इस सम्मेलन में भाग लें। यही नहीं, इस बात का सर्वेक्षण करने के लिए कि देश में किस हद तक अस्पृश्यता-निवारण हुआ है, उन हरिजनों की बाधायें कहां तक दूर हुई हैं और यह कार्य कहां तक आगे बढ़ाया जाना चाहिए, एक कमीशन बिठाया जाना चाहिये। सरकार के मस्तिष्क में कुछ इस प्रकार का विचार है और उस को शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

जो हमारे सफ़ाई-पेशा भाई हैं, जो गन्दे काम करते हैं, चाहे वे चमड़े का काम करने वाले हों और चाहे सिर पर पाखाना ढोने वाले हों, उनकी स्थिति भी बहुत भयंकर है। उस की विशेष जांच करने के लिए—विशेषकर सफाई-पेशा भाइयों की स्थिति की जांच करने के लिए—एक कमेटी नियुक्त की जा रही है। मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन यह बात अवश्य है कि सिर पर पाखाना ढोने की लानत तब तक दूर नहीं हो सकती है, जब तक कि समाज, म्यूनिसिपैलिटीज और अन्य सम्बद्ध विभागों के दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन नहीं होता है। इधर ध्यान और देने की आवश्यकता है।

यहां सदन में धर्म-परिवर्तन का जिक्र भी किया गया है। हमारे हरिजन भाई धर्म-परिवर्तन में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन धर्म परिवर्तन के पीछे एक इतिहास है। हमारे भाइयों पर धर्म की दृष्टि से, जातिभेद की दृष्टी से जो भयंकर अत्याचार होते हैं, वे बन्द होने चाहिए। जैसा कि श्री राजगोपालाचार्य ने कहा है,—"हरिजनों को केवल अत्याचारों के कारण ही ईसाई और मुसलमान होना पड़ता है।" और जैसा कि डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने कहा था कि 'उनके साथ हिन्दू जाति का सद्भावना और प्रेम का व्यवहार होना चाहिए, ताकि वे लोग उससे सम्बन्धित

होने में गर्व का अनुभव कर सकें। मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि मैं धर्म-परिवर्तन विरोध करता का हूं, लेकिन हमारी हिन्दू जाति उन लोगों के साथ सद्भावनापूर्ण और मानवीय दृष्टिकोण से सद्व्यवहार करे।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों के उत्थान के लिए सुचारु कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि वे समाज में सम्मान और गौरव का स्थान प्राप्त कर सकें, जो कि देश की राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता के लिए और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए भी आवश्यक है।

इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

श्रीमती जयाबेन शाह (अमरेली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस डीबेट में भाग लेने के लिए इस लिए खड़ी हुई हूं, ताकि मैं एक बात की ओर हाउस का ध्यान विशेष रूप से दिला सकूं। उसका कुछ संकेत माननीय सदस्य, श्री बाल्मीकी, ने अभी किया है। पाखाना सिर पर ढोने की जो प्रथा है, नाइटसायल को हैडलोड की तरह उठाने का जो तरीका चल रहा है, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूं।

जहां इस रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि गवर्नमेंट ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए पर्याप्त रुपया नहीं रखा है और जो कुछ रखा भी गया है, उसमें बहुत कम का उपयोग किया गया है। कई स्टेट्स में उस रुपये को अन्य कामों में भी लगा दिया गया है। इस लिए यह प्रथा कब तक चालू रहेगी और कब यह खत्म होने वाली है, इसका अन्दाजा हम नहीं कर सकते। यह प्रथा बहुत इन ह्यूमैन और अनडिग्नीफ़ाइड है और मानवजाति के लिए एक बहुत शर्म की बात है। आज यह कहा जाता है कि हमने फलां रिसर्च कर ली, हम ने यह उन्नति कर ली, हम साइंस के युग में चले गए, आदि, लेकिन जब हमारी नजर सिर पर उठाए हुए मैले पर पड़ती है, तो हम शर्मिन्दा हो जाते हैं।

इस पार्टी का सदस्य होते हुए भी मुझे यह कहना पड़ता है कि जबकि कुछ कहने का मौका मिला है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मिनिस्टर लोग हाजिर नहीं हैं तो फिर इसको इम्प्लीमेंट कौन करने वाला है? इस अवस्था में पिछले सत्रह बरसों की तो क्या बात है, अगले सत्रह बरसों में भी कुछ नहीं होने वाला है।

इस प्रथा को समाप्त करने का काम म्यूनिसिपैलिटीज पर छोड़ दिया गया है कि अगर वे चाहें, तो इसको समाप्त कर सकते हैं। हरिजन और भंगी कम्युनिटी के रिप्रेजेन्टेटिव यहां आए हुए हैं। वे इस प्रथा को समाप्त करने के पीछे क्यों नहीं लगते हैं? जमीन मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, यह सुविधा चाहिए, वह सुविधा चाहिए, ये सब बातें कही जाती हैं और गवर्नमेंट को यह सब करना भी चाहिए, लेकिन असली समस्या यह है, जिसकी वजह से अस्पृश्यता का निवारण नहीं हो पाता है, कि जिन लोगों को सवर्ण हिन्दू कहा जाता है—मेरे विचार में तो सब एक ही जैसे हैं—जब तक यह अपने हाथ से मैला साफ़ करना पड़ेगा और सिर पर उठा कर ले चलना है, तब तक अस्पृश्यता का निवारण होना बहुत मुश्किल है। कब उसका अन्त होगा? कोई टाइम लिमिट तो होनी चाहिए। कांस्टीट्यूशन में प्रोहिबिशन के बारे में लिखा हुआ है, भाषा के बारे में लिखा हुआ है और कहा गया है कि इतने सालों के अन्दर अन्दर इनके बारे में कुछ न कुछ फैसला हो जाएगा लेकिन यह जो बात है यह ऐसी बात है कि जिसका कोई फैसला ही नहीं हो सकता है। मैं नहीं चाहती हूं कि हर एक बात में हम लैजिस्लेशन लायें, लाज पास करें। फिर भी मेरे दिल में यह आवाज जरूर उठती है कि लैजिस्लेशन से अगर इसको हम बन्द करना चाहें तो एसा भी हम कर दें। क्योंकि इसका असर म्यूनिसि-

[श्रीमती जयाबेन शाह]

पैलिटीज तथा दूसरी लोकल बाडीज पर पड़ेगा। वे बाईलाज अपने अपने यहां के लिये तैयार करेंगी। अगर भंगी लोगों पर इस चीज को छोड़ दिया जाए कि वे धीरे धीरे इसको छोड़ दें तो वह भी नहीं हो सकेगा। यह उनका हैरिडेटरी राइट है और इसके लिए वे भी शायद कम्पेंसेशन मांगते हैं। वे लोग इससे इतने घिरे हुए हैं, इतना इस में फंसे हुए हैं कि वे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। उनको इससे बाहर हमें निकालना पड़ेगा। इसके लिए चाहे तो लेजिस्लेशन बनायें या कुछ और करें, हम को कुछ न कुछ करना अवश्य पड़ेगा सदियों से इन लोगों के साथ हम अन्याय करते आ रहे हैं। पता नहीं शूद्र लोग कब से हमारे देश में हैं, शायद वैदिक काल से भी पहले से हैं। तभी से हम इनके साथ इंजस्टिस करते आ रहे हैं। यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है। कोई भी माननीय सदस्य इधर का या उधर का ऐसा नहीं होगा जो यह चाहता हो कि ये लोग टोकरी सिर पर लेकर—चलते फिरें। हमें फैसला करना होगा कि कितने देर तक यह प्रथा हम चलने दे सकते हैं, पांच साल तक या दो साल तक या कितने सालों तक। अभी तक इसके बारे में कोई लिमिट भी नहीं लगी है। इसीलिए मैं समय की कोई लिमिट के पक्ष में हूं।

14 hours.

चूंकि बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं इस वास्ते मैं अधिक समय लेना नहीं चाहती हूं। चूंकि यह विषय ऐसा है जिसके बारे में मैं बहुत गम्भीरता से सोचती हूं इस वास्ते मैंने आपका थोड़ा सा समय लेना उचित समझा। यह एक फंडेमेंटल चीज है जो मैं आपके सामने रखना चाहती थी। अगर यह चीज चालू रहेगी तो हमारी डेमोक्रेसी के लिए यह बहुत ही शर्मिन्दगी की बात होगी। हम ह्यूमन डिगनिटी में विश्वास करते हैं। इस चीज को हम सर्वोपरि मानते हैं आज की दुनिया में। तब इस तरह का नजारा हम कैसे देख सकते हैं। यह जो चीज है, इसको मैं मिनिस्टर साहब तक पहुंचाना चाहती थी।

जहां तक इस रिपोर्ट का ताल्लुक है, इस तरह की रिपोर्टें तो हर साल रखी जाती हैं और रखी जाती रहेंगी। जो आंकड़े हैं वे इधर उधर कुछ बदल दिये जाते हैं, इन में। इसमें कोई डिनामिज्म नहीं है। मैं चाहती हूं कि इस में डिनामिज्म लाया जाए।

जमीनें देने की भी बात है। हमारे यहां रिपब्लिकन पार्टी का सत्याग्रह चल रहा है। सत्याग्रह करने से जमीनें मिलने वाली नहीं हैं। सरकार को इसके पीछे लगना चाहिये और इनको जमीनें दिलवाने का प्रयत्न करना चाहिये। स्टेट्स में जाकर उन से मिलना चाहिये। गुजरात में मैं बतलाना चाहती हूं कि जितनी भी फालतू जमीन है, उसमें से ज्यादा से ज्यादा जमीन इनको दी गई है और वह काम हमने खत्म कर दिया है। और स्टेटों में अगर जमीन है तो पीछे लग कर इनको दिलवाई जानी चाहिये। और भी कुछ काम इनको दिये जाने चाहियें।

श्री मौर्य (अलीगढ़) : गुजरात में ये कुओं पर चढ़ नहीं सकते हैं। इनके पास जमीनें नहीं हैं। गेहूं के ढेर में अगर अछत लोग अपना हाथ डाल देते हैं और भाव पूछते हैं तो उनके हाथ को तोड़ दिया जाता है। I saw it with my own eyes on the 4th of this month. You come from Gujarat. You should have known it. We are agitating against this sort of exploitation.

श्रीमती जयाबेन शाह : जब आपको वक्त मिले तो आप अपनी बात कह सकते हैं। छुआछूत को अगर मिटाना है तो मैला सिर पर ढोने की जो प्रथा है, उसका हमें बिल्कुल खात्मा करना होगा, इसके बारे में हमें कुछ तेजी से आग

बढ़ना होगा। अगर लैजिस्लेशन की जरूरत हो तो वह भी बनायी जा सकता है। मैंने इस पर बहुत सोचविचार नहीं किया है कि कांस्टीट्यूशन में भी क्या इसके बारे में कोई व्यवस्था हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर कुछ कर सकते हैं तो उसके बारे में भी सोचा जाना चाहिये। स्टेट्स की इस मामले में मदद की जानी चाहिये। इस दिशा में अगर हम को चलना है तो इसके लिए एक पक्का प्रोग्राम बनाना होगा और यह फैसला करना होगा कि दो साल में इसको हम खत्म कर देंगे और उसके लिए सभी इन्तजाम करने चाहियें।

आज देखा जाता है कि आप जनरल पूल में पैसा दे देते हैं। यह नहीं होना चाहिये। आपको इस बारे में भी स्पेसिफिक होना पड़ेगा। उनको स्पेसिफिकली कहना पड़ेगा और इसके पीछे लगना पड़ेगा। यह जो काम है पिछड़ी जातियों के कल्याण का यह अलग अलग मन्त्रालयों द्वारा किया जाता है, सोशल सिक्योरिटी के नीचे कुछ काम आता है, कुछ होम डिपार्टमेंट के नीचे आता है और कुछ और मन्त्रालयों के नीचे आता है। मैं चाहती हूं कि जो यह पर्टिकुलर काम है जिसके लिए मैं बोलने के लिए खड़ी हुई हूं इसको करने के लिए एक डायरयक्टोरेट यहां भी बनाया जाए और साथ साथ स्टेट्स में भी डायरेक्टोरेट बनाये जायें। इसमें पूरे जोर शोर से लगा जाये ताकि इसका काम अच्छी तरह से चल सके।

जहां तक इन ह्यूमन प्रथा का सम्बन्ध है, उसको जितनी जल्दी हो सके खत्म करने की कोशिश होनी चाहिये। इसके बारे में हमें कोई पक्का निश्चय करना होगा। माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं, उन से मैं प्रार्थना करती हूं कि इस काम को हम सब सम्मिलित रूप से करें, गवर्नमेंट और हम सब इसके पीछे लड़ें, स्टेट्स में जाकर हम इसके पीछे लगें और हो सके तो इसको आज ही खत्म कर दें। अगर ऐसा नहीं होता है तो डेमोक्रेसी का नाम लेने के काबिल हम नहीं रह जायेंगे। बापू ने कहा था और विनोबा जी ने भी आन्दोलन चलाया है कि भंगी की इस काम से मुक्ति होनी चाहिये, उसकी दशा सुधारी जानी चाहिये। मैं चाहती हूं कि इसके लिए एक मजबूत कार्यक्रम बनाया जाए और स्टेट्स की इस मामले में मदद की जाए, उनको आदेश दिये जायें, उनको कम्पैल किया जाए, उनसे कहा जाए, कि इस काम को वे जल्दी से जल्दी खत्म करें।

Shri P. Kunhan (Palghat): Mr. Deputy-Speaker, we have been discussing every year the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the floor of this House. This is the 12th Report.

Every year the Report deals exhaustively with matters concerning these unfortunate people and it tends to show that the Government is doing everything to improve the lot of these downtrodden people. The Government claims to adopt various measures and steps to redress the grievances of the backward communities all these years.

A cursory reading of these reports will create in the minds of people the impression that the standard of these unfortunate people has almost come to the level of the other sections of society. But what is the reality? After 17 years of freedom and 13 years of planning, these poor communities are still suffering from a lot of difficulties and disabilities. For example, most of the Harijans are agricultural labourers. So they are under the mercy of landlords. There is the Report of the Second Agricultural Labour Inquiry Committee which was submitted to Parliament in 1960. So far Government has not implemented it in any State. This is a very serious matter. I request Government to implement the report of the Committee as soon as possible.

[Shri P. Kunhan.]

The Government further claims to have spent crores of rupees for the cause of these people. However, Government does not even have accurate reports from the States regarding the progress made from time to time. This is what the Commissioner says on page 42 of the Report on this matter:

> "Besides, these reports continue to suffer from the defects and inaccuracies pointed out in the previous Reports. The need for preparing accurate Progress Reports within the time prescribed by the Government of India have been stressed from time to time. This question was also discussed at the last conference of State Ministers and it has been decided that the Progress Reports should be shown to the concerned Minister and the Chief Minister before they are forwarded to the Government of India. There is no evidence to show that this procedure is being followed by the State Governments".

This only shows the callous attitude of the State Governments towards this problem, which is one of the most important social problems of our time. I have quoted an official report which also puts the blame on the State Governments. The report even complains that State Governments take inordinate time to give clarifications asked by the Commissioner on the basis of State reports. The report mentions that it took the Government of Kerala nearly 30 months to give clarifications in regard to the progress report for the year 1959-60. This is a very serious matter. It shows how the work is going on. So, Government should take some steps to get these progress reports in due time.

In Kerala, a large number of schools are being run by the Harijan Department, and there are many Harijan teachers working under this department. In spite of 14 or 15 years of service, they are still temporary. The Government says that the Harijan Department itself is temporary, and therefore the teachers are not getting permanency. It is a very serious thing. I appeal to the Minister to consider this matter and give permanency to these teachers.

In Kerala, the Harijan teachers are not governed by the Kerala Education Rules which are applicable to all the other teachers in the State. I appeal to the Government to consider this problem also.

In Kerala, the Harijan teachers are also supposed to collect students from their residences. Two teachers have been suspended by the Harijan Department for not doing this type of work, and the cases are still pending. This kind of thing is going on in the Harijan Department. They are working under the Harijan Department, and they belong to the Harijan community. The Department itself is giving them lots of trouble. So, I appeal to the Government to take necessary steps to give protection to the Harijan employees working under the Harijan Department.

I would like to say something about the housing problem. There are so many evictions taking place in India, particularly in Kerala. The report itself says:

> "In our fast developing towns, it is not possible for the scheduled castes to acquire house sites at the prevalent high prices. They are therefore forced to choose sites located on the outskirts of towns and cities, with the result that they are not only segregated but their economic development is also handicapped."

This only highlights the need for immediate steps to improve the economic conditions of this strata of the population. However, the efforts made by the Government are extremely inadequate. This lowest ladder of our

society is even now suffering from all the social ills. Merely showing of films and making long speeches full of tall claims will not help in any way in improving the lot of these people. I would sincerely request the Government to take concrete measures so that these people are economically better off instead of paying lip sympathy to the scheduled castes and scheduled tribes. This section of the society should not be looked upon as mere voters, but as citizens of a civilised community.

I again appeal to the Government to take necessary steps and show some sympathy to the Harijan community.

Shrimati Renuka Ray (Malda): This report of the Secheduled Castes and Scheduled Tribes Commissioner is a very sad commentary on the work that we have done all these 17 years since Independence to help the weaker sections, the backward classes of this country, to be integrated with the rest of the community through special welfare services for them. As one reads through page after page of this report, one is filled with a sense of gloom.

Firstly, what does it say about democratic decentralisation, panchayati raj and panchayat procedures? It says that since these have come into existence, in some of the States, the standing committees that are supposed to deal with this particular subject do not even meet. It goes on to say that even where standing committees meet, nothing much is done and at present the money for these purposes in many places remains unutilised.

In the Third Plan, I think Rs. 114 crores have been given for the purpose of the welfare of the backward classes, *i.e.* the scheduled castes and scheduled tribes. In a poor country like India it is not a very insubstantial sum. Had it been put to proper use, perhaps we could have got some results commensurate with it, but unfortunately, as this and earlier reports reveal, we have not been able to go for.

There have been so many evaluation teams. There was the Social Welfare Team for social welfare and welfare of backward classes, there was the Dhebar Commission's report, the Elwin report on tribals, but none of these recommendations seems to have been taken seriously, at least those which were vital, with the result that we are just where we were.

Let me just dwell on one factor. We speak in terms of a socialist society, and yet in this country untouchability exists today. Article 17 of our Constitution says:

> "'Untouchability" is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of "Untouchability" shall be an offence punishable in accordance with law.'

But, what are the true facts? It is true that untouchability as it used to prevail no longer prevails in India, but it is the momentum of Gandhiji's movement which has carried us so far rather than any special efforts we have put in since Independence. Is it not a fact that we have become rather complacent on this subject? We feel that we have made adequate reservations for scheduled castes and scheduled tribes in the services and in th legislatures, but as to the manner in which we are going to bring about the integration of these people with the rest of India, our attitude is something very different. We seem indifferent to the most vital issue.

This report gives a long list of States where untouchability still prevails, particularly the offence of not allowing the scheduled castes and scheduled tribes people to utilise public wells. I know of cases where wells that have been dug with money for the scheduled castes or tribes, are not used by them except when inspectors go round, and afterwards, some kind of puja is done, and the wells are utilised again

[Shrimati Renuka Ray]

by others. That kind of thing is still continuing.

Shri Maurya: They deserve nothing but bullets.

Shrimati Renuka Ray: What is more serious is that it is not merely social backwardness, but along with it comes economic backwardness. There is differentiation; we do not take proper cognisance of it. Even among the scheduled castes or scheduled tribes whose economic conditions have changed and where progress has come, their conditions are not only better but sometimes more satisfactory than of other poor people; therefore, we become complacent. But there are still persons who are still backward. My sister spoke about scavengers. There are also other communities where they are still backward and untouchability still prevails in some parts of the country. It is no use being like the proverbial ostrich, burying one's head in the sand so as not to look at unpleasant things. We have abolished untouchability under the Constitution; the laws are also there. But the social conscience has not changed sufficiently with times. Otherwise, the laws that we pass, whether they deal with the question of women or any other weaker sections of the community, are not fully operative and sometimes only wishful thinking. Until the social conscience is aroused, things will not improve. We did behave like that when the struggle for Independence was on in this country and Gandhiji and other leaders were in the struggle. There was a movement to bring about social consciousness. To the need of change today what has happened? We have simply forgotten the things that we had learnt and that is why things are not very good. There is a record of all the things that are still not done, in this Report. Unfortunately, so difficult are the things in this particular matter that the Deputy Minister, while introducing this Report, made an excuse that because for one year this report could not be printed; it has come so late before this House. For one year the Government of India Press could not print this report. That is the biggest indictment against the Government that we could not print this report for one year and that is why we are considering this report after two years.

I have not much time at my disposal. But I have to say that there are cases that have come to my notice and to the notice of those who went round this country on the team of social welfare and backward classes. That was in 1959. After five years, when I go round the country, I find the same conditions are still there; they have not changed. It may be said: you are presenting a distorted picture. I do not want to present any distorted picture of things. There is no doubt that many things have improved; there is also no doubt that many things have not, and it is for us to focus the attention of the country on them. A new department of social security had been set up in the Centre, flowing out of the recommendations of our team for an integrated Ministry. I am glad about it; I welcome it. But instead of stopping there and not printing the report also for the next year or the year after that, it would be better if the objectives that we have before us are clearly defined and brought before this House in a social-welfare policy statement. If the broad social purpose of those objectives are laid down properly, instead of being mere wishful thinking, perhaps we may be able to go ahead. So far we have had a mere programme-oriented approach on which we have worked out programmes. We have had a certain number of welfare schemes, some of which have been successful, some others not successful in any way. Are we generating welfare among the people who have been left behind? And for whom we are making these special efforts? Only when we have generated it, we can say that these people

can take their place as normal citizens in the community when there will be equal opportunities for them. Only then we can say that social justice is on the way. We have fought long and arduously for social justice, long before Independence. But even today it has not come. There are certain things in which I consider that we have taken retrograde steps, contrary to the goals that we have set before us. I have talked about national integration. For instance, we have pointed out the need for abolishing separate hostels for the scheduled castes and scheduled tribes. I understand that on paper these have been abolished, but not in fact. How many hostels are there for which funds are earmarked and in which all communities stay actually? Should this not be done in the formative years of children's life so that they may be there in the same school and in the same hostel? Unless the welfare service standards are equal for all citizens, we cannot accept that we can go ahead. So lang as this terrible blot remains on the fair name our country, we cannot by any means go forward to build a society on socialist and democratic lines.

With these words, I hope that this new department will understand the implications of a real welfare service, implications through which welfare can be generated to all groups who are the weaker elements in society and that they will be able to give a much better record next year when we discuss this subject again.

श्री प० ला० बारूपाल (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की बारहवीं रिपोर्ट पर, जो 24 नवम्बर, 1964 को सभा की टबल पर रखी गई थी, इस समय बहस हो रही है । हमारे बहुत से सदस्यों ने इस पर प्रकाश डाला है और मैं समझता हूं कि और भी सज्जन अभी इस रिपोर्ट पर बोलने वाले हैं ।

सन् 1952 से लगातार मैं पार्लियामेंट का मेम्बर चला आ रहा हूं । मैंने सर्वप्रथम यह मांग की थी कि कम से कम सरकार यह व्यवस्था कर दे कि जो सैकड़ों वर्षों से शहरों के अन्दर जो हरिजन आबादी है और जिन्होंने पक्के मकान बना लिये हैं, उन मकानों का मालिक और उस जमीन का मालिक उन्हें बना दिया जाय लेकिन आज तक हमारी सरकार ऐसी व्यवस्था करने में असमर्थ रही है । यह कितने शर्म की बात है ?

विशेष रूप से मैं राजस्थान के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं क्योंकि वहां यह अस्पृश्यता का कलंक काफ़ी गहरा लगा हुआ है । राजस्थान एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है वैसे मैं मानता हूं कि अनेकों और भी उसी प्रकार के पिछड़े इलाके देश में विद्यमान हैं लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि वहां पर अस्पृश्यता बहुत मौजूद है । वहां पर हरिजन आज किस तरीके से जी रहे हैं उसका मैं कुछ जिक्र करना चाहूंगा । उन्हें सवर्णों द्वारा कुओं का पानी तक नहीं लेने दिया जाता है और हालत यह बन रही है कि वहां के हरिजन पानी तक के लिए उन सवर्णों की दया पर निर्भर करते हैं । अगर सवर्ण लोगों ने दया करके लोटा भर पानी दे दिया तो उससे वह बेचारा अपनी प्यास बुझा सकता है । वरना उसको प्यासा रहना पड़ता है । प्राइवेट कुओं की ही केवल यह स्थिति नहीं है बल्कि मजा तो यह है कि स्वयं सरकार द्वारा निर्मित कुओं से भी हरिजन अपने आप पानी नहीं ले सकते हैं ।

पार्लियामेंट में इस बात का जिक्र हो चुका है कि गांव झन्जेऊ में हमने इस दिशा में थोड़ी सी चेष्टा की और सरकार का सहारा लिया । वहां पर इतना संघर्ष हुआ कि आज तक हम उसकी बदौलत मौत के मुंह में बैठे हुए हैं । आज तक लोग हमको चैलेंज करते हैं । वहां पर जब एक हरिजन कुएं पर

[श्री प० ला० वारूपाल]

पानी लेने के लिए चढ़ा, तो उसको गोली से मार दिया गया है। आज तक वह कातिल फरार है। उसने और भी तीन आदमियों को मारने की धमकी दी है। राजस्थान सरकार उस बागी को पकड़ने के लिये लाखों रुपया खर्च कर चुकी है, लेकिन सफल नहीं हुई है, क्योंकि वह व्यक्ति पाकिस्तान में शरण पा रहा है। उसको पकड़ने के लिये एक आदमी लाया गया, जो कि ईमानदार था और मजबूत था ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : बागी का नाम भी बता दीजिए ।

श्री प० ला० वारूपाल : ठाकुर जसवन्त सिंह ने बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम किया, लेकिन सवर्ण लोगों और पुलिस वालों ने मिल कर उस को उस पद से टटा दिया। वह हत्यारा आज तक काबू में नहीं आया है। क्या यह संसद् और यह सरकार इस बात की व्यवस्था नहीं करा सकती है कि जो व्यक्ति छः आदमियों को मार कर पाकिस्तान की शरण में चला गया है, आई० जी० और अन्य उच्च अधिकारी मिल कर उसको सरेंडर करायें ? अगर यह सरकार इतना भी नहीं कर सकती है, तो फिर वह और क्या कर सकती है ?

आज हरिजनों की हालत यह है कि उनके उद्योग धंधों को राष्ट्रीयकरण के नाम से लिया जा रहा है। मैं सीधा आरोप लगाता हूं कि खादी बोर्ड और दूसरी संस्थाओं के जरिये जो काम होता है, उसके कारण हरिजनों के हाथों से उनके धन्धे धीरे-धीरे निकलते जा रहे हैं। सवर्ण लोग उन धन्धों में चले जा रहे हैं और हरिजनों को कोई दूसरा धन्धा नहीं मिलता है। नतीजा यह है कि हरिजन बेकार हो रहे हैं। अगर मैं यह कह दूं कि सरकार हरिजनों के लिए ईस्ट इंडिया कम्पनी के समान है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसकी नीति से हरिजनों को नुकसान हो रहा है, फ़ायदा नहीं हुआ है ।

हरिजनों, आदिवासियों और मेहतर भाइयों की हालत बताने के सम्बन्ध में मेरे मन में विचार तो बहुत हैं, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाता हूं। आज बहुत से हरिजन पढ़-लिखे हैं, लेकिन उनको नौकरियों में जगह नहीं मिलती है। उनको इन्टरव्यू में नहीं बुलाया जाता है। बहुत एप्लीकेशन्ज़ देने पर भी सरकारी अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। प्रत्येक राज्य में समाज कल्याण कार्यालय खुले हुए हैं, जिनमें डायरेक्टर, एसिस्टेंट डाइरेक्टर, सहायक आफ़िसर आदि, न जाने कितने लोग काम करते हैं। उनके द्वारा प्रचार और प्रापेगेंडा के लिये बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन रुपये में दो आने भी हरिजनों पर खर्च नहीं होते हैं ।

मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि बाबू जगजीवन राम के नाम से मैं एक जगजीवन छात्रावास चला रहा हूं। मुझ प्राथमिक सहायता के लिये प्रयत्न करते तीन वर्ष हो गए, लेकिन अभी प्राथमिक सहायता नहीं दी गई है। उस के बिलों में पचास प्रकार की अड़चनें डाली जाती हैं कि यह नहीं है, वह नहीं है ।

जहां तक हरिजनों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों का सम्बन्ध है, बहुत शिकायतें की जाती हैं कि वास्तव में छात्रवृत्तियां नहीं दी जाती हैं, बल्कि कुछ लोग झूठे दस्तख़त करके खुद रुपया ले लेते हैं। मैं इसके कई उदाहरण दे सकता हूं ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट में कुछ नहीं है। मैं तो यह समझता हूं कि जो कुछ सिफारिशें इसमें की गई हैं, अगर सरकार उन पर भी अमल करे, तो हरिजनों को बहुत लाभ हो सकता है। आज स्थिति यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर जो सिफ़ारिशें करते हैं, वे लागू नहीं होती हैं। सरकार काम करने की बात कहती है, लेकिन करती नहीं है। आखिर यह काम करने का उत्तरदायित्व किस पर है ? अगर सरकार किसी बात का आदेश दे या सिफ़ारिश करे, और वह न मानी जाये, तो फिर सरकार किस बात की ?

आज हरिजनों में यह धारणा हो गई है कि :

हाय विधना दुख कासे कहूं,
सरकार कहूं पर सरकार नहीं।
कुछ घूंस सूं ठूंस के जेब भरे,
ये जमें हैं ओहदेदार नहीं।
आवत जो एन्कवारिन कों,
उन का भी कुछ इतवार नहीं।
पोल मची सब दफ्तर में,
हम कहने के हकदार नहीं।

हमने सरकार बनाई, हम ने ही सब कुछ किया, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है, यह अजीब स्थिति है ।

मुझे खुशी है कि एक पृथक सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय खोला गया है। मैंने पहले भी कहा है कि जब सरकार ने शरणार्थियों की इतनी बड़ी प्राबलम को अपने हाथ में लिया और लाखों करोड़ों शरणार्थियों को बसा दिया और उनके लिए अच्छी व्यवस्था कर दी, तो ये जो आठ करोड़ हरिजन दीन-हीन और बिना मां-बाप के बने हुए हैं, क्या सरकार उनकी समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नहीं कर सकती ? क्या यह इतनी बड़ी समस्या है ? बहुत दिनों से यह मांग की जा रही है कि हरिजनों की समस्याओं को हल करने के लिए एक पृथक मंत्रालय खोल दिया जाये ।

माननीय सदस्य, श्री बाल्मीकी, ने एक सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया है । परन्तु प्रश्न यह है कि जो काम किसी अधिकारी के सुपुर्द किया जाता है, अगर वह उसको पूरा नहीं करता है, तो उसके खिलाफ़ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है । उसके खिलाफ़ एक्शन लिया जाना चाहिए । उदाहरण के लिए केन्द्रीय सरकार की तरफ से प्रदेश सरकारों को जो सहायता दी जाती है, उसका पूरा उपयोग नहीं किया जाता है और साल समाप्त होने पर बहुत सा रुपया बच जाता है । वह पूरा रुपया इसलिये खर्च नहीं करते हैं कि उनकी नीयत अच्छी नहीं है और वे काम नहीं करना चाहते हैं । विभागों में जो आफ़िसर लगे हुए हैं, वे एन्टीहरिजन होते हैं । हरिजनों का काम करने के लिये उनकी मुखालफत करने वाला और नालायक आदमी भेज दिया जाता है, । मैं दुखी आदमी हूं, इसलिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं । पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं होता है । आखिर सरकार इस बारे में कड़ा नियंत्रण करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाती है ।

अगर पन्नालाल बारूपाल एम० पी० बन गया, सौ आदमी और एम० पी० बन गये, डेढ दो हजार एम० एल० ए० बन गए और कुछ पंचायतों में चले गये, तो इसमें हरिजनों की समस्या का समाधान नहीं होगा । इससे कुछ आदमियों का पेट भर गया, लेकिन हरिजनों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। हरिजनों की समस्या का समाधान तब होगा, जब कि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार किया जायेगा । मैं बार-बार कहता हूं कि हमको इस देश में आर्थिक क्रांति, सामाजिक क्रांति और धार्मिक क्रांति करनी

[श्री प० ला० बारूपाल]

पड़ेगी । लेकिन सरकार इन नामों से घबराती है कि पता नहीं इस मुल्क में कौन सा तूफान आ जायेगा, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, पता नहीं हमारी गवर्नमेंट रहेगी या नहीं । आखिर सरकार को इन बातों से भय क्यों लगता है और वह यह दब्बू नीति क्यों अपनाए हुए है ?

यह ठीक है कि हमारा धर्म निरपेक्ष राज्य है और हमको सबकी इज्जत करनी चाहिए और सब लोगों को समान अवसर देने चाहिएं। लेकिन हम लोगों के लिए कोई समानता का सवाल नहीं है । आज गांवों में हरिजनों की यह स्थिति है कि मानवता थर्रा रही है। वे बेकारी और भुखमरी के शिकार हो रहे हैं ।

आज महंगाई भी बहुत बढ़ रही है । मैंने एक बजट बनाया था, जिसको लाना मैं भूल गया हूं । अगर कोई मामूली से मामूली आदमी मिट्टी का तेल जला कर मोटे अनाज की रोटी खाए, तो भी 120 रुपये से कम उसका बजट नहीं बनता है । तो फिर जिस भंगी को चालीस, पचास या साठ रुपये दिये जाते हैं, उनका गुजारा कैसे होगा ? इसी कारण ऐसे लोगों को मजबूर हो कर कई प्रकार के बुरे काम करने पड़ते हैं और इसी कारण समाज में दुराचार, अनाचार तथा भ्रष्टाचार फैलता है । आखिर मरता क्या न करता ? लोग भूखे मरने से बचने के लिए अपनी इज्जत भी बेच देते हैं । महंगाई को रोकने में सरकार असमर्थ रही है । कहने के लिए बड़े-बड़े प्लान बनाए जाते हैं, कमिशन बिठाए जाते हैं, कमेटियां बनाई जाती हैं, जिन पर इतना अननेसेसरी खर्च होता है, लेकिन रिजल्ट जीरो निकलता है ।

सरकार जिस बात को खत्म करने की कोशिश करती है, वह बढ़ती जाती है । नन्दा जी ने कहा कि मैं दो साल में भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, नहीं तो इस्तीफ़ा दे दूंगा । आज छः आठ महीने हो गए, इतना समय हो गया, लेकिन क्या भ्रष्टाचार में कमी हुई है ? तो फिर उस प्रतिज्ञा का क्या होगा ? भ्रष्टाचार की यह हालत है कि मैंने यहां तक सुना है कि सदाचार समिति में भ्रष्टाचार होता है ! जो लोग नन्दा जी को मिलने के लिए जाते हैं, चपरासी उनसे पैसे ले लेते हैं । कई मामले पकड़े गए हैं । इस प्रकार भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा ?

श्री नवल प्रभाकर (दिल्ली–करोलबाग़): इसका हरिजनों से क्या सम्बन्ध है ?

श्री प० ला० बारूपाल : क्यों नहीं सम्बन्ध है ? मुल्क की सब समस्याओं का हरिजनों से सम्बन्ध है ।

मैं सभा-पटल पर ऐसे कई लोगों के नाम रख सकता हूं, जो बी० ए०, एल० एल० बी० हैं, जिन की पांच छः फुट की बाडी है, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है ।

बहुत अच्छे हैं फिर भी बेचारे बेकार फिर रहे हैं, उनको करने के लिए कुछ काम नहीं मिल रहा है । व परेशान फिरते हैं । भाषणों से उनकी तसल्ली नहीं हो सकती है । उनके दिलों में एक टीस है और इतना कहने से उनको सन्तोष नहीं हो सकता है कि कोशिश हो रही है । मैं लच्छेदार भाषण नहीं कर सकता, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं साहित्यकार नहीं हूं । मैं तो हरिजनों के दर्द को जानता हूं । उनके लिये सरकार को सभी प्रकार के साधन जुटा कर जल्दी से जल्दी उन्नति करने का प्रयत्न करना चाहिये । अभी भी वक्त है कि उनके लिये कुछ कर दिया जाए । आज कांग्रेस का राज है और शायद् आगे भी रहेगा । हरिजन हमेशा आपके साथ रहे हैं और अगर आपने अच्छा काम किया तो हमेशा आपके साथ रहेंगे । आप उनके वोटों से ही जीत कर आए हैं ।

लेकिन अगर उनके लिए आपने कुछ नहीं किया तो वे आपका साथ देने वाले नहीं हैं। सरकार आज हरिजनों के बलबूते पर ही टिकी हुई है। अगर उनका समर्थन इस सरकार को मिलना बन्द हो गया तो लुढ़कते हुए पता भी नहीं चलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप उनके लिये कुछ करें। आदिवासी और हरिजनों के लिये कुछ करें।

कुम्भा राम जी को जिताने वाले हरिजन ही हैं। वह वहां पर राजस्व मंत्री बने हैं। उनकी घोषणा मैंने पढ़ी है जिसमें उन्होंने कहा है कि भविष्य में वह उनके लिए 25 प्रतिशत जमीन सुरक्षित रखेंगे और 25 प्रतिशत पिछड़े हुए लोगों के लिए रखेंगे। इस एलान के लिए वह बधाई के पात्र हैं। अब देखना यह है कि वह इसको कार्यान्वित भी करते हैं या नहीं और अगर करते हैं तो कब करते हैं। अगर उन्होंने इस फैसले को कार्यान्वित किया तो काफी समस्या जो राजस्थान की है, वह हल हो सकती है। यह मैंने वैसे ही कह दिया है। इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री मौर्य : श्रीमान अध्यक्ष जी, 1962-63 की शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज की रिपोर्ट पर हम 1964 में इस सदन में बहस कर रहे हैं। यह रिपोर्ट छप कर 31 अक्तूबर, 1963 को तैयार हो गई थी। यह इस बात की साक्षी है कि भारत सरकार, कांग्रेस सरकार, अछूतों के प्रति, शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों के प्रति बहुत ही उदासीन है। लिखने में चाहे कुछ भी लिख दिया जाए, लेकिन करनी में वह बिल्कुल ही उदासीन है।

मैं सरकार पर ज्यादा टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। लेकिन इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि सरकार हमारे संविधान की अवहेलना क्यों करती है? हमारे संविधान के डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्ज के आर्टिकल 46 में लिखा है :

Article 46: Promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections: The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.

यह देश का संविधान कहता है। आज आजादी हुए सत्तरह वर्ष से भी अधिक हो चले हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं किस तरह बरस की आजादी के बाद भी आज अछूत कहे जाने वाले लोगों की क्या परिस्थिति है, उनका समाज में क्या स्थान है, उनकी आर्थिक अवस्था कैसी है, उनके अन्दर विद्या का प्रकाश कैसा है, समाज में उनका तिरस्कार और शोषण किस तरह से होता है? यह रिपोर्ट हमारे सामने है, यह इन सब चीजों का बखान करती है। यदि इन सब बातों को मैं पढ़ूं और पढ़ कर आपको सुनाऊं तो न केवल मेरा सारा समय इसी में चला जाएगा बल्कि हो सकता है जो कि बातें इस में लिखी हैं, उनसे इस सदन का वातावरण भी दूषित हो जाय।

अगर रिपोर्ट्स को सामने रख कर आज की बात को सोचेंगे तो मुझे यह कहने पर उतारू होना पड़ेगा कि यह भारत सरकार अछूतों के प्रति नितान्त उदासीन है। उदासीन इसलिए नहीं है कि उसकी यह फितरत है, बल्कि इसलिए कि जो रिजर्वेशन हुआ है किसी कारण, किन्हीं महान पुरुषों के कारण, उस में न जाकर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो लोग रिजर्व सीटों से चुन कर पार्लियामेंट और असैम्बलियों में आते हैं, वे आजकी सरकार के खरीदे हुए होते हैं, उनकी आवाज में इतना बल नहीं होता कि जितना होना चाहिये। अगर तमाम के तमाम वे लोग एक आवाज से अछूतों की बात को कहें

[श्री मौर्य]

तो यह सरकार मजबूर हो जाएगी तमाम बातों को मानने के लिए जो कि शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ की रिपोर्ट में लिखी गई हैं । तमाम की तमाम (रिकमेंडेशंज़) सिफ़ारिशें इसमें मौजूद हैं । हर साल इस तरह की रिपोर्ट सदन में आती है और हर साल उन पर चर्चा होती है और हर साल उनको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाता है । कोई भी ध्यान उनकी तरफ नहीं दिया जाता है ।

अछूत आज कौन हैं ? अस्पृश्यता का कानून बना हुआ है । अभी एक माननीय सदस्या गुजरात की बोल रही थीं । मैं भी गुजरात में अभी चार पांच तारीख को गया था । वहां पर जो आन्दोलन रिपब्लिकन पार्टी ने छेड़ा है कुरीतियों के विरुद्ध उसी आन्दोलन के सिलसिले में मैं वहां गया था । वहां पर ग्राम पंचायत के सदस्यों ने जो अछूत बिरादरी के हैं मुझे बताया कि वे पंचायतों के सदस्य तो अवश्य हैं लेकिन आज तक कभी भी पंचायत की मीटिंगों में उनको बुलाया नहीं गया है । यह जूनागढ़ जिले की पंचायतों का हाल है । उन्होंने मुझे यह भी बताया कि छुआछूत इस कदर अधिक है कि अगर हम दूकान पर जाकर गेहूं की ढेरी में हाथ डाल कर भाव पूछते हैं तो हमारा हाथ तोड़ दिया जाता है । मैंने स्वयं जानकारी प्राप्त की है कि कुओं से वे लोग पानी नहीं भर सकते हैं । यह उन कुओं का हाल है जो सरकारी रुपये से, सरकारी मदद से बनाये गये हैं । उनको जाकर नदियों में से पानी भरना पड़ता है, नालों में से पानी भरना पड़ता है ।

आजकल क्या व्यवस्था है, इसको भी आप देखें । यह अस्पृश्यता के बारे में है । पन्ना तीन पर इस रिपोर्ट के एडवाइज़री कमेटी का ज़िक्र किया गया है । प्रान्तों में जगह जगह एडवाइज़री कमेटीज़ बनी हुई हैं । वे भत्ते तो ले लेते हैं, नौकरियां भी ले लेते हैं लेकिन उन एडवाइज़री कमेटियों की बैठकें ही नहीं होती हैं, वे मीट ही नहीं करती हैं । आन्ध्र प्रदेश के बारे में कहा गया है कि मीटिंगों की सूचना ही नहीं मिली है । विभिन्न राज्यों में मीटिंगों के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है:-

Assam, not available; Bihar, once; Gujarat, twice; Jammu and Kashmir, nil; Kerala, three times—progressive—Madhya Pradesh not available; Madras, not available; Maharashtra, once; Mysore, not available; Orissa, nil; Punjab, nil; Rajasthan, once; Uttar Pradesh, nil; West Bengal; once; Delhi, not available; Himachal Pradesh, not available; Manipur, twice and Tripura once.

नीचे यह कहा भी है :

"It would be observed from the above Table that no meetings of these committees were held in Jammu and Kashmir, Orissa, Punjab and Uttar Pradesh. It is to be regretted that these committees do not meet regularly as provided for in the rules. As discussions held at these meetings very much help in assessing the progress made in the implementation of various programmes, it is important that they should meet regularly."

14.46 hrs.

[DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

जहां पर not available लिखा है, उस का अर्थ भी यही है कि बैठी नहीं है । 19 प्रान्तों के बारे में तथा केन्द्रीय सरकार का जहां निज़ाम चलता है, उन में भी अधिकतर स्टेट्स ऐसी हैं जहां कोई मीटिंग नहीं हुई है । यह इस बात का साक्षी है कि किस तरह से वहां पर अधिकारीगण उदासीन हैं । मैं सोचता हूं कि यह जो पंचायती राज है जिस को राम राज का प्राण कहा जाता है यह भी छुआछूत को कायम रखने, इस को फैलाने

में, अछूत कहे जाने वाले लोगों का शोषण करने में बहुत बड़ा हाथ रखता है। पन्ना 7 पर इस रिपोर्ट के बहुत कुछ लिखा हुआ है। इस के बारे में अधिक नहीं कहना चाहता हूं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं :

Decentralisation of power is not in the interests of the weaker sections of society.

14.47 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

वे लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो छुआछूत करना अपना धर्म समझते हैं, जो अछूतों के साये से अपवित्र हो जाते हैं, जो इस तरह की भावनायें रखते हैं, उन्हीं लोगों के हाथ में जब राजनीतिक सत्ता आयेगी, वही लोग जब पंचायतों में आये हैं, जिला परिषदों में आये हैं और आयेंगे तो कभी भी अछूत कहे जाने वाले लोगों के साथ न्याय नहीं हो सकता है। जगह जगह पर कलैक्टर्ज को, कमिशनर्ज को यह ताकत दी जानी चाहिये कि पंचायतों के जो सरपंच हैं, वे जो कुछ भी फैसले लें, या पंचायतें जो कुछ भी फैसले लें, वे अगर अछूतों को जमीन नहीं देते हैं, बेकार पड़ी हुई परती जमीन नहीं देते हैं या और चीज नहीं देते हैं या उन का शोषण करते हैं तो उन के फैसले के खिलाफ वे अपनी राय दे सकें और लागू कर सकें।

इस रिपोर्ट में बहुत सी बातें दी गई हैं। अगर मैं इस को कोट ही करता रहूंगा तो बहुत सी बातें मेरी रह जायेंगी। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय इस रिपोर्ट पर गहराई से विचार करने के लिए एक विशेष कमेटी बिठायें।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ने एक आन्दोलन छेड़ा है जिस का तजकरा यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने किया है। उन को मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारी कोई नई मांगें नहीं हैं। जो कुछ भी कांग्रेस कहती है उस को ही हम करवाना चाहते हैं। छुआछूत विरोधी कानून है, अनटचेबिलिटी आफेंस एक्ट है लेकिन कितने लोगों को स्टेट्स में कांग्रेस सरकारों ने सजायें दिलाई हैं। अगर इस चीज को देखा जाय तो पता चलेगा कि न के बराबर ही सजायें हुई हैं। समुद्र में एक बूंद के बराबर भी उन को जो छुआछूत करते हैं, सजायें नहीं दी जाती हैं। आज देहात देहात में छुआछूत है। श्री जगजीवन राम जी ने कल ही नागपुर में कहा कि देहात देहात में आज भी छुआछूत नजर आती है। छुआछूत है, देहातों में है, शहरों में है, सरकारी दफ्तरों में है, अदालतों में है जहां पर इन्साफ होता है वहां पर भी छुआछूत है। वहां आज भी अछूत वकील शीशे के ग्लास से पानी पीता है, पिछड़े वर्ग का वकील शीशे के ग्लास से पानी पीता है, लेकिन ब्राह्मण वकील, उच्च कोटि का वकील पीतल के ग्लास में पानी पीता है। जब कचहरियों में इस तरह से छुआछूत चलती है तब वहां इन्साफ किस तरह से होगा। ठीक आप के नाक के नीचे, सैक्रेटेरियट में एक दफ्तर है जहां अछूत कहे जाने वाले लोगों के लिए अलग शीशे के ग्लास हैं जबकि बड़ी बिरादरी वाले लोगों के लिये पीतल के ग्लास हैं। यहां इस प्रकार से छुआछूत चलती है लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई जाती।

बेकार अछूत लोगों, पिछड़े वर्ग के लोगों और अन्य लोगों को जोकि खेतहीन मजदूर हैं, को ठीक से उठाया जाना चाहिये बेकार जमीन उन को बांट देना चाहिये यह हम लोगों ने मांग की है। आज करीब तीस हजार रिपब्लिकन वालेंटियर देश के कोने कोने में गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारी यह मांग है कि बेकार जमीन खेतहीन मजदूरों में बांट दो ताकि ज्यादा से ज्यादा उपज हो सके, और जो ज्यादा से ज्यादा शोषण इन लोगों का होता है वह कम हो सके। देश

[श्री मौर्य]

से भुखमरी समाप्त हो जाय अगर आप इस मांग को मंजूर नहीं करेंगे तो कानून टूटता है या नहीं इस की परवाह किये बिना हम बेकार जमीन पर जबरन कब्जा कर लेंगे । परती जमीन पर हम जा कर कब्जा कर लेंगे ताकि हम लोगों का शोषण समाप्त हो सके ताकि देश से भुखमरी समाप्त हो जाय । इन्हीं सब चीजों को ले कर हम आन्दोलन चला रहे हैं । मुझे इस बात का अफसोस है कि कांग्रेस सरकार कहती तो बहुत कुछ है लेकिन आज तक इतनी मांग करने पर भी कोई हक इन शोषित लोगों को नहीं दिया गया है । अगर सरकारी आंकड़ों को देखा जाये तो उन को पढ़ते हुए मुझे शर्म आती है । मुझे मालूम नहीं है कि कांग्रेस सरकार के इस मंत्रालय को जिस की देख रेख में यह काम चलता है उस को शर्म आती है या नहीं । कहीं पर 1 फी सदी, कहीं पर $1\frac{1}{2}$ फीसदी, कहीं पर $\frac{1}{2}$ फी सदी जगहें इन अछूतों को सरकारी नौकरियों में दी गई हैं । क्या वजह है कि जो 12 फीसदी रिजर्वेशन आप ने दिया है वह पूरा नहीं किया जाता । वह पूरा होना चाहिये । क्या आप चाहते हैं कि इस देश में अछूतों को उन के अधिकार न दिये जायें । मैं जानना चाहता हूं कि आज तक रिजर्वेशन क्यों नहीं पूरा हुआ । आज यहां पर अछूत कहे जाने वाले ला ग्रैजुएट्स और बैरिस्टर्स हैं लेकिन आप उनके लिये यह कह कर कि वे अप टु दि मार्क नहीं हैं उन को नहीं लेते हैं । अगर आप को ग्रैजुएट लेने हैं तब उन को लेते समय आप को यह खयाल क्यों नहीं होता कि उन के साथ भी न्याय किया जाना चाहिये । अगर उन में औरों के मुकाबले कोई कमी न हो तो उन को क्यों नहीं लिया जाता ।

कुछ क्षणों के लिये कुछ लोग पूर्वी बंगाल (पाकिस्तान) से रिफ्यूजी बने तो उस के लिए अलग मंत्रालय बना दिया गया । मुझे इस का कोई अफसोस नहीं है कि उन के लिये अलग मंत्रालय बना बल्कि मुझे खुशी है, लेकिन जो लोग हजारों वर्षों से रिफ्यूजी हैं, धर्म के नाम पर, सभ्यता के नाम पर, तहजीब के नाम पर, तमद्दुन के नाम पर, जिन का यहां हर तरह से शोषण हुआ है, उन के लिये कोई अलग मंत्रालय क्यों नहीं बना है ? उन के लिए एक विशेष मंत्रालय कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर की देख रेख में बनना चाहिये था ताकि करोड़ों अछूत कहे जाने वाले लोगों का उद्धार हो सके । अगर ऐसा नहीं हुआ और उन का शोषण होता रहा तो यहां पर क्रान्ति हो कर रहेगी । आप क्रान्ति को डी० आई० आर० लगा कर बन्द नहीं कर सकते । मुझ को तो डी० आई० आर० में बन्द कर दिया । क्या मैं ने किसी की भैंस खोली थी, क्या मैं ने किसी की गाय खोली थी . .

अध्यक्ष महोदय : यह पब्लिक मीटिंग नहीं है कि इस तरह के शब्द कहे जायें ।

श्री मौर्य : मैं जानना चाहता हूं कि मैं ने किस की भैंस खोली . . .

अध्यक्ष महोदय : अगर मैं कुछ कहना चाहता हूं तो माननीय सदस्य मेरी बात भी नहीं सुनेंगे । आप इस तरह के शब्द पब्लिक मीटिंग में कह सकते हैं कि मैं ने क्या किसी की भैंस खोली थी या किसी की गाय खोली थी । यहां इस तरह के शब्द नहीं कहे जाने चाहिये । यहां जो बात आप कहें वह अच्छी तरह से कही जानी चाहिये ।

Shri Maurya: It is not unparliamentary; that much I know.

Mr. Speaker: It is not desirable.

Shri C. K. Bhattacharyya (Raiganj): The hon. Member has mistaken the House for Ramlila Grounds.

अध्यक्ष महोदय : मौर्य साहब, आप यहां पर जो भी शब्द कहें वह ऐसे होने चाहियें जिन से दलील ज्यादा टपके बजाय लफ्जों के ।

श्री मौर्य : लेकिन मुझे डी० आई० आर० में बन्द किया गया, मैं जानता हूं मेरे दिल पर क्या बीतती है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने आप को कुछ कहने से तो नहीं रोका । मैं ने तो यही कहा कि यहां पर यह शब्द नहीं कहे जाने चाहियें ।

श्री मौर्य : मैं केवल कुछ सुझाव दे कर अपनी बात समाप्त करूंगा ।

एक विशेष मंत्रालय शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए बनना चाहिये और इस मंत्रालय का सुपर्विजन जिन के हाथ में हो वह मिनिस्टर कबिनेट रैंक के होने चाहियें ।

एक विशेष हाई पावर कमिशन इस को देखने के लिये बनना चाहिये कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों की कैसी परिस्थिति है, कितनी उन की उन्नति हुई है और किस तरह से उन की आर्थिक अवस्था ठीक की जा सकती है ।

हिन्दुस्तान की परती भूमि, बंजर भूमि, बेकार भूमि और ऐसी भूमि को जिस में हल नहीं चलता, बेजमीन, अछूत कहे जाने वाले बेकार मजदूरों को तत्काल बांट दी जाये ।

शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये जो रिजर्वेशन है उसे तुरन्त पूरा किया जाना चाहिये । हम नहीं चाहते कि यह जो रिश्वत है वह सन् 1970 के बाद भी चलती रहे । सन् 1970 तक यह चीज पूरी हो जानी चाहिये क्योंकि इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन से नैटेगेशन इंटेगेशन नहीं हो सकता ।

अछूतों में से जो लोग बुद्धिस्ट हो गये हैं, अगर उन में रीति रिवाजों का थोड़ा फर्क भी हो गया है तो भी, जो पहले सात भांवर फिरते थे विवाह के समय और अब माला डाल कर विवाह कर लेते हैं, सब को वही सुविधा मिलनी चाहिये जो इस को अछूत कहे जाने पर मिलती थी ।

अछूत कहे जाने वाले जो लोग हैं उन की पर कैपिटा इनकम कितनी पड़ती है और वह किस तरह से बढ सकती है, उस के ऊपर भी आयोग की रिपोर्ट होनी चाहिये । इस बात का कोई जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं है ।

श्री उइके : अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट पर वादविवाद आरम्भ करते समय माननीया उपमंत्रणी ने कहा कि .

Shri C. K. Bhattacharya: The hon. Member uses the term 'Mantrani'. It is not necessary. The same term 'Mantri' will cover lady Ministers also. In English, we do not say "She Minister" or "Woman Minister". We simply say, 'Minister.'

Mr. Speaker: What will the ladies like?

श्री उइके : आदिवासियों के सम्बन्ध में बोलने के लिये मुझे बहुत थोड़ा सा समय दिया गया है इसलिये आप मुझे क्षमा कीजिये ।

तो उन्होंने अपना आत्म सन्तोष इन शब्दों के साथ कर लिया कि 500 विकास खंड आदिवासियों के लिये उन के इलाकों में चौथी योजना में शुरू होंगे । विकास कार्यों का जो महत्व है उस पर जोर देते हुए कहा कि उन का उपयोग आदिवासियों के उत्थान के लिये किया जाता है । उन का इतने से ही आत्मसन्तोष कर लेना उचित नहीं था । रिपोर्ट में 231 सुझाव कमिश्नर महोदय ने दिये हैं । उन के जो सुझाव हैं और उन्होंने जो सिफारिशें की हैं उन को देखने

[श्री उइके]

से ऐसा लगता है कि आदिवासियों और हरिजनों के लिये कुछ होता है या नहीं इस की कल्पना ही उन को पढ़ कर नहीं की जा सकती ।

इस रिपोर्ट में जितने सुझाव हैं उन सब के सम्बन्ध में तो कहने का समय नहीं है, लेकिन कुछ सुझावों के सम्बन्ध में कुछ अवश्य कहूंगा । इस के पहले परिशिष्ट में ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में लिखा हुआ है । जो ग्राम पंचायतें शुरू की गई हैं लोकतंत्री विकेन्द्रीकरण के लिये यह आदिवासियों के लिये बहुत जल्दबाजी का वचार है । आदिवासियों का शिक्षण बहुत कम है लेकिन उन के यहां लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण शुरू कर दिया गया है । अभी श्रीमती रेणुका रे ने कहा कि इस का वीकर सेक्शन के लिये कोई उपयोग नहीं होता । अभी राजस्थान में एक शिविर हुआ उस में राजस्थान के मंत्री श्री मथुरा दास माथुर ने भी यह कहा कि इन ग्राम पंचायतों से वीकर सेक्शन का हित नहीं होता । आप के यहां तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कोई 450 विकासखंड खुलेंगे और चौथी पंचवर्षीय योजना में लगभग 500 विकासखंड और खुलने वाले हैं । आदिवासियों के विकास के लिए हर एक विकासखंड को आप दस दस लाख रुपये अधिक देने वाले हैं । आदिवासियों के उत्थान के लिए इस धन का सही उपयोग ग्राम पंचायतों के द्वारा नहीं होगा । इसलिए आप के महकमे को यह करना होगा कि केन्द्र से जो 100 फीसदी पैसा दिया जाता है उस के ऊपर आप का कड़ा नियंत्रण रहे । तभी आप जो 100 फी सदी पैसा देते हैं उस का उपयोग आदिवासियों के लिये हो सकता है । इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ग्राम पंचायतों को केन्द्र और राज्य सरकारों की तरफ से ऐसे सुझाव भी दिये जायें कि आदिवासियों से और कुछ हद तक हरिजनों से पैसे के रूप में टैक्स न लिया जाये । उन से श्रम के रूप में टैक्स लिया जाये । उन के पास देने के लिये पैसा नहीं होता है और उन को कठिनाई होती है ।

15 hrs.

दूसरी बात यह दी गई है कि हर एक आदमी को मकान बनाने के लिये सरकार 1200 रु० दे रही है । उस 1200 रु० पर 6 रु० ग्राम पंचायत टैक्स लगा देती है । इस सम्बन्ध में भी ऐसा होना चाहिये कि भविष्य में जो हरिजनों और आदिवासियों को 1200 रु० दिया जायेगा उस पर भी टैक्स न लगाया जाये । उस को छोड़ दिया जाये ।

उस से आगे इस रिपोर्ट में हरिजन और अनुसूचित आदिम जातियों के वर्गीकरण की बात है । इस वर्गीकरण के सम्बन्ध में बड़े दुःख के साथ हमें यह कहना पड़ता है कि मध्यप्रदेश में अभी तक 26 तहसीलों में जो आदिवासी जातियां हैं, दूसरी जगह में आदिवासी माने गये उसी जाति के आदिवासी उन 26 तहसीलों में आदिवासी नहीं माने गये है । ऐसे लगभग 13 लाख लोग हैं । यह बहुत विचार करने की बात है कि इतने दिनों के बाद भी इन आदिवासियों को आदिवासी नहीं माना गया है । इस का नतीजा क्या हो रहा है ? आज हमारे ही रिश्तेदार जोकि दूसरी तहसीलों में हैं, हमारी ही जाति वाले वे रिश्तेदार हमारे पास आने जाने में संकोच करते हैं । वे आदिवासी हैं जबकि हम आदिवासी नहीं हैं । वे कहते हैं कि तुम्हारा और हमारा सम्बन्ध भी फिर उसी तरीके से होगा । इस सम्बन्ध में हमें कुछ बड़ी अड़चनें पैदा हो रही हैं । शादी, व्याह के सम्बन्ध में भी अड़चनें पैदा हो रही हैं । इसलिए इस बात को विचार करना चाहिये और जो ग़लती आज तक हुई है उस को सुधारने में इस मुहकमे को जल्दी करनी चाहिये ।

अनुसूचित जातियों तथा आदिमजातियों के हितों की रक्षा के लिये कानून बनाये गये

हैं लेकिन यह बंधक श्रम अभी भी चल रहा है । कमिश्नर की रिपोर्ट में यह दिया गया है कि मध्यप्रदेश में यह बन्धक श्रम विशेष कर पाया जाता है । मध्य प्रदेश में ऐसे मामले सामने आये हैं जहां लोग 80 से 100 रुपये तक के ऋण के सूद के बदले में 15 वर्ष से 18 वर्ष की अवधि से काम कर रहे है । यह श्रमबन्धक का एक जगह का उदाहरण यहां पर दिया हुआ है । वैसे आदिवासी गांवों के अन्दर 5, 5 और 10, 10 श्रमबंधक नौकर आप को मिलेंगे । यह शोषण है । इस मुहकमे का यह काम है कि यह दूसरे कामों की तरफ़, खाली ऊपर ही ऊपर, रिपोर्ट में समय न लगाते हुए ऐसी चीज़ों का पता लगाये और यह देखे कि आदिवासियों की इस बंधकश्रम से किस प्रकार रक्षा की जाय और यह मनहूस प्रथा एकदम से समाप्त की जाय ।

अनुसूचित आदिमजातियों में ऋणग्रस्तता और साहूकारी पर नियंत्रण के लिए सरकार प्रभावकारी क़दम उठाये । दरअसल आदिमजातियों की अज्ञानता तथा सम्बद्ध कानून के परिपालन के लिए पर्याप्त संख्या में निरीक्षकों को नियुक्त न किये जाने से आज उन को कष्ट झेलना पड़ रहा है । आदिमजाति क्षेत्रों में गैर लाइसेंसशुदा साहूकारी को इस क्षेत्र में काम करने से रोकने के लिए विशेष कर्मचारियों की नियुक्ति कर शोषण समाप्त करने के विशेष प्रयत्न किये जायें तो इस से बहुत सहायता मिलेगी । इस बात को भी निश्चित किया जाना चाहिये कि आदिमजाति क्षेत्रों में साहूकारी का लाइसेंस केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाय जो सत्यनिष्ठ और ईमानदार हों ।

इसी तरह से वन की समस्या है । मैंने पिछले अपने भाषण में भी कहा था और आज फिर उसे दुहराना चाहता हूं कि आदिवासियों की आधी आर्थिक समस्या वन के ऊपर निर्भर करती है । अभी मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में दो विरोधी सदस्यों ने बहुत जोरदार शब्दों में अपना रोष दिखाया है और उनका वह रोष ठीक भी है । हमारे मध्य प्रदेश में 6000 वर्गमील ज़मीन ऐसी है जो कि जंगल मुहकमा और रेवेन्यु का मुहकमा है, इन दोनों मुहकमों के झगड़े में पड़ी हुई है । आदिवासियों का एनक्रोचमेंट कह करके उन पर जंगल मुहकमा भी जुर्माना करता है और रेवेन्यु मुहकमा भी जुर्माना करता है । यह परेशानी है । सन् 1962 में फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने यह कहा कि जिसके पास जो जमीन है वह उन्हीं के नाम कर दी जायगी । लेकिन उसका कोई रिकार्ड नहीं है । 1962 से यह किया हुआ है । अब इसे कैसे समझा जायेगा ? दूसरी बात यह है कि इस डिपार्टमेंट के अन्दर जो मानव तत्वज्ञानी हैं उनको ही इस इलाके में अध्ययन के लिए भेजना चाहिए । हक़ीक़त यह है कि आदिम जातियों के लोग जो मुख्यतः वनों के निवासी हैं और अपनी जीविका के लिए कई तरह से वनों पर ही निर्भर करते हैं, वनों में अपने परम्परागत अधिकारों को खो रहे हैं । चूंकि प्रजातन्त्र में वोटों की बड़ी क़ीमत है इसलिए लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सीधे सादे लोगों को जायज और नाजायज उलझा देते हैं । वन विभाग को इन वन ग्रामों की स्थिति की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए और इन लोगों को अधिक स्थायी आधार पर बन भूमियां देने के लिए कदम उठाये जाने चाहियें । रिपोर्ट में दिया गया है कि मध्य प्रदेश में कुछ वन क्षेत्रों में जिनका हाल ही में सर्वेक्षण किया गया यह देखा गया कि आदिम-जाति के लोगों ने अपने गांव के निकटवर्ती वन क्षेत्रों में अपने पशु चराने का अधिकार भी खो दिया क्योंकि भारतीय वन अधिनियम के अनुसार वे निस्तार अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों को ठीक रूप में अंकित नहीं करा सके । अगर नाजायज तौर से जंगल

[श्री उइके]

काट कर कोई ले जाए और जंगल का मुहकमा उसके ऊपर कोई ऐक्शन न लेग तो काम नहीं चल सकता है। इसका नतीजा क्या होगा? एक न एक दिन फिर आदिवासियों के ऊपर, उस इलाक़े के आदिवासियों के ऊपर, जुर्माने और सजाएं होंगी लेकिन किसी दिन फायरिंग भी हो जायेगी। अगर ऐसा हुआ तो आपका यह कल्याण कार्यों और विकास कार्यों पर लाखों रुपये के खर्च की व्यवस्था करने का क्या लाभ है? इसलिए मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आदिम जातियों की सहायता करने के लिए कुछ विशेष कदम उठाये जायें। आख़िर आप इधर कब ध्यान देंगे? भूमि हस्तान्तरण को रोकिये। बड़े ट्रांसफर्स बिना किसी लिखा पढ़ी के हो रहे हैं। देखा गया है कि अक्सर इन भूमि हसतान्तरणों की अधिकारी लोग बिना आवश्यक अनुमति के रजिस्टरी करा देते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इस भूमि हस्तान्तरण के मामले में रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी को स्पष्ट और विशेष निदश दिये जायं जिससे वे अपनी सन्तुष्टि के लिए यह जांच कर लें कि अनुसुचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति के किसी भी व्यक्ति की भूमि के हस्तान्तरण की रजिस्ट्री बिना आवश्यक अनुमित के न की जाये। यह ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि इन सीधे सादे लोगों के अज्ञान का नाजायज फ़ायदा न उठाया जाय और इस प्रकार के भूमि हस्तान्तरण के मामलों की ध्यानपूर्वक जांच की जाये जिससे भूमि के रिकार्डों में परिवर्तन के द्वारा कोई भ्रष्टाचार न हो।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता देने की योजना शामिल है। रिपोर्ट में यह दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश के लिए 1 लाख रुपये की योजना में व्यवस्था की गयी थी जिसमें से केवल 4000 रुपया ही इस तीन साल के अन्दर खर्च हुआ है। ज़रूरत इस बात की है कि कानून और कायदे सरल बनाये जायं ताकि आदिवासी आसानी से उसका लाभ उठा सकें वरना उनके लिए कानूनी सहायता प्राप्त करना असम्भव हो जाता है।

इस रिपोर्ट के अन्दर दिया है कि कल्याण कार्यों में कम खर्च होता है हालांकि मन्त्री महोदय ने उस बारे में बड़ा आत्म संतोष दिखाया लेकिन यह रिपोर्टें स्वयं बतलाती है कि उन कार्यों में खर्चा कितना कम हुआ। उसमें आंकड़े दिये गये हैं लेकिन समय की कमी के कारण वह सब आंकड़े बतलाना यहां पर सम्भव नहीं होगा। अब कल्याण कार्यों में खर्च करने में यह कमी क्यों होती है? आप राज्यों को कहते हैं कि जितनी हम दे रहे हैं उतनी ही रक़म वह भी लगाये। राज्यों की वैसी आर्थिक स्थिति नहीं होती, कम से कम हमारे मध्य प्रदेश राज्य की हालत यह नहीं है कि वह स्वयं अपनी ओर से आदिवासियों के लिए ज्यादा पैसा खर्च कर सके। एक तिहाई आबादी मध्य प्रदेश की हरिजन और आदिवासी है और उस टूटी फूटी गवर्नमेंट के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह इतनी बड़ी हरिजन और आदिवासी आबादी के लिए उतना पैसा खर्च कर सके। इसलिए केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह आगे उनका रास्ता न देखे। और आपका जो पैसा हो उसका पूरा पूरा उपयोग कर लिया जाय।

शिक्षा के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के 39 और अनुसूचित आदिम जातियों के 51 छात्रों को पब्लिक स्कूलों में भर्ती किया गया और उन्हें स्कालरशिप दी है। उसके लिए मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूं

पर उसमें और भी तरक्की होनी चाहिए । दूसरे राज्यों में भी हरिजन और आदिवासियों को अधिक से अधिक संख्या में स्कालरशिप्स देकर पब्लिक स्कूलों में भर्ती किया जाये ।

सैनिक स्कलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के प्रवेश के लिए प्रतिरक्षा मन्त्रालय ने प्रवेश-स्तर, आवश्यक आयु आदि शर्तों में जो ढील की है उसके लिए मैं प्रतिरक्षा मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं । यह जो सहूलियतें उन्हें भरती के लिए प्रदान की गई हैं वह एक स्वागत योग्य चीज है । पर इसी के साथ साथ आपको चाहिए कि सैनिक स्कूलों में जो आदिवासी छात्र भरती हों उनको छात्रवृत्ति अवश्य दी जाय, चाहे आप दें या राज्य सरकार दें । इसके अलावा छात्रवृत्तियां पर्याप्त होनी चाहिएं जिससे होने वाले खर्च की पूर्ति हो सके । अभी छात्रवृत्तियों की कोई ठीक व्यवस्था और हिसाब किताब नहीं है ।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के बारे में जो आंकड़े दिये हैं उसमें लिखा हुआ है कि 1961–62 में 426 दरख्वास्तें आदिवासियों की मिलीं । उनमें से 392 मंजूर हुईं । 34 नामंजूर हुईं । अर्थात् रिजैक्ट कर दी गईं और रक़म देते वक्त में जो 392 मंजूर हुईं थीं उनमें केवल 308 विद्यार्थियों को ही रकम दी गई, 84 विद्यार्थियों को रकम नहीं दी गई । आपका स्कालरशिप देरी से गया और वह 84 विद्यार्थी तब तक अपने घरों को चले गये थे और इसलिए उनकी रकम वापिस हो गयी और 84 विद्यार्थियों को नहीं मिली ।

परीक्षा में आदिवासी क्यों असफल होते हैं इसके रिपोर्ट में बहुत से कारण दिये हुए हैं लेकिन मेरी समझ में एक मुख्य कारण उसके असफल रहने का नहीं दिया है और वह यह है कि आपकी स्कालरशिप उनको समय पर नहीं मिलती है । हालत यह है कि अभी तक इस साल की स्कालरशिप मिलना वहां पर बाकी है । अगर किसी को मिली भी होगी तो इस महीने की शुरूआत में ही मिली होगी । अब आप स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं कि वे 6 महीनेकिस तरह से अपना गुजारा कर सकते हैं ? प्राइवेट स्कूलों में और ट्यूशन फीस पाये विद्यार्थी को पढ़ाना बर्दाश्त नहीं कर सकते और वे अपने पास से छात्रावास में उनको रख कर खिलाना भी नहीं चाहते हैं । जाहिर है कि उसके अलावा आदिवासी छात्रों के पास पैसा कहां से आये ? 20 लाख रुपया हर साल स्कालरशिप्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है वह तो ठीक है लेकिन जहां उसके उन तक पहुंचने में इस तरह की दिक्कत व देरी होती हो उसका कितना फ़ायदा हो सकता है ? इसलिए यह देखना चाहिए कि स्कालरशिप्स छात्रों को समय पर मिल जायं । मंहगाई देखते हुए यह रक़म बढ़ाई जाय ।

समुद्रपारीय छात्रवृत्तियों की रकम को भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए । छात्रावास के लिए पंचवर्षीय योजना में 272 लाख रुपये की रक़म मंजूर की गई है लेकिन साल में खर्च केवल 53 लाख रुपये ही इस मद हुए हैं तो बाक़ी दो साल में क्या होने वाला है ? पैसा तो आप बेशक प्रोवाइड करते हैं लेकिन आप को यह भी देखना चाहिए कि उसका उपयोग भी हो । उसके उपयोग के ऊपर आप को देखभाल करनी चाहिए । अब आप छात्रावास में विद्यार्थियों को यह जो 25 या 30 रुपये माहवार की छात्रवृत्ति देते हैं तो इतने में तो जो छात्रावास का मैनेजमेंट है वह उन्हें अच्छा खिला भी नहीं सकता है । आप को यह जाकर देखना चाहिए कि आखिर आदिवासियों के बच्चे वहां रह कर क्या खाते हैं और किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं । यह सब आपके देखने की बातें हैं जोकि देखी नहीं जाती हैं ।

देश में आदिमजाति क्षेत्रों के विकास के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में विशेष बहुद्देश्यीय आदिमजाति विकास ब्लाक

[श्री उइके]

खोलने का निश्चय किया गया था । इस बारे में मैं ने मध्य प्रदेश के मिनिस्टर, यहां के उप मंत्री और यहां के सम्बन्धित अफसरान और मध्य प्रदेश के अफसरान के सामने अभी एक हफ्ता पहले इस बारे में विस्तार से बातचीत की है । आप की इस रिपोर्ट में भी यह दिया है कि विकास खंड दस लाख रुपये से उस जगह में शुरू किये जाते हैं जहां इस रिपोर्ट कि 66 2/3% आदिवासी हों । मेरे प्रदेश में आदिवासी बहुत कम हैं, परन्तु में बतलाया गया है कि ऐसी जगहों पर भी यह आदिवासी ब्लाक खोले गये हैं में जहां कि बहुत कम आदिवासी हैं । ऐसी जगहों पर इनको खोलने का क्या फ़ायदा है ? इस रिपोर्ट में दिया हुआ है कि चार प्रदेशों जहां कि 4000, 2000 और 600 आदिवासी हैं वहां पर यह ब्लाक खोल दिये गये हैं लेकिन जहां पर 90 फ़ीसदी या 80 फ़ीसदी या 66 फ़ीसदी आदिवासी बसते हैं वहां पर यह विकास खंड नहीं खोले गये और अगर खोले भी गये तो बहुत कम खोले गये । मैं समझता हूं कि यह आदिमजाति विकास ब्लाक आदिवासी फी सदी अनुसार बड़ी आसानी से खोले जा सकते हैं। एलेक्शन आफिस से शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की पापुलेशन फीगर्स हर एक प्रदेश के लिए विलेज वाइज निकली हुई है और बड़ी सरलता से उसको देखकर यह ब्लाक सरकार खोल सकती है । लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर यह दस लाख रुपये रखने का कोई वास्तविक अर्थ और उपयोग नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि आप की इस रिपोर्ट के दूसरे भाग में यह दिया हुआ है कि 1192 आदिवासी विस्थापित हुए जिसमें से कि 472 को बसाया गया । यह बड़े दुःख की बात है कि इतने अधिक गरीबों को तो आप ने विस्थापित किया और बसाया आप के नेवल 472 को ही । इनकी 3695 एकड़ ज़मीन गई जबकि आप ने उनको ज़मीन दी केवल 735 एकड़ । अब इन के पास क्या है जिस पर कि वह गुजर कर सकें ? शेष 2960 एकड़ जमीन इन को बदले में नहीं दी ऐसा करके आप ने उनका कल्याण किया या अकल्याण किया ? अब हर जगह आदिवासी इलाके में बांधबांधने, तालाब बनाने या खदानें निकालने के लिए उनकी ज़मीन छीन कर उन्हें आप विस्थापित बना रहे हैं और बदले में अगर उन्हें उनकी पूरी ज़मीन भी नहीं देते तो यह उनके साथ बेइंसाफी ही हो रही है ।

सहकारिता के बारे में आप की रिपोर्ट के पृष्ठ 105 में लिखा हुआ है कि उस के लिए आप ने 105 लाख रुपया रखा जिस में से दो साल में केवल 30 लाख रुपया ही खर्च हुआ है । यह जो सहकारिता के काम किये गये हैं, रिपोर्ट में कहा गया है कि उनका ज्यादा लाभ धनिक और प्रभावशाली आदमियों ने ही लिया है, सहकारिता के कामों का गरीब आदिवासियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है । यह भी आप की रिपोर्ट में लिखा है कि जो आदिवासी सदस्य हैं वे भी सहकारी दुकान से सौदा नहीं लेते हैं और दूसरे दुकानदारों के पास सौदा उधार लेने के लिए उन्हें जाना पड़ता है । इसलिए आज जो हालत है उस में यह आप के द्वारा सहकारिता का काम खोल कर भी उन आदिवासियों के शोषण में कोई कमी नहीं हुई है । सहकारिता के सम्बन्ध में कानूनों में परिवर्तन होना चाहिए । यह बड़ी खुशी की बात है कि उपमंत्री महोदय ने कहा है कि वह दो तीन मंत्रालयों से मिल कर कुछ करने वाली हैं ।

जहां तक चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य का सम्बन्ध है, आयुक्त की हिन्दी रिपोर्ट के सफ़हा 119 पर पीने के पानी के सम्बन्ध में यह लिखा है :

"अफ़सोस ख़ासकर इस बात का है कि अनेक मामलों में, यहां तक कि पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था किये जाने के ख़र्च में भी कमी हुई है। कई इलाकों में आज भी यह अत्यन्त भयंकर समस्या है और प्रत्येक नागरिक को कम से कम तीसरी योजना के अन्त तक पीने का अच्छा पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके, इसके लिए सभी संभव प्रयत्न किये जाने चाहिएं।"

पृष्ठ 120 पर लिखा है :

"सभी पिछड़े हुए और आदिवासी इलाकों में पीने के पानी की समस्या बहुत गंभीर है।"

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ठीक और साफ़ पानी न मिलने की वजह से चर्मरोग होते हैं। लेकिन चिकित्सा के बारे में जो सिफ़ारिश की गई है उस को देख कर मुझे कहना पड़ता है कि यह महकमा बिना सोचे-समझे रिपोर्ट तैयार करता है और सुझाव देता है। यह सुझाव ऐसा है, जो कि बाकी दो सौ तीस सुझावों पर पानी फेर देता है।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य समाप्त कर दें।

श्री उइके : पृष्ठ 128 पर कहा गया है :

"यह देखने में आया है कि आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने का काम करने वाली गैर-सरकारी संस्थायें अनेक बार उन इलाकों में सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों आदि की अपेक्षा अधिक सफलतापूर्वक कार्य करती हैं। स्पष्ट है कि ऐसा इसलिए संभव है कि अधिकांश स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं में प्रचारकों जैसा उत्साह है वे इन इलाकों में निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं। इस सम्बन्ध में ईसाई मिशनरियों और रामकृष्ण मिशन जैसी संस्थाओं द्वारा किये गये सराहनीय कार्य को भुलाया नहीं जा सकता। यह वांछनीय है कि सरकार इस प्रकार की संस्थाओं को पर्याप्त आर्थिक सहायता दे कर प्रोत्साहित करे ताकि वे आदिवासी और पिछड़े हुए इलाकों में अपनी स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधियां बढ़ा सकें।"

इस मंत्रालय को मालूम होना चाहिए कि 1953 से, जब कि मैं इस पार्लियामेंट में आया हूं, मैं ने अपने हर एक भाषण में धर्म-परिवर्तन पर टीका की है। आज भी इस हाउस में चारों तरफ़ से धर्म-परिवर्तन पर टीका-टिप्पणी की गई। धर्म-परिवर्तन किस तेजी से हो रहा है, इस का अन्दाजा समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार से किया जा सकता है कि 1942 में भारत में एक लाख ईसाई थे, जब कि 1961 में 120 लाख ईसाई हो गये। ये ईसाई कहां से आये ? ये ईसाई हरिजनों और आदिवासियों से—और ज्यादातर आदिवासियों से—आये।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य ख़त्म करें।

श्री उइके : दो मिनट।

1944 में, जब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, मैं ने मध्य प्रदेश में बड़े ज़ोर-शोर से एक आन्दोलन छेड़ा था, जिस के परिणामस्वरूप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी आदिवासी इलाकों में धर्म-प्रचारक संस्थाओं को स्कूल और दवाख़ाने खोलने से मना किया था, उन की रेकगनीशन वापस ले ली थी और ग्रान्ट छीन ली थी। लेकिन आज हमारी अपनी गवर्नमेंट यह कहती है कि उन लोगों को आदिवासी इलाकों में काम करने के लिए पैसा देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट के हाथ-पांव नहीं हैं। क्या गवर्नमेंट

[श्री उइके]

के पास अपने कार्यकर्ता और नौकर नहीं हैं ? यदि आदिवासी एलाकों में आवश्यकता है, तो वहां पर ज्यादा डाक्टर भेजे जायें । लेकिन गवर्नमेंट दिल्ली में डाक्टरों को जो तन्ख्वाह देती है, अगर वह वही तन्ख्वाह जंगलों में काम करने वाले डाक्टरों को भी देती है, तो फिर कौन डाक्टर वहां जा कर सेवा करेगा ? सरकार को सेवा करने के लिए डाक्टरों को सब साधन उपलब्ध करने चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब खत्म कर दें ।

श्री उइके : चूंकि अध्यक्ष महोदय जल्दी कर रहे हैं, इसलिए मैं स्कालरशिप्स के बारे में कुछ शब्द कह देना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इतनी इजाजत नहीं दे सकता हूं ।

श्री उइके : दो मिनट और ।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल नहीं । मैं माननीय सदस्य को कई बार कह चुका हूं कि वह खत्म करें । श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ।

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh): Mr. Speaker, Sir, I am very grateful to you for giving me this opportunity to speak on this subject. I think this debate should be organised on such a pattern that, apart from the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, other Members also take interest so that it will appear as an all India issue, and not a sectional issue. Of course, it is not for you, Sir, or the Members here, as for the whips to organise the debate in such a way so that the debate may really be effectively displayed.

Mr. Speaker: If that had been the position, I would not have called her.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: Sir, I am grateful to you personally for calling me; otherwise, I would not have had very much of a chance.

Speaking on this problem, I was going through some of the Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Apart from that, I also went through the reports of some of the seminars which were conducted by the Planning Commission. When I went through the figures, one thing that struck me as very pertinent was that all schemes formulated for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be on the basis of an integrated scheme for providing social justice, economic growth and economic emancipation. The problems that have been tackled in various reports have been tackled more or less on isolated basis. From the morning I have sat through the debate for quite a long time and I have noticed that most of the Members who have spoken have taken up one, two or three main issues. This problem cannot be tackled by considering any one particular issue on an isolated basis; the solution of the problem requires that there should be an integrated approach to the question of social justice and economic emancipation. A scientific economic emancipation of these people will bring in them greater sense of social awareness of social justice. For the emancipation of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, for raising their level in society, their thinking, their upbringing, their environment has to be improved in order to provide them greater opportunities for economic growth.

In this context, when I was looking at the statistics I found they were very revealing. According to the 1961 census we find that the population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is so diversified that the problem requires diverse treatment of diverse aspects. There are certain castes in the Scheduled Castes which are more developed while there are certain other castes which are very much less deve-

loped. There should be some process by which we could measure, judge and evaluate that a particular caste is more highly developed so that its integration to the upper level of society, economically, socially and psychologically may be more easily possible. The whole pattern of programming for the development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be done on that basis. If a particular section of society even among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes has advanced to a particular stage where they can be amalgamated with the backward classes, that should be undertaken. They should not be kept in the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, because this will give them a feeling that they have really grown in economic, social and psychological stature. Let my statement not be misunderstood to mean that people belonging to such castes should be deprived of the benefits that they have been enjoying. They should be afforded all the benefits given to the backward classes. Then they will begin to think that economically, socially and psychologically they have grown up.

There should be a system of gradation. Otherwise, suppose 12½ per cent of vacancies are reserved in the services, what happens? A particular class of people belonging to one particular caste takes advantage of all the opportunities, while the rest of the classes which are also backward do not enjoy the advantages. There are certain sections of people who get easy employment because of certain professional background that they have, because of certain emancipation that they have achieved due to national struggle, due to their approach to life, due to their emancipation generally; they are the people who have come forward and taken advantage of the benefits or facilities afforded to them, as they have spokesmen for them. Therefore, people belonging to certain castes or communities have got better employment opportunities, social and economic opportunities than some other sections. So, I would submit that continuous evaluation must be made about the different sections among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes according to the development that has taken place amongst them.

That will give us two advantages. One is that we as Members of Parliament, while discussing this problem, would be more aware of the specific conditions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and we shall not generalise their problems from year to year with not much result. The second advantage will be that the people who really deserve much of that consideration as also extra attention and special care will be provided with that special care.

I was going through some of the statistics and I find that 90 to 97 per cent of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes live in the rural areas and nearly 72 to 88 per cent, most of them, really eke out a subsistence living as marginal cultivators or as landless labourers. Also, more than 75 per cent of the employment seekers from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are found unwilling to change their location or place or their profession. If they are in agriculture, it is very difficult for them to find out a situation whereby they would move. If the situation is created, psychologically they are a little adamant and they do not easily change their profession.

That means that the implementation of the programmes should be on the basis of area-wise programmes. A particular area may require intensive agricultural programme for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. That agricultural programme cannot be dealt with in isolation. Only giving of land to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is not going to solve their problems. If they are given lands, they may not have the technical know-how as to how to cultivate the land and to make it fruitful and a good investment proposition. Therefore, certain agencies should be

[Shrimati Tarkeshwari Sinha]

created which can advise them properly and which can provide them with loans, implements and with such conditions that they can themselves take interest.

There was a report of the Ford Foundation in which I remember—I am subject to correction—there was a mention of this fact that mostly the agricultural labourer in India is found lacking in the desire to develop his own life or to better his standard of living. That is a very revealing phenomenon. Why does a particular person who is a human being with all the ambitions and aspirations of a human being not care for improving his standard of life? It is because a kind of inertia has been there in his background which does not provide him with any psychological aptitude for making progress and taking advantage of a particular situation. There is not a lack of propositions. For so many years we have been discussing these reports and so many things have been done by the Government. The awareness has been there created by the leaders of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, but because of the slackness in implementation the effect has not been felt as it should have been felt. Therefore, I submit that this programming should be done on the area-wise basis so that in the areas which require a particular kind of development that should be taken in hand.

There is also another thing which I wanted to say. The Agriculture Labour Enquiry Committee has also said that they generally have a sub-standard living. That has been my own experience. I am here as a Member of Parliament for the last 12 years representing the same constituency. Even now I have the honour to represent the same constituency. I have been going there and seeing that small mud huts are there. If there is a wooden bed with three pillars, the three pillars are still in existence and the fourth pillar has not been added. Some bricks have been kept for providing the fourth pillar. That is the kind of static existence, psychologically, socially and economic, that they have. This kind of apathy has to be remedied.

It is not because of a certain lack of programmes that this happens but it is because of the lack of a feeling, of psychological awareness, of their role and participation in society that we find this kind of slackness. Therefore, we have to provide them the condition . . . .

Mr. Speaker: The hon. Member's time is up.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: If you allow me to take two minutes, I would be very grateful.

If such psychological awareness is propagated and they are educated on that line, only then the results will be achieved. That is why I have been repeating, again and again, that there should be an integrated programme of social, psychological and economic development for their growth and for their welfare.

Then, there is another phenomenon. I was going through the National Sample Survey Report in which they have said that the majority of the population of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes belongs to that unfortunate category in which the income per individual is Rs. 15 per month. But that is also on the high side. It is true that some of these people receive wages in kind and that compensates for much hardship. That probably does not allow them to face that kind of hardship which they would have faced if those things had been paid to them in cash. That is why we are not aware of this problem. But conditions there are so bad that it is even less than Rs. 15 per month as should be felt by hon. Members sitting here because most of them have got their direct experience about the conditions operating in the rural areas about the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We find that they have not

been able to take advantage of the various programmes of skilled operation. I was going through some of the statistics and I found that one reason that is being given from time to time by the Government, why they have not been able to fulfil their obligations in universities as well as in the services and in the skilled services more so, is that they are very backward and they do not compete. I understand that the reason why they do not compete is that they suffer from a certain amount of inferiority complex.

An Hon. Member: No.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: That is the reason. Let us not be blind towards the problem. The problem should come and then it should be remedied. That is why I feel that in universities and in the schools and colleges they should be provided with special coaching facilities. I am not saying that with any disparaging motive. Hon. Members should not misunderstand me.

Mr. Speaker: Now she has to conclude.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: One minute, Sir.

Mr. Speaker: She has already had two minutes.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: I will just now conclude. I think that women also suffer from that kind of an inferiority complex because they have not had much of an opportunity. I am talking generally; I am not talking about me. I do not suffer from inferiority complex at all. I do not represent the general women of India. Generally speaking, they do suffer from that.

Mr. Speaker: We also do not include her in that category. But now she must conclude.

Shrimati Tarkeshwar Sinha: In the universities they should be given special coaching. Special tutorial classes may be run for them. Then only they should be allowed to compete in the competitive examinations. I would give a piece of information here. Where they have been given training, like the IAS and the IPS, they have done remarkably well. Their proportion has increased, but that proportion has not increased in the technical operation. If that attention is given to them, I think, they will do much better.

श्री उदिया (शहडोल) : हमने पिछड़ी जातियों के लिये गठित आयोग की रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया है । कमिशन के सदस्यों और चेयरमैन के अथक परिश्रम के प्रति हम उनके आभारी हैं । कमिशन ने पिछड़ी जातियों के पतनावस्था तक पहुंचने के कारणों एवं वातावरण का अध्ययन किया है और उसी को ध्यान में रखते हुए पिछड़ी जातियों और विशेष कर आदिवासियों को ऊपर उठाने हेतु बहुत से मौलिक उपाय सुझाये हैं । राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रख कर सरकार ने कमिशन के बहुत से सुझावो पर अमल किया है । हम देखते हैं कि आदिवासी एवं दूसरी पिछड़ी जातियों के लिए बहुत कुछ काम हो रहा है । परन्तु कहीं बुनियादी गलती हो रही है जिसके फलस्वरूप आदिवासियों का जीवन-स्तर बहुत कम सुधरा है, बहुत कम ऊपर उठा है । आज भी जंगली इलाकों में रहने वाले आदिवासी उसी प्रकार के अभावों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं जिनमें वे पहले किया करते थे । आज भी उनका शोषण जारी है और उच्चवर्गीय साहूकारों एवं सरकारी कर्मचारियों द्वारा वे सताये जाते रहे हैं । कमिशन ने आदिवासियों के उत्थान हेतु सभी पहलुओं पर गौर किया है और सुझाव दिये हैं । विशेषकर आर्थिक विपन्नता को दूर करने हेतु कारगर सुझाव दिये हैं । उन पर शासन ने गौर तो किया है परन्तु प्रभावशाली कार्य नहीं हो सका है ।

भूमिहीन आदिवासियों की समस्या अब भी बनी है, विशेषकर मेरे क्षेत्र में तो यह

[श्री डाटिया]

समस्या और भी बढ़ेगी क्योंकि जंगलों में रहने वाले आदिवासी जिस भूमि को अर्से से जोतते आ रहे थे उस भूमि से उनको वंचित किया जा रहा है और उसके विपक्ष में दलील यह है कि वे अनधिकृत रूप से कब्जा किये हुए हैं। परती भूमि सभी को नहीं मिल पाई क्योंकि सवर्णों ने अधिकारियों के सहयोग से आदिवासियों को पीछे छोड़ दिया और अधिकांश भूमि दूसरों के हाथों में चली गई।

उद्योग धन्धों का जहां तक प्रश्न है, ग्रामीण उद्योग कोई संगठित तो होते नहीं, फुटकर ढंग से होते हैं जो बाजार वे सहायता के अभाव में पुराने ढंग से चले आ रहे हैं। इन उद्योग धन्धों को कोई प्रोत्साहन सरकारी प्रावधान होने के बावजूद इसलिये नहीं मिल पाता कि ग्रामीण क्षेत्र एवं जंगली इलाकों में स्वयं कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी जाकर सहायता नहीं पहुंचाते। शिक्षा के अभाव में ग्रामीण उद्योग में लगे व्यक्ति दफ्तरों की तड़क भड़क से आतंकित रहते हैं और स्वयं किसी प्रकार की सहायता लेने नहीं जा पाते ।

जहां तक रूरल क्रेडिट एवं मार्केटिंग का प्रश्न है, सहकारिता आन्दोलन इस कार्य में विफल रहा है । आदिवासी सेवा की आड़ में समितियां बनती हैं और उसके कर्ता धर्ता वे ही शोषक अंग बन जाते हैं और बजाय अपना पैसा देने के सरकार का पैसा मनमाने ढंग से देकर निजी लाभ उठाते हैं। फिर सरकारी ऋण प्राप्त करने में भी इतनी परेशानी होती है और सरकारी कर्मचारियों द्वारा इतने अड़ंगे लगते हैं कि बजाय उसके वे ऊंचे ब्याज पर सूदखोरों से रुपया लेते हैं और कर्ज से लदे रहते हैं।

आवागमन के साधनों का तो भारी अभाव है ही जिसके फलस्वरूप आदिवासी सभ्य जगत से कोसों दूर रहे आते हैं। पेय जल की समस्या एवं चिकित्सालय की व्यवस्था का भारी अभाव है जिससे आदिवासियों को बड़ी मुसीबत उठानी पड़ती है। आर्थिक और सामाजिक उन्ति के हेतु आदिवासियों के सामने बहुत बड़ी बाधायें हैं जिसके सम्बन्ध में आयोग के सुझाव मान्य हैं। शासन जो कुछ करना चाहता है वह पिछड़ी जातियों तक पहुंचे, इसके लिये आवश्यक है कि अच्छे हाथों में यह कार्य सौंपा जाये।

हम देखते हैं कि आदिम जाति कल्याण विभाग में ऐसे कर्मचारी या अधिकारी हैं जो अपने पेंट में शिकन भी नहीं पड़ने देना चाहते हैं और दफ्तरों में पर्दे के पीछे दिन रात कागज पोतते हुए टेबल कुर्सी तोड़ते रहते हैं। उनसे आदिवासी कल्याण की क्या उम्मीद की जा सकती है। होना तो यह चाहिये कि आदिवासी कल्याण के कार्यों में, आदिवासी पढ़े लिखे युवक रखे जायें, कम से कम वे अपने हमसाथियों की उपेक्षा तो नहीं करेंगे। यदि आदिवासी इस कार्य के लिए कहीं उपलब्ध न हो सकें तो सामाजिक कार्यकर्ता इस कार्य के लिये रखे जायें। यह कार्य दफ्तर बाजी के बजाय मिशन के रूप में चलाया जाना चाहिये।

मेरी समझ में सरकार द्वारा पिछड़ी जातियों के उत्थान के हेतु किया गया कार्य राजनीतिक चाल है। यदि सरकार वास्तव में पिछड़ी जातियों का हित चाहती है तो उन्हें विशेष अवसर दिये जाने चाहियें, और उन्हीं लोगों को उनके उत्थान का नेतृत्व भी देना चाहिये।

अब मैं सिर्फ यही कहूंगा कि कमिशन द्वारा दिये गये सुझावों पर सरकार को अविलम्ब कदम उठाना चाहिये, अन्यथा कमिशन का प्रयास बेकार होगा। बिना इसके अशान्ति होने की सम्भावना है क्योंकि जनता बहुत ज्यादा दुखी है। सरकारी कर्मचारियों से जनता बहुत ही परेशान है। हर काम में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है ।

श्री जेना (भद्रक) : अध्यक्ष महोदय,

सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिये, यह आपका हक था । मैंने धन्यवाद के लायक कोई काम नहीं किया ।

श्री जेना : हम ने आजादी से पहले कांग्रेस और अपने नेताओं से यह बात सुनी थी कि देश के आजाद होने के बाद यहां पर जितना पिछड़ापन है और अस्पृश्यता की सामाजिक व्याधि है, यह सब चीजें हट जायेंगी । यह एक स्वप्न सा मालूम पड़ता था । आशा भी यह की जाती थी कि आजादी के बाद पिछड़े वर्गों का पिछड़ापन और अस्पृश्यता जो है वह मिट जायेगी । मैं यह तो नहीं कह सकता कि कुछ नहीं हुआ, जरूर कुछ हुआ है, लेकिन सत्तरह सालों के अन्दर जो कुछ हुआ वह उतना नहीं जितना कि होना चाहिये था ।

शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर ने सारे देश का दौरा कर के जो रिपोर्ट पेश की उस को मैं पसन्द करता हूं और समझता हूं कि उन के काम में बहुत दिक्कतें थीं । लेकिन होता यह है कि जो कुछ रिपोर्ट में होता है वह रिपोर्ट में ही रह जाता है । मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रार्थना करता हूं कि स्टेट्स में जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं उन में इस रिपोर्ट पर चर्चा कर की जानी चाहिये ताकि स्टेट में जो काम हो रहा है और जो होने वाला है उस की जांच पड़ताल कर के जो कुछ नहीं हो पाया उस के लिये भी वे कदम उठायें ।

सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी यह भी प्रार्थना है कि वह हमारे शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनाये । बड़ी खुशी की बात है कि सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय बना जिस में लायर मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर हैं । वे बड़े बहादुर आदमी हैं और उन से हम बहुत आशा करते हैं । लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि यदि उन के पास सिर्फ सोशल सिक्योरिटी मंत्रालय रहता, ला मिनिस्ट्री न रहती, तो ज्यादा अच्छा होता । यह इतनी बड़ी जबर्दस्त समस्या है कि उस को हल करने के लिए एक अलग मंत्रालय चाहिये । जो हमारे शरणार्थी भाई आये हुए हैं उन के लिये एक अलग मंत्रालय बना हुआ है । ठीक है, मैं उसे पसन्द करता हूं और उस का समर्थन करता हूं । लेकिन सदियों से जो शरणार्थी बने हुए हैं उन के लिये हम कोई ध्यान नहीं देते । कुछ ध्यान करते हैं लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता ।

मैं बचपन में अपने नेताओं से कांग्रेस वालों से सुनता था कि आजादी के बाद हम हिन्दुस्तान के शासन को रामराज्य बना देंगे । ठीक है । रामराज्य का नाम सुनने में बहुत अच्छा है । लेकिन रामराज्य की मिसाल मैं आप को देता हूं । जब रामचन्द्र जी ने रावण का शिरच्छेद किया, जब उस को मारा और वह मरने जा रहा था तब रामचन्द्र ने सोचा कि मैं ने बालि जैसे विद्वान् राजा को मार दिया, अब रावण भी मरने जा रहा है, मेरे पिताजी भी गुजर गये । अब मैं कहां से राजनीति सीखूं । उन्होंने जा कर रावण से कहा कि मुझे राजनीति का सिद्धान्त बतला दो । रावण ने कहा कि इस समय जब मेरी प्राण वायु जाने वाली है मैं तुम को सब कुछ समझा कर तो नहीं कह सकता लेकिन एक श्लोक थोड़े से शब्दों में बतला देता हूं । जो तुम्हारे यहां विद्वान् आदमी हों, जो पंडित हों उस को बुला कर उस के अर्थ पूछना । उस में से जो अर्थ निकले उसी के अनुसार राज्य करना । रावण ने कहा :

"उत्खतान् प्रतिरोपयन्
कुसुमितान् चिन्वन्
शिशूनि वर्धयन्

[श्री जेना]

उत्तंगान् नमयन्
नत्तान् समुदयन्
क्रूरान् कंटक र्वाह्निर्णयन्
म्लान् मूहुं सिंचयन् ।
मालाकाररिव प्रयत्न निपुण
राजन् चिरजीवति"

यह रावण के वाक्य थे । जब रामचन्द्र वापस गये तो उन्होंने एक पंडितमंडल बुलाया । पंडितमंडल को वह श्लोक रामचन्द्र ने बतलाया और पूछा कि इस श्लोक का अर्थ क्या है । पंडित मंडल ने बतलाया :

"उत्खतान् प्रतिरोपयन्"

अर्थात् जो आमूल उखड़ जाता है तो नया पेड़ लगाने के लिये मूल में ज्यादा मिट्टी डालते हैं उसी तरह जो प्रजा अपने राज्य में बेघरबार हो जाये, जैसे कि शरणार्थी आ रहे हैं, तो उन को बसाया जाना चाहिये । फिर

"कुसुमितान् चिन्वन्"

जो पेड़ बहुत अच्छा हो जायेगा उस में फूल उगेगा । जो फूल निकलेगा उस को जैसे माली ले लेता है उसी प्रकार से जो अच्छी सरकार रहती है वह प्रजा से टैक्स लेती है । उस के आगे :

"शिशूनि वर्धयन्"

जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें जिस प्रकार से पाला जाता है, जिस प्रकार से छोटे छोटे पेड़ों को खाद और पानी दिया जाता है उसी प्रकार से समाज के जो छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां हों उन के पालने के लिये, उन के विकास के लिये उन के खेलने के लिये अच्छा इन्तजाम होना चाहिये ।

"उत्तंगान् नमयन्"

जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं .

अध्यक्ष महोदय : अगर आप सारी बात को इस तरह से बतलाने लग जायेंगे तो आप का सारा समय गुजर जायेगा ।

श्री जेना : मुझे दो मिनट का समय और देने की कृपा की जाय ।

अब उत्तंगान् नमयन्—अर्थात् जो बड़ा पेड़ है और उस के नीचे जो छोटा पेड़ होता है वह उतनी तेजी से नहीं बढ़ता है । इसलिये बड़े पेड़ को काट दीजिये । हमारी सरकार क्या करती है ? उस ने भी जो बड़े बड़े राजे, जागीरदार और महाराजा आदि थे उन पर डैथ ड्यूटी, संपत्ति कर आदि अनेकों कर लगा दिय और वह सरकार ने ठीक ही किया । इसी तरह से "नतान् समुदयन" है, अर्थात जो नीचे है, जो छोटे, छोटे पेड़ हैं, जो उठते नहीं, बढ़ते नहीं, उस को माली क्या करता है ? वह उन्हें मिट्टी देता है, खाद देता है, पानी देता है, और उन्हें ठेकरा दे कर खड़ा करता है । उसी तरीके से समाज में जो हरिजन और आदिवासी लोग हैं उन को सरकार को हर तरीके से मदद कर के उन को सहारा दे कर खड़ा करना चाहिए । लकिन आज उन को उतनी मदद नहीं मिलती है जिससे कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें । इसी तरह से एंटी सोशल एलीमेंट्स को वीड करने के लिए हमारे यहां कहा गया है " क्रूरान कंटकवहिनिर्णयन् ", अर्थात् माली यह करता है कि जब उस के बाग में किसी पेड़ की जरूरत नहीं होती है और वह जंगली पौधा वहां पर उग जाता है तो माली उस को निकाल कर बाहर फेंक देता है । उसी तरीके से हमारी सरकार को चाहिए कि देश में जो समाज विरोधी लोग हैं उन को पकड़ कर जेल में रख दिया जाय और ऐसा करने से स्थिति सुधर जायेगी । उसी तरीक से हमारी सरकार को चाहिए कि हरिजन और आदिवासी लोग जो कि सदियों से पिछड़े हुए हैं उन को मदद कर के जरा ऊपर उठायें ।

हरिजनों के वास्ते यह जो रिजरवेशन समाप्त करने की बात चलती है तो मैं भी चाहता हूं कि यह व्यवस्था जितनी जल्दी संभव हो खत्म की जाय लेकिन इसी के साथ यह भी देखना होगा कि मैदान में एक तगड़े और समर्थ व्यक्ति के साथ एक लूले और लंगड़े व्यक्ति को बराबर में रख कर दौड़ाया न जाय। उस लूले और लंगड़े व्यक्ति को एक समर्थ व्यक्ति के मुकाबले में दौड़ाने के पहले उसे भी मजबूत किया जाय और समर्थ बनाया जाय। उस का लंगड़ापन समाप्त किया जाय और बराबर का कर के दोनों को फिर दौड़ के मैदान में उतारा जाय और फिर देखा जाय कि मुकाबले में कौन जीतता है? उस हालत में जो भी जीतेगा उस की जीत सही और न्याय पर आधारित होगी और उसे सभी स्वीकार करेंगे? लेकिन आज जैसी हालत है अगर एक हरिजन और आदिवासी को जोकि सवर्ण के मुकाबले में कहीं अधिक पिछड़ा हुआ है और हर तरह से कमजोर है उस को बराबर से मैदान में दौड़ायेंगे तो क्या वह दौड़ में अपने विपक्षी का मुकाबला कर पायेगा? आवश्यकता इस बात की है कि आज समाज उन के साथ इंसाफ करे और उन्हें उन के हक दे। अब हालत यह है कि हमारे जो विस्थापित लोग हैं वे केवल आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं क्योंकि वह आर्थिक बेसिस पर सफर करते हैं लेकिन इस के विपरीत हमारे यह हरिजन और आदिवासी भाई सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इन तीनों व्याधियों से पीड़ित हैं। सरकार विस्थापितों को जो रुपये आदि की और बसाने की सहायता देती है वह ठीक ही है और वह किया भी जाना चाहिये लेकिन उसी के साथ साथ मुझे यह निवेदन करना है कि हम हरिजन लोग तो खाली आर्थिक ही नहीं अपितु आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तीनों व्याधियों से पीड़ित हैं और इसलिए सरकार को हमारे बारे में अधिक सक्रिय रूप से सहायता करनी चाहिये और हमें ऊपर उठाना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे उन के बारे में अधिक दिलचस्पी ले कर उन के उद्धार के लिए अधिक सक्रिय कदम तत्काल उठायें क्योंकि ये लोग सदियों से पिछड़े हुए रहते आये हैं और अभी भी वे दिक्कतें और मुसीबतें झेल रहे हैं।

देहातों में जो हरिजन लोग हैं उन की दशा की ओर ध्यान दिया जाय और उन को रोजगार और धंधे अधिक मात्रा में सुलभ किये जायें ताकि उनका आर्थिक पिछड़ापन कुछ कम हो सके। उन के उद्धार के लिए सरकार अधिक रकम खर्च करे।

देहातों में यह जो कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम होता है मैं देखता हूं कि उन के जो प्रोग्राम्स होते हैं वे पिछड़े वर्ग के लिए नहीं होते हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि पिछड़े वर्ग वालों के लिए कुछ न कुछ अवश्य होना चाहिये क्योंकि जैसे मैं ने पहले कहा कि जो नीचे पड़े हुए हैं उन को उठाने के लिए जिस प्रकार से एक माली पेड़ को बढ़ाने के लिए ठेकरा देता है उसी प्रकार से सरकार को नीचे दबे हुए हरिजन तबके को ऊपर उठाने में सहायता देनी चाहिए, उन को सहारा दे कर ऊपर उठाया जाय लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ वास्तविक काम हो नहीं पाता है।

अभी हमारे श्री जयपाल सिंह ने ठीक ही बतलाया कि जब हरिजनों और आदिवासियों का विषय सदन में विचारार्थ पेश हो, उस पर बहस चल रही हो तो गृह मंत्री और कम्युनिटी डेवलपमेंट के मंत्री भी रहने चाहिये क्योंकि यह एक सामाजिक बात है। इस समय जो मंत्री महोदय यहां पर बैठे हुए हैं वे बखूबी इस समस्या से परिचित हैं क्योंकि उन के इलाके में यह समस्या मौजूद है। इस के अलावा हमारे डिप्टी मिनिस्टर भी जहां से आये हुए हैं वहां भी यह पिछड़े वर्ग वालों की समस्या मौजूद है। इस दृष्टि से उन का इलाका भी एक पिछड़ा हुआ इलाका है। वे खुद इन सब बातों से वाकिफ हैं। लेकिन तो भी मैं उन से यह प्रार्थना करूंगा कि ऐसे बदनसीब व्यक्ति जोकि इन तीन व्याधियों से पीड़ित हैं, सदियों से कष्ट उठा रहे

[श्री जेना]

हैं, उन के सुधार के लिए और उन की भलाई के लिए वे कुछ शीघ्र करें ताकि यह गरीब आदमी भी इंसान की तरह जीवन बिता सकने के योग्य बन सकें और जिस से कि सरकार, देश व जनता सब का कल्याण और भलाई हो। बस मैं इतना ही कह कर अपना स्थान लेता हूं।

Shri Rishang Keishing (Outer Manipur): Special funds are being provided in every Plan for the additional and intensified development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This step has been highly welcomed and appreciated by members or by people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Our complaint at the moment is not about the allocation of the funds but it is about the implementation of the scheme. I am sure the House will appreciate the seriousness when the Members complain that the schemes have not been properly, fully and promptly implemented.

The Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has also brought out several instances of shortfalls and delay in implementation of the schemes. The report has further brought out that the State Governments have not given adequate co-operation in order to produce an accurate progress report of the development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In certain States, even after thirty months, the necessary clarifications could not be obtained. This shows the lack of seriousness on the part of the State Governments.

I am quite sure that if the State Governments had done something substantial for the development of these communities, they will not hesitate to submit any reports because everybody likes publicity and everybody wants to show what he has done and would like to publicise it. The State Governments have not co-operated because they have not done anything substantial for these communities.

The report of the Commissioner has brought out a number of shortfalls. For instance, in the tribl development blocks, there is a shortfall of Rs. 80 lakhs under the head 'Industry', there is a shortfall of Rs. 51 lakhs out of Rs. 127 lakhs for the 'Scheduled Castes' there is a shortfall and for the 'Scheduled Tribes' there is a shortfall of Rs. 39 lakhs out of Rs. 81 lakhs. In regard of the head 'Research', the allocation was Rs. 26 lakhs for Scheduled Tribes, but the utilisation up to the end of 1963 was only Rs. 5 lakhs. In respect of the head 'Co-operation' too, there is a shortfall of Rs. 14 lakhs. These are all important schemes for the development of these people, but this heavy shortfall shows that proper implementation is lacking, and seriousness is completely lacking on the part of the State Governments.

There are also instances where the amounts provided under these schemes have been utilised for schemes which could have been implemented under the general sector of the Plan.

That has been our complaint from time to time. The report has given the names of a number of States—Assam, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Orissa, Gujarat, U.P. and many others. I am sure this a common feature all over the States and Union Territories. Every one of us say that this additional fund should be utilised for additional development schemes. But this is not being done; on the other hand, it is being utilised for schemes that could have been implemented or executed under the general sector. Our complaint has been proved correct by the Report of the Commissioner.

Again, often implementation of schemes is taken up about the end of the year, sometimes in January, sometimes even in the latter part of March. If the financial sanction is accorded in the month of March, at the fag end of the financial year, how could work be done, how could implementation be thorough and full? This is one of the major problems. Government should

tackle this by seeing to it that schemes are taken up well in advance. I would like the Department to see that strict control is exercised to ensure proper, full and timely implementation of schemes.

I would now make brief comments on certain items. The Report has painted a very optimistic picture about the education sector. It is true that in education, the financial allotment has been fully utilised. But here also much is yet to be done. I am sorry to say that compulsory primary education has not been introduced even in certain parts for the tribal area or the scheduled castes areas. When this matter was discussed, they said, 'Oh, even the children of the tribal pepole have to earn for their families and all that'. But I can tell you that the conditions of the tribal people are not the same in this respect all over the country. In the eastern sector, you will be surprised to know that without much help from Government, the literacy has gone up among the tribal people, the Khasis, Lushais and Nagas from 30 to 46 per cent. I cannot understand why in such areas compulsory primary education cannot be introduced. To argue in such cases that the children of the tribal have to earn and cannot attend school and therefore compulsory primary education is not introduced is a lame excuse. We are prepared to get the compulsory primary education. We have produced enough teachers for compulsory primary education. So there will be no other difficulty except funds.

The Report also suggests that midday meals should be provided. But upto now, in not a single area has this been done. This should be looked into.

The Report has recommended that every block must have one higher secondary school. In the block from which I come upto now, we have not got any Govt. higher secondary school. We have requested several times, that Government should kindly take over the one which is run by the people, but upto now nothing has been done.

Then hostels for boys and girls are very essential. For over hundred villages, we have a block and in that one high school or higher secondary school is established. Students from all over the area come. So necessarily all students have to stay in hostels. This facility must be provided. But it has not yet been done.

It is a common feature all over the country that the position of the higher secondary school in tribal areas has been completely neglected. They are understaffed and staffed with hopelessly unqualified teachers. This is because Government has not given any incentive pay for the teachers who are willing to work in the hill areas. I want Government to consider this point. We have repeatedly impressed upon Government the necessity of doing something in this regard, that the teachers must have some additional pay in these hill area schools, because then only they will be able to have good staff; then only they will be able to produce good, meritorious students who will be able to take advantage of the post-matric and post-graduate scholarships offered by the Central Government.

15.55 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

I am grateful to Government for providing these scholarships to the tribal and scheduled castes students. But I have to say this, that though I have raised the matter a number of times with the Manipur Government, upto now, by the end of December, students have not got even the first instalment of their scholarships. Students who are staying in the university hostels do not know who will get scholarships and who will not; whether their applications have been accepted or not, nobody knows. This is a serious problem. Government has been kind enough to give these scholarships, but its utilisation aspect has been completely neglected. The State Government has not given sufficient care or shown the requisite sympathy to the tribal boys. Thus the value of the

[Shri Rishang Keishing]

scholarships has been completely nullified. This must be taken up by the Central Government. They must see that these scholarships are distributed in time to the candidates.

Industries are completely lacking in the tribal areas. There is great potentiality for many small scale and cottage industries in the tribal areas, *e.g.* bamboo and cane works, carpentry, collection of seeds, fruits, nuts etc. The nuts can be crushed to make non-edible oil. Then there is scope for dairy, piggery, poultry, bee-keeping, leather tanning and leather works. All these things can be easily done in the hill areas, but I am sorry to say that though there is an abundance of raw materials and prospects, no serious attempt has yet been made, and the provision made for industries every year lapses. If Government wants to improve the economic condition of the tribal people, scheduled castes, a serious attempt must be made in this direction.

Drinking water is another problem, specially in the hill areas. One has to go half a mile or even a mile to fetch a bucketful of drinking water. The Report says that in Assam alone 2,380 villages are yet to be supplied with drinking water, it is in the Mizo, Khasi and Jaintia hills. In Gujarat, 4,496 villages are without safe drinking water. They have not perhaps gone into other areas; that is why they have not mentioned about the condition in other parts. But this is a common condition all over the tribal areas of the country. Therefore, a serious effort must be made in consultation with the Health Ministry to tackle this problem and provide drinking water to all the tribal villages.

In services, there is reservation no doubt. But I would say that this reservation can never be filled by the scheduled castes and scheduled tribes people. The main setback is the so-called personality test. This test must be done away with. In the case of the scheduled castes, scheduled tribes candidates, those who have passed the written examination should be allowed entry into the all-India services without going through this personality test. This is a test in which I have no faith. The members sitting in these personality test boards will lack sympathy to our candidates; sometimes at the sight of the candidates, they shout or express anger or use strong language; this produces panic in the minds of the candidates and they start shivering. The result is that they do not do well in the personality test and are disqualified.

In the matter of promotions, often our officers are superseded by non-tribal, non-scheduled caste officers. At the State level, *ad hoc* appointments are made. The State Governments have their own favourites and their own candidates. When the time comes for the UPSC approval, they are, 'just approved'. Thus qualified and experienced scheduled castes and scheduled tribes officers are often ignored. Such things should be strictly checked, the UPSC must function properly.

16 hrs.

Lastly, I would request that housing problems should be tackled properly. Tribals are now given only Rs. 500. With that, what can they do? In places like Assam and Manipur, where heavy rain occurs, you cannot use wooden posts for more than a year, because they will either be eaten up by white ants or affected by the heavy rains. The amount should be raised to at least Rs. 2,000 so that the wooden posts may be replaced by cement concrete, and the thatches may be replaced by tin or corrugated iron sheets.

Shri Dasaratha Deb (Tripura East): In the past we have discussed the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes many times. Every report shows the same problems of the tribal people and the scheduled castes, and contains some suggestions to remedy the situation.

Members belonging to the scheduled castes and scheduled tribes, as also others, express their sentiments in favour of the scheduled castes and scheduled tribes, and make many suggestions. After hearing the suggestions, the Minister replies, and also makes some promises. But in all these 17 years—this is the twelfth report—the net result of their promises, I think, is absolutely nil, because, though they may show some lip sympathy, the basic problems of the scheduled castes and scheduled tribes have not yet been solved.

On the contrary, the report itself shows, and it is also my experience in many tribal areas, that the condition of the tribal people has been deteriorating further, and that they can hardly get even one meal a day.

They have got their educational, health and so many other problems, but I want to concentrate on one problem which is very vital, and is affecting the tribal people in my State, in regard to land. I think the same thing is happening in other States too.

Tripura was originally a land of the tribals, and before partition they were the major population in the State, but after partition, due to the influx of refugees, they have now become a minority in their own State. Because most of the refugees who have migrated to Tripura from Pakistan are also agricultural peasants, who had left their lands behind in Pakistan, they had to be given land. Therefore, the pressure on land has become more and more and Government could not make sufficient arrangements to give these people land. Because of this, there is clash between the landless tribal people and the landless refugees in our State.

Within two years, hundreds of tribal families have been evicted from their own land. After I came out from jail, I went from one place to another, and I have submitted reports giving detailed lists of names of the evicted tribal people, the names of the places, and the survey numbers of the plots which have been transferred to non-tribals from the tribals. I have submitted the report to the President of India, and also to the Home Minister on 17th October. Very recently, another memorandum has been submitted by Shrimati Renu Chakravartty, and others, regarding this eviction of the tribal people, and with your permission I may place these reports on the Table* of the House. I would request you to circulate them to all the MPs so that they may know what the tribal people are facing.

If the tribal people are to be dependant on land, there must be some specific provision in the Constitution. The Dhebar Commission has also suggested that where the tribals are in a majority, that area should be declared to be a scheduled area, and that there land should be made accessible only to the tribal people, and that non-tribals should not be allowed to settle on that land. I do not know how the mind of the Government is working, but in the State Assembly the Chief Minister has categorically stated that the Dhebar Commission Report cannot be implemented in Tripura.

I may point out that even before partition, when the Maharaja was there, there was a rule that certain places in Tripura were to be set aside for the tribal people, and no non-tribals were ever allowed to enter those areas. But after partition, when the Congress Government came to power, that rule has been abolished, and non-tribal people have been allowed to enter these places and take up the land.

What actually happens is this. The Government has the jhuming rehabilitation scheme, under which every tribal family is settled on land and given Rs. 500. A good number of people have been rehabilitated with

*The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission, the reports were not treated as laid on the Table.

[Shri Dasaratha Deb]

Government money, but now, in Akhrabari, Shantinagar in Khowai subdivision, and Palku in Amarpur subdivision and other places, a number of tribal families who were thus rehabilitated have been evicted from that land. I can give the names of those persons—Iswaria Debbarma and so many others like him. They have been evicted and non-tribal people have been allowed to settle on their land. These things are going on. This is a terrible thing, and because of this there is today in the minds of the tribal people a sense of insecurity. Even more serious things are taking place, because land reclaimed by the tribal people with their own sweat and labour, which they have been cultivating for long, are now being transferred to others by manipulation of records, and making the records in the names of non-tribals. I myself reported this to the Chief Commissioner and the Chief Minister. In some cases say in Akhrabari the Chief Commissioner himself enquired into the matter, as also the District Magistrate, and they found that all the allegations made by the tribal people were true, but they cannot do anything because politics is going on there.

Here and now this Government should take a decision to declare as scheduled areas places where the tribals are in a majority; otherwise, there will be no guarantee that the tribal people will be able to keep their land.

An argument was put forward by a spokesman of the Government that in the Tripura Land Reform Act there is a provision that without the permission of the Government no land belonging to the tribals could be sold or transferred to a non-tribal, but I say this is not a guarantee at all, because within these two years permission has been given in more than 500 cases for such transfer by the District Magistrate without any investigation. Sometimes it is due to the pressure of the non-tribals, sometimes the tribals themselves, because of their indebtedness, are forced to sell their lands and seek the permission of Government. My suggstion is that permission should not be given for the transfer of these tribal lands. Even if such permission is to be given, it should be given only by a committee elected by the tribal people themselves.

श्री दे० शि० पाटिल (यवतमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और आदिम जाति आयोग ने सन् 1962-63 की रिपोर्ट में जो सिफ़ारिशें की हैं उन में 231 सिफारिशें हैं । बहुत सी सिफारिशें तो ऐसी हैं जिनको राज्य सरकारों को कार्यान्वित करना चाहिये और कुछ ऐसी भी सिफारिशें हैं जिनके सम्बन्ध में भारत सरकार का कर्तव्य है कि वह कार्रवाई करे । प्रेजिडेंट के शेड्यूल्ड एरियाज घोषित कर देने मे कुछ राज्यों में आदिवासी लोगों के ऊपर बड़ा अन्याय हुआ है । बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें आदिवासियों में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है । इस रिपोर्ट में चैप्टर 18, पेज 146 पर शैड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज के बारे में कुछ सुझाव दिये गये हैं । मैं महाराष्ट्र के बारे में यहां पर कहना चाहता हूं । महाराष्ट्र में विदर्भ का विभाग है । महाराष्ट्र का जो दूसरा पश्चिम महाराष्ट्र विभाग है उन में जो आदिवासी हैं उनमें शैड्यूल्ड ट्राइब्ज और नानशैड्यूल्ड ट्राइब्ज ऐसा कोई भेदभाव नहीं है । जो आदिवासी वहां रहते हैं उन सबको आदिवासी माना जाता है, लेकिन विदर्भ का विभाग ऐसा है जहां पर जो आदिवासी शैड्यूल्ड एरिया में रहते हैं उनको तो आदिवासी माना जाता है लेकिन जो आदिवासी शैड्यूल एरिया के बाहर रहते हैं उन्हें आदिवासी नहीं माना जाता । उन्हें बैकवर्ड क्लास माना जाता है । इसका परिणाम यह होता है कि जो लोग शड्यूल्ड एरियाज के बाहर रहते हैं उनको भारत सरकार की ओर से जो सुविधायें शिक्षा के

बारे में, सोशल डेवेलपमेंट के बारे में और एकानमिक डेवेलपमेंट के बारे में, मिलती हैं, वह नहीं मिल पाती हैं । इसलिये एक ही प्रकार के आदिवासी लोगों में, जिन के सभी काम काज एक ही प्रकार से होते हैं, उन में डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है । यहां तक डिस्क्रिमिनेशन है कि अगर किसी आदमी का बाप शेड्यूल्ड एरिया में रहता है तो वह आदिवासी है लेकिन लड़का अगर शेड्यूल्ड एरिया के बाहर रहता है तो वह आदिवासी नहीं माना जाता है । जो भी सुविधायें लड़के के बाप को हैं शिक्षा के बारे में, सर्विसेज के बारे में वह लड़कों को नहीं मिलतीं । यह बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है । ढेबर कमिशन ने भी इसके बारे में भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया है । उन्होंने प्रेजिडेंट साहब को 4 अक्तूबर, 1961 को पत्र लिखा था कि यह बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है । इसके बाद स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से हम लोग मिले । उन्होंने भी बहुत इम्पार्टेंट और इमिजिएट कर के होम मिनिस्टर को पत्र लिखा । उन्होंने बतलाया :

" I am glad to meet the deputation....".

अर्थात् मुझे मालूम है कि यह बहुत डिस्क्रिमिनेशन है और उसको मिनिस्ट्री दूर करे । लेकिन यदि मैं महाराष्ट्र प्रदेश की बात कहूं तो वहां पर अभी तक कुछ नहीं हुआ । इसलिये महाराष्ट्र का जो विदर्भ विभाग है जिसमें कि आदिवासी बहुत हैं उसके बारे में मेरा कहना है :–

Declare all the community of the Scheduled tribe as scheduled tribe throughout Maharashtra State in respect of scheduled and non-scheduled areas.

दूसरा सुझाव इस रिपोर्ट में दिया गया है चैप्टर 3, पेज 11 पर । उसमें कहा गया है कि कई जमातें ऐसी हैं जिनका समावेश शेड्यूल्ड ट्राइब्ज और शेड्यूल्ड कास्ट्स की लिस्ट्स में होना चाहिये, लेकिन वह नहीं किया गया है । ऐसी कई सब कास्ट्स हैं जिनको आदिवासी मानना चाहिये लेकिन माना नहीं गया है। उनके बारे में "रिवीजन आफ दि लिस्ट्स आफ दि शेड्यूल्ड ट्राइब विद स्पेशल रिफरेंस टू दी महाराष्ट्र" मेरा कहना है कि वहां पर एक ट्राइबल जाति है उसको शेड्यूल्ड ट्राइब मानना चाहिये । इस तरह की रिकमेन्डेशन थी लेकिन यहां पर उसको पढ़ने का समय नहीं है । इसके बारे में पेज 11 पर दिया हुआ है । लिखा हुआ है कि ऐसी सबकास्ट्स हैं जिनकी सारी बातें एक तरह की हैं इसलिये उनको दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित नहीं करना चाहिये । कहा गया है कि उनका वेरिफिकेशन सन् 1961 का जो सेन्सस है उसके आधार पर कर लेना चाहिये । उसमें सारी सूची दिखलाई गई है । और वहां पर जो सिफारिशें हैं उनको उन पर लागू किया जाना चाहिये । इस रिपोर्ट में कहा गया है :

"It is hoped thot the Government of India will give due and urgent consideration to these suggestions."

मेरी विनती है कि गवर्नमेंट इसके बारे में जल्दी से जल्दी कार्य करे ।

तीसरा सुझाव मेरा यह है कि जो ट्राइबल्स हैं—हर एक स्टेट में अलग अलग ट्राइबल्स रहते हैं—लेकिन सर्विस के लिये दूसरी स्टेट में जाते हैं, उनको वहां जाने पर ट्राइबल नहीं माना जाता । इसके बारे में भी सुझाव दिया गया है कि उनको ट्राइबल मान लिया जाना चाहिये और उनको पूरी सुविधायें दी जानी चाहियें दूसरी स्टेट में जाने पर ।

चौथी बात यह है कि आदिवासी पापुलेशन जो है भारत में बहुत बड़ी है । अफ्रीका को छोड़ कर अगर कहीं पर सबसे ज्यादा पापुलेशन आदिवासियों की है तो वह

[श्री दे० शि० पाटिल]

भारतवर्ष में है । यहां पर 225 लाख लोग हैं । उनकी आर्थिक उन्नति और सब तरह के कल्याण के लिये एक इन्डेपेन्डेंट कमिशन की मांग की गई है । तुरन्त इस बारे में कार्यवाही होनी चाहिये । इसके लिये एडिशनल कमिश्नर नियुक्त किये गये हैं और दो एडिशनल कमिश्नर मध्य प्रदेश को दिये गये हैं । हर एक स्टेट में एक एक कमिश्नर की नियुक्ति होने वाली है । लेकिन इससे ही काम नहीं चलेगा ।

मेरा अगला सुझाव है कि यह जो मिनिस्ट्री है उसका जो फंक्शन है वह इस काम के लिये बहुत कम है । मैं मध्य प्रदेश की बात कहूं । मैं उसको मन्द प्रदेश कहता हूं । आदिवासियों के बारे में जो प्राविजन किया गया है उसमें बिल्कुल खर्च नहीं किया जाता है । आदिवासियों को शिक्षा देने के लिये रिपोर्ट में कहा गया है कि एक ऐसी योजना बनाई जानी चाहिये जिस के अन्तर्गत उनको पशुपालन और जनरल उद्योगों के विकास आदि में सहायता मिले । अगर वहां पर अध्यापक रखे जायें तो आदिवासी अध्यापकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । दूसरे जो स्कालरशिप्स आदि दिये जाते हैं वह उन तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाये हैं । उनके विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन और कपड़ा आदि देना चाहिये ।

मैं कहना चाहता हूं कि आज हर एक चीज का मल्य बढ़ गया है । इसलिये स्कूलों और हास्टेल्स में जो छात्र वृत्ति दी जाती है उस को बढ़ाया जाना चाहिये ।

इसके बाद आदिवासियों को छोड़ कर शेड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में भी मैं दो एक सुझाव देना चाहता हूं । इसकी भी मुझे आज्ञा दी जाय । शेड्यूल्ड कास्ट्स का सवाल भी बहुत जटिल सवाल है । आज कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि देश में जिस चीज को अस्पृश्यता कहा जाता है वह निकल गई है । जब तक हृदयों से अस्पृश्यता नहीं निकलती तब तक अस्पृश्यता दूर नहीं हो सकती है । आज भी देहातों में जिस का कोई आर्थिक महत्व नहीं है, जिस को बारबर कहते हैं वह अछूत लोगों की हजामत नहीं बनाते हैं । उन लोगों को सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि मंदिरों में जो ट्रस्टी रहते हैं उन में से जिन को गवर्नमेंट नामिनेट करती है उन को तो हरिजनों में से नामिनेट करना चाहिये । इसके आगे जा कर जितनी भी धार्मिक संस्थायें हों उन को यह आदेश देना चाहिये कि भविष्य में जब भी किसी मंदिर के ट्रस्टी नियुक्त किये जायें तो उन में कुछ हरिजन भी हों ।

Mr. Deputy-Speaker: Shrimati Akkamma Devi.

Shri Yashpal Singh: No non-Harijan Member has been called.

Mr. Deputy-Speaker: I shall call.

Shrimati Akkamma Devi (Nilgiris): I am very grateful to you for at last I got a chance to speak. I congratulate the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for his report and for his constructive recommendations which, when implemented, will surely benefit the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who form nearly one-third of our population. After independence, under our Five Year Plans, many schemes have been launched. Money has been allotted, but the benefits of these schemes have not been made available to the section of the population living far away from the eyes of mankind in dense forests and slum areas. The Dhebar Commission submitted its report in 1961-62 with a number of recommendations. The Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes submitted his report with a number of recommendations. The State Ministers' meeting in July 1962 took certain decisions. These reports have been discussed on the floor of the House, but I do not know whether all these recommendations have been implemented. I

request the Minister to lay on the Table of the House all the recommendations made, the rcommendations which have been implemented and the recommendations accepted by the State Governments, but not implemented, along with the reasons for this long delay.

Short-falls have become a regular feature in the amounts allotted for tribal welfare. Under the first Plan, there was a short-fall of Rs. 5 crores and under the second Plan, a short-fall of Rs. 10 crores. For the year 1961-62, there was a short-fall of Rs. 3·55 crores. For 1961-62 and 1962-63, I find from the report that the short-fall is Rs. 98·6 lakhs under the central sector and Rs. 147·09 lakhs under the State sector. With your permission, I quote from page 40, Chapter VI, para 5:

> "Somehow or other, short-falls continue to be the feature of the Plan programmes. Obviously lack of adequate funds is not the reason for the short-fall, as under the central sector, cent per cent grant is given by the Government of India. The real reasons for this short-fall are other than inadequacy of funds and these reasons have been discussed in the previous reports. No effective measures, however, appear to have been taken as yet to remove the various difficulties and bottlenecks which have been found to lower the pace of progress."

The third Plan is coming to a close. My humble request is, let there not be short-falls at least towards the end of the third Plan. Officials and non-officials, Government departments and voluntary organisations, entrusted with this welfare work, should be clearly instructed right down to the panchayat level not only to utilise the amount, but carefully and usefully, so that the benefits of these huge amounts will go to that section for which they have been allotted.

I agree with the Commissioner on this point and I request that the progress of expenditure should be spread over the year evenly and the rush of expenditure towards the fag end of the year should be avoided. Amounts earmarked for certain schemes, either economic development, educational advancement or social welfare, should be utilised only for those schemes; diverting Funds from one scheme to another should be avoided.

My friends have dealt in detail with the representation of the scheduled castes and scheduled tribes in various services, colleges, hostels and residential schools. I would like to deal with one aspect only, namely, the role of voluntary institutions in the field of welfare for the scheduled castes and scheduled tribes. We find a number of institutions of an all-India character, and also registered and affiliated institutions at the State level, giving unstinted assistance to uplift the Harijans and scheduled tribes, thereby trying to shower the hope of economic prosperity on these sections. I do admit that a few institutions might not have given us satisfactory results. But does this mean that voluntary institutions have failed in their work? No. My request is that such deserving institutions doing welfare work for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be encouraged and incentives should be given like releasing the grant without delay, minimising their share of matching contributions, and giving periodical guidance to such institutions by inspectors to enable them to submit their progress reports with regard to physical targets and also to submit the audited statement of accounts so that they will get their amount and they will really do their work in these sections. These institutions have really done creditable service. I request the Government to encourage such institutions by releasing the grants without delay.

Then I come to the question of indebtedness among tribals. Even today the tribals are still in the clutches of money-lenders, the so-called loan-

[Shrimati Akkamma Devi]

sharks. A couple of cents owned by these innocent tribals have been snatched away by these money-lenders. They are always being exploited. In a certain village in my constituency the trial population are very enthusiastic. They wanted to receive the benefits of our governmental schemes. They came forward to start an industry. For that they needed electricity. To bring electricity to the village they approached the electricity department. The electricity department insisted on their contribution. When the concerned panchayat was approached they said it was a minor panchayat and they had no funds. They then approached the Harijan Welfare Department. They also said that they had no funds with the result they could not do anything. My suggestion in this connection is this. Asking for people's contribution in cash is also one of the causes leading the people to borrow from money-lenders. I, therefore, suggest that cash contribution should not be insisted upon, but contribution by way of labour can be insisted from these innocent tribals.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member should try to conclude now.

Shrimati Akkamma Devi: Sir, I am always obedient. Since you have rung the bell I do not want to say anything more. I only request our Department of Social Security to implement all the recommendations mentioned in this report so that the benefits will reach this section of our population who are really downtrodden and neglected during these 17 years of our independence.

Shri A. S. Alva (Mangalore): Mr. Deputy-Speaker, Sir, while congratulating the Commissioner for giving a splendid report, I submit that much has not been done towards the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes after the death of Mahatma Gandhi. As a matter of fact, when Gandhiji was fighting for independence one of his main planks was the uplift of the Harijans, and at every opportunity he was stressing the injustice done to them for centuries. He even said that Hinduism will not be worth without the integration of these classes who have been devout Hindus. In the years that followed a lot of things have been done. Trustees of temples after temples were vying with one another to allow the Harijans to enter the temples. Voluntary workers, mostly Congress workers, made it a point not to visit some of the temples if Harijans were not allowed. I know what happened when, for instance, Shri B. G. Kher of revered memory, when he was the Chief Minister of Bombay, came to Udupi. It is a famous institution started by Madhavacharya, a very holy place. The moment he went there the first question that he asked was whether the Harijans are allowed to enter that temple and he was told they could not but they could peep through a hole. According to tradition, the famous poet saint Kanakadasa went to the temple to worship God, but he was not allowed to enter the temple and so he prayed outside the wall, when God turned to that side and an opening was revealed to give him a full view. Shri Kher said that he will worship God through that opening now called "Kanakanakandi" and he does not want to enter the temple. That was the spirit with which great men and voluntary workers did their best to uplift the Scheduled Castes in those days.

But what is the position after independence? Of course, I am not saying that nothing has been done by Government. Government have taken many steps to better their lot, both economically and socially. But some of the studies conducted by the authorities go to show that untouchability still persists in a very acute form in some areas. For example, in some places people belonging to the Scheduled Castes cannot have access to wells or even streams; they must take

their bath or do washing down stream so that the water may not be polluted. That is really a very disgraceful thing. Yet, such things are still persisting.

Of course, we have got wholesome provisions on the subject in our Constitution and untochability has been abolished by law. Also, under article 23 of the Constitution, forced labour has been given the go-by; it has been made an offence. Yet, in spite of all that, this evil is persisting in one form or another. It is no doubt true that a lot of remedial measures have been taken. Government have appointed voluntary workers and officials to find out the disabilities of harijans. There are instances of barbers refusing to shave them or *dhobis* refusing to wash their clothes. Some of these cases have resulted in prosecutions. Yet, most of these cases have failed for want of evidence. Because, only the person who complained and the harijan welfare workers will be coming forward to give evidence; sometimes that evidence is treated as interested evidence and so the cases fail. Also, it is very difficult to get evidence in remote villages. Yet, it must be said to the credit of the caste Hindus. especially in cities, untouchability is no longer existing, especially among young men and students. We do not see the evidence of untouchability in cities. In the villages it is still persisting. Government must put it down with an iron hand, by punishing the offenders. Further, voluntary workers and non-officials should be entrusted with this task.

Then I would emphasize that the Report makes painful reading in the matter of the Central Adivsory Board. According to the Report, the Central Advisory Board has never met even once and the State Boards have met once or twice in some States while in others even statistics are not available. This only shows that Government concerns itself only with the formation of the committee; it does not care to find out whether the committee is functioning or not. It fails to see that the committee is composed of people who are devoted to this work, people who want to see the amelioration of the condition of these down-trodden, backward people, both economically and socially, so that they will be treated as equals by others, which will result in real national integration, making untouchability a thing of the past. That is borne out by the casual way in which Government has constituted these advisory boards. As a matter of fact, appointments to these bodies are made to placate some politician, who could not be given an Assembly or Parliament seat, or to placate a person who has otherwise got some grouse against the Government. Such a person is chosen so that he may be placated.

Such a thing should never happen. If a person really wants to do some work, Government can certainly find people who are interested in doing such work. It is their duty to see and appoint such persons.

Previous speakers have adverted to the fact that funds are really not in the way of uplifting their economic condition. We see painful things. A lot of grants have been given either for hostels or for education, for their welfare and for all other things, but most of the funds are not utilised. They simply keep quiet for a major portion of the year and towards the end when they can spend only some amount that amout is spent. I really fail to understand why in right time persons do not see that the amount is fully utilised. This is a thing which the Government must take on a war footing and with all enthusiasm. It is their duty to see that no amount lapses and it all goes to the benefit of the *harijans*.

Further, we notice that inspite of the really very good work being done by the social welfare boards, sometimes the amounts do not reach the really deserving people. Sometimes the most vocal among them or people who masquorade in so many ways are

[Shri A. S. Alva]

given the amounts. When amounts are given for building houses, we see that sometimes a foundation is put up and thereafter when the person takes the money the building does not come up or it is only the walls. They collapse and the amount that has been spent is really a waste. Such a thing must be avoided. The co-operative societies or some other agency shoud see that the amount is not wasted for any reason whatsoever.

Another thing was suggested by Shri Patil that in temples there should be trustees who are *harijans*. As a matter of fact, I was told that in Andhra there is a law which makes it obligatory that while appointing trustees in future one of the trustees at least must be a *harijan*. That is really a very good thing and all the States should copy it.

An hon. Member: There is no such law.

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao): There is no such law.

The Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayya): It is only a convention.

Shri A. S. Alva: In Madras also it appears to be the same thing. I am sorry, but I seem to have read some such thing. If a law is made to the effect that one of the trustees should at least be a member of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, it will be a very good thing. These are the things which the Government must seriously consider because, as I said in the beginning, the tempo of the uplift of the *harijans* is rather very slow.

Another thing is that it is a wrong policy to segregate these people in some places called *harijan* colonies, as though they should not have houses in the midst of other caste Hindus. They must make it compulsory that even in *harijan* colonies, land is given to other people to build houses. Harijans should be allowed to have their buildings at Government expense in some other localities where caste Hindus are also living. To keep them separately certainly will not go a long way in removing that psychological barrier which always makes them feel as though they are different from the rest of the citizens. I am sure, Government will take adequate steps now that a special Department of Social Security has also come and they will see that all these shortcomings are removed and their lot will be better when we read the next report.

श्री ओंकार लाल बेरवा : उपाध्यक्ष महोदय बहुत तपस्या करने के बाद जो बोलने का समय आपने दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यबाद देता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत लोग तपस्या कर रहे हैं ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : आशा तो नहीं थी कि समय मिल जाएगा, लेकिन जो समय आपने दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यबाद देता हूं ।

बारहवीं रिपोर्ट पर आज विचार हो रहा है और यह विचार विमर्श दो साल बाद हो रहा है । इस से यही साबित होता है कि रिपोर्ट पर बहस को भी पिछड़ा दिया गया है । और बातों में जो पिछड़ाया है वह बात तो अलग है । लेकिन इस रिपोर्ट की बहस के बारे में भी पिछड़ा दिया गया है जो दो साल के बाद रिपोर्ट पर विचार हो रहा है ।

इस रिपोर्ट में हमारी सरकार की साफ फोटो नजर आती है ? शैडयल्ड कास्ट के लोगों का कितना सरकार ध्यान रखती है किस हद तक सरकार ने इनकी उन्नति के कार्य किये हैं किस हद तक इनको आगे लाने का सरकार ने प्रयत्न किया है इन सबके फोटो

इस में साफ़ नजर आते हैं। दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ियों को ही आप जा कर देख लें, वहां पर आपको सरकार का फोटो साफ नजर आ जाएगा। इन में रहने वाले दो, चार या पांच परसेंट को छोड़ कर सब के सब शैड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं। सतरह साल से इनकी यही दशा है और दिन-ब-दिन यह खराब ही होती जा रही है। जब वोट रे लेने का वक्त आता है तो खन्ना साहब फौरन कह देते हैं कि झुग्गियां बना लो, तुम को 80 बाई 80 या 40 बाई 40 या 20 बाई 20 का प्लाट अभी दे रहे हैं लेकिन वास्तव में होता इन के लिए कुछ भी नहीं हैं। इनकी अगर कालोनीज़ बनाई भी जाती हैं तो शहर से पद्रह बीस मील दूर बनाई जाती है जहां इनको मजदूरी कर के खाने तक को नहीं मिलता है। मैं कहना चाहता हूं कि इन की झोंपड़ियां उन मिनिस्टरों के बंगलोज़ में ही क्यों न बनाई जायें जहां पर काफी खाली जमीन पड़ी हुई है ? आप तो उनको निकट लाना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप इनको इन मिनिस्टरों के बंगलोज़ के साथ जो खाली जमीन पड़ी हुई है दे देते हैं, और जहां पर ये मकान बना लेते हैं तो ये अवश्य ही निकट आ सकते हैं। निकट इनको लाना है तो इस तरह से लाओ। दूर इनको लेजा कर बसा देने से क्या लाभ ? इतनी दूर से ये शहर में आ जा कैसे सकते हैं जब कि आने जाने की सुविधायें ही नगण्य हैं।

राजस्थान के अब में कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। जहां तक सरकारी नौकरियों का सम्बन्ध है परमामेंट नौकरियों में तो क्या टैम्पोरेरी नौकरियों में भी इन को नहीं रखा गया है। फर्स्ट क्लास की 5930 जगहों में से केवल मात्र ये 105 जगहों पर ही हैं। 9996 सैकिंड क्लास की जगहों में ये 322 जगहों पर ही हैं। इसी तरह से नीचे 24,625 जगहों में से 2,375 जगहों पर ही ये हैं। इन का नम्बर पांचवीं क्लास पर आता है और अगर उसको हिसाब किताब में जोड़ा जाए तब कहीं जा कर इनका परसेंटेज पूरा होता है टैम्पोरेरी जगहों में भी। जहां तक परमानेंट जगहों का सम्बन्ध है, इनको एक परसेंट भी जगह नहीं मिली है। एक परसेंट और कुछ प्वाइंट जगहें ही इनको प्राप्त हुई हैं। 32,000 में से कुछ ही मिली हैं। मैं नहीं समझता कि इस स्थिति में किसी का भी समाधान हो सकता है। कमिश्नर साहब का भी समाधान इस स्थिति से नहीं हो सकेगा। उनको भी पता नहीं अगली बार यह रिपोर्ट देखने को दी जायगी या नहीं दी जाएगी। इस चीज को शायद अलग निकाल दिया जाए।

राजस्थान में दो करोड़ 43 लाख जनता है और उस में से 70 लाख शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग हैं। इनकी प्रगति का नमूना आप देखिये। वहां पर कुएं बनाने के लिए और मकान बनाने के लिए 1960 के बाद से सबसिडी दी जाती है। मकान बनाने के लिए 600 रुपये सबसिडी के तौर पर दिये जाते हैं। 13 वहां पर होस्टल चलते हैं। उनकी क्या दुर्दशा है इसको आप देखें। उन में रहने वाले छात्रों को 15 या 17 रुपये महीना मिलता है। पांच नये पैसे उन को मिलता है दाल सब्जी का, दस नए पैसे मिलते हैं नाश्ते के और एक साबुन की वार महीने में मिलती है, एक आने का तेल एक सप्ताह के लिए मिलता है। आप अब देखें कि पंद्रह या सतारह रुपये में क्या होता है। इतने रुपयों का एक मिनिस्टर का लड़का सवेरे का नाश्ता ही कर जाता है। ऐसी स्थिति में अगर होस्टल को बन्द ही कर दिया जाए तो अच्छा है, वह सर्वोत्तम होगा। ऐसी हालत में वे कैसे पढ़ सकते हैं। किताबें उनको कब मिलती हैं ? तीन महीने जब गुजर चुकते हैं और इम्तहान सिर पर आ जाते हैं तब उनको किताबें मिलती हैं। सोने बैठने का उन के लिए कोई इंतजाम नहीं है।

[श्री ओंकार लाल बेरवा]

छात्रवृतियां उनको तब मिलती हैं जब पांच महीने गुजर चुकते हैं। 1962 में चीन ने हमारे देश पर आक्रमण दिया था। तब और कुछ नहीं तो इनकी छात्रवृतियां ही बन्द कर दी गई हैं एक साल इनका मारा गया। संकटकालीन स्थिति आई तो 2034 सरकार ने फर्स्ट क्लास के महकमे बना दिये और उन पर 197 लाख रुपया खर्च कर दिया लेकिन दूसरी ओर इनकी छात्रवृतियां ही बन्द कर दीं। शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों के ऊपर रूपया तो खूब मंजूर किया जाता है लेकिन जहां तक खर्च का सवाल है राजस्थान सरकार झूंठ-मूठ के आंकड़े बता कर सब्ज बाग दिखा कर बरी हो जाती है। वास्तव में काम बहुत ही कम किया जाता है। मैं आप को कुछ उदाहरण देना चाहता हूं।

शाहाबाद में कुछ कार्य किया था। बर्मा साहब उसके संचालक हैं। वहां पर विकास अधिकारी ने ऐसा खेल खेला कि कम से कम पचास लाख रुपये गबन हो गये। मैंने पहले भी कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिये लेकिन अभी तक वह नहीं हुई है। लेडी मिनिस्टर से मैंने इसकी प्रार्थना भी की थी और उनको मैंने फोन भी किया था कि जांच करने वह जायें तो मुझे भी साथ ले चलें। उन्होंने जवाब दिया है कि मैं जांच करने नहीं जा रही हूं, मैं तो केवल देखने के लिए जा रही हूं। कोटा के कलैक्टर और पी० डब्ल्यू० डी० के सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर ने इसकी जांच की थी और उन्होंने साफ लिख दिया था कि भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन उसका कुछ भी नहीं बना है। इस तरह के जब गबन हो जाते हैं और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है तो कैसे यह कहा जा सकता है कि राजस्थान हरा भरा हो जाएगा। हमारे मंत्री महोदय कहने को तो कई कुछ कह देते हैं लेकिन जब करने की बारी आती है तो कुछ नहीं करते हैं। इस तरह के जो भ्रष्टाचार के केसिस आपके नोटिस में लाये जाते हैं, उनकी आप जांच क्यों नहीं करते हैं।

उदयपुर के गिरवा कांस्टीट्यूएन्सी में आदिवासियों को लकड़ी लाने से ही मना कर दिया गया। जन संघ के कार्यकर्ताओं ने तथा एम० एल० ए० जोधासिंह जी ने आन्दोलन किया तो उनको ही पकड़ कर जेल में ठूंस दिया गया। कोटे के निकट कुछ पिछड़ी जाति के शरणार्थी मोची आये थे जिन के लिये पहले पांच पांच सौ रुपये मंजूर किये गये थे और इस तरह से 17 मकान बनवाये गये थे। पी० डब्ल्यू० डी० ने उसका ठेका ले लिया। लेकिन वे बगैर छत के ही मकान खड़े हुए है। रुपया कम पड़ गया है। बड़ी मुश्किल से 250 रुपये और लोन के उनको मिले लेकिन फिर भी वे मकान पूरे नहीं हुए। तीन साल हो गये हैं, वे मकान भी गिरते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? राजस्थान की सरकार को कहते हैं तो वह कह देती है कि केन्द्र को कहो और केन्द्र को कहते हैं तो यह कह देती है कि राजस्थान को बताओ। इन दो चक्की के पाटों के अन्दर शैड्यूल्ड कास्ट के लोग पिसते चले जा रहे हैं। खन्ना साहब कहते हैं कि हम ने 79 करोड़ रुपया दे दिया है और राजस्थान सरकार ने सिर्फ 27 करोड़ ही खर्च किया है लेकिन जिम्मेवारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। केन्द्रीय सरकार अगर सचमुच इनका उत्थान करना चाहती है तो क्यों नहीं अपनी तरफ से इनके लिये मकान और कालोनियां क्यों नहीं बनाती है।

यह कहा जाता है कि राजस्थान में

बहुत से मकान बना दिये गये हैं, बहुत से कुएं बना दिये गये हैं। आप देखें कि केवल-मात्र आठ कुएं ही राजस्थान में बने हैं जहां कि 76 लाख की शि० का० जनता है । फिर कहा जाता है कि हम ने सबसिडी दे दी । जमीन का यह हाल है कि बारा के पास हनुमानपुरा में जिन किसानों ने 1956 से खेती की है, और करते आ रहे हैं उनकी खड़ी काश्त को नीलाम कर दिया गया और आठ हजार रुपये उन पर जुर्माना कर दिया गया । उन्होंने तीन हजार तो जमा करवा दिया और बाकी पांच हजार के लिए कह दिया कि हम से हर साल एक हजार वसूल कर लिया जाए लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है ।

मैं प्रार्थना करता हूं कि इसके लिए अलग मंत्रालय हो, अलग कमिशन हो और अलग से ही कोई जांच की व्यवस्था हो । उनकी तरफ आप कोई ध्यान नहीं देते हैं । वोट लेते वक्त तो आप उनको सब्ज बाग दिखा देते हैं लेकिन बाद में कुछ नहीं करते हैं । किसी दिन इनकी समस्या बहुत ही गम्भीर रूप धारण कर सकती है । काश्मीर की समस्या, चीन की समस्या इसके सामने फीकी पड़ सकती है। इनकी ऐसी समस्या खड़ी हो जाएगी कि उसका निवारण करना मुश्किल हो जायेगा । जनता पागल नहीं है। पहले आप महात्मा गांधी के नाम से वोट से ले लेते थे और अब पंडित जी के नाम लेंगे । लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जनता जागती जा रही है। अब वह आपको हरी झंडी दिखायेगी । उसका भी उद्धार होना चाहिये ।

आप शाहाबाद के कुओं की हालत देखें । सात आठ सौ रुपये लगा कर आपने एक एक कुआं बनवाया है । उन में चार चार फुट के गड्ढे ही खुदे पड़े हैं । 200 कुओं में से 189 कुएं ऐसे हैं जिन में खाली मिट्टी पड़ी है । दो कुओं में ही पानी है । 26 लाख का बांध बना है जिन में 26 पत्थर भी नहीं हैं । सब खा गये । आदिवासियों के लिए मकान बनाये हैं और पंचायतों के लिए क्वार्टर बने हैं, विकास भवन बने हैं लेकिन उनकी हालत आप देखें। विकास भवनों में छतरी लगा कर विकास अधिकारी बैठता है क्योंकि बरसात में वह भवन टपकता है ।

मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जो चीजें हैं उनकी जांच होनी चाहिये । शाहाबाद की इनक्वायरी के लिए आप जायें और मुझे भी अपने साथ ले चलें । अगर उस में पचास लाख का घोटाला न हो तो मैं जो आप कहें करने को तैयार हूं ।उन आदिवासियों के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी जांच हो । सहकारी समितियों की बात बड़े जोरशोर से कही जाती है । एक सहकारी समिति की बात कह कर मैं समाप्त करता हूं । 4500 रुपये का शहद खरीदा । उस में से 3200 रुपये की तो बोतलें खरीदी गई, डेढ़ सौ रुपये महीने का भरने वाला रखा गया, साठ रुपये महीने का चौकीदार रखा गया, और नब्बे रुपये महीने का बोतलों को देने वाला रखा गया । साल भर के बाद हिसाब लगा कर देखा गया तो मालूम पड़ा कि 61 रुपये का माल उस सोसाइटी की तरफ से बिका है बैंक ने उसको नीलाम कर दिया । यह तो सहकारी समितियों का हाल है ।

अगर आप हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों का उद्धार करना चाहते हैं तो जहां पर भी भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आयें, उनकी आप की तरफ से जांच होनी चाहिये, और भ्रष्ट अधिकारियों को जिन के खिलाफ भ्रष्टाचार का पैसा निकले, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिये । जो पैसा दिया जाता है उसका सदुपयोग होना चाहिये ।

श्री नवल प्रभाकर : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अन्य मित्रों ने कहा है जो प्रतिवेदन है जब हम आज उस पर विचार कर रहे हैं तब हमारी स्वतंत्रता को सतरह वर्ष हो चुके हैं और संविधान को लागू हुए 14 वर्ष हो चुके हैं। आज जब हम उस पर विचार कर रहे हैं तो इस परिस्थिति में हैं कि सन् 1964 में सन् 1962–63 के प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं, और यह एक बड़ी विचित्र सी बात मालूम होती है। किन्तु इस रिपोर्ट को देखने से यह ज्ञात होता है कि इससे पूर्व जो प्रतिवेदन हम को प्राप्त हुए उनके मुकाबले में यह जो बारहवां प्रतिवेदन है वह अपने आप में बहुत स्पष्ट है। मैं इसके लिए आयुक्त महोदय हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही सफाई, बहुत ही स्पष्टता के साथ जो कठिनाइयां और परेशानियां और दिक्कतें हरिजनों को, अनुसूचित जातियों को और अनसूचित आदिम जातियों को हैं, उन का उल्लेख इस में किया है।

पिछले प्रतिवेदनों में भी बहुत सी सिफारिशें की गई और इन सिफारिशों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस प्रतिवेदन में यह संख्या 231 तक पहुंच गई है, किन्तु इस में एक नई बात देखने को मिली है कि कई बातें जो इसमें कही गई हैं उनके साथ यह टिप्पणी भी दी गई है कि उन का समाधान कैसे होगा। उनके समाधान में विचार प्रकट किये गये हैं। दूसरे पृष्ठ पर साफ साफ यह लिखा गया कि सन् 1962–63 के अन्दर जो हमारा परामर्शदाता मंडल है, जो एडवाइजरी कमेटी है उसकी कोई मीटिंग ही नहीं हुई। इन बातों के देखने से, चाहे कितना भी काम होता हो, किन्तु मन के अन्दर ऐसा भाव आता हुआ मालूम पड़ता है कि सरकार उदासीन है। इसके साथ ही कुछ आंकड़ ऐसे हैं जिन को देखने से भी ज्ञात होता है कि अमुक साल में इतने रुपये रखे गये हैं और इतने लैप्स हो गये हैं, अमुक साल में इतने रुपये रखे गये और उन में से इतने लैप्स हो गये। इस बात से भी कुछ उदासीनता मालूम पड़ती है। कुछ दिनों से एक बात हम पाते चले आ र हैं कि पहले तो यह विषय गृह मंत्रालय के अन्तर्गत था और हम कहते थे कि गृह मंत्रालय के पास काम बहुत ज्यादा है, सारे हिन्दुस्तान के काम को वह देखता है, इसके साथ ही हरिजनों और क्रिश्चियन्स के काम को भी देखता है, यह बात ठीक नहीं है। अब मुझे कुछ आशा बन्धती है कि विधि मंत्रालय के साथ और सामाजिक सुरक्षा मत्रालय के साथ इस विषय को रख दिया गया है और वह इस काम की और अधिक ध्यान दे सकेगा।

मैं सामाजिक सुरक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि.....

एक माननीय सदस्य : मंत्री जी है ही नहीं।

श्री नवल प्रभाकर : मंत्री जी नहीं हैं तो उपमंत्री जी तो हैं। वे उन तक सन्देश पहुंचा देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी अपने भाषण में स्पष्ट रूप से यह बतला दें कि हमारी शंका कहां तक ठीक है। जितने भी हरिजन या आदिम जातियों के सदस्य यहां पर हैं उनके मन में एक बड़ी भारी शंका है, और वह यह कि साल-ब-साल जो प्रतिवेदन आते हैं उन में हम को जो दम दिलासा दिलाई जाती है, वह बात अब नहीं रही। अब जो नया मंत्रालय बना है उसके बारे में मैं अभी कोई टिप्पणी नही करना चाहता क्योंकि अब तक यह काम गृह मत्रालय के अधीन रहा है, किन्तु मैं यह अवश्य जानना चाहता हूं कि जो नया मंत्रालय है वह कितनी एफिशिएसी के साथ काम करेगा, कितनी हमदर्दी के साथ काम करेगा, कितना मिल कर काम करेगा। हम बहुत दिनों से यह मांग करते आ रहे हैं कि इस विषय के लिये एक पृथक मंत्रालय होना चाहिये। मैं समझता हूं कि

विधि मंत्रालय के पास काम बहुत अधिक नहीं है, इसलिये उसके पास अधिकतर सामाजिक सुरक्षा का ही काम रह जाता है। मैं चाहता हूं कि सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय ने जो यह नया काम सम्भाला है उसे इस तरह से सम्भाले कि जो कठिनाइयां, परेशानियां और दिक्कतें हम लोगों की हैं उन को वह भली भांति देखे। साथ ही सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों का सम्बंध हरिजनों की कठिनाइयों और परेशानियों से है, तो अन्य मंत्रालयों का सहयोग उन्हें कितना प्राप्त हो सकेगा, यह भी वे अपने भाषण में बतला सकें तो हमारे मन के अन्दर जो सम्भावनायें हैं, जो शंकायें हैं, उन का समाधान हो जायेगा।

यहां पर पब्लिक स्कूलों की बात कही गई। मुझे मालूम है कि पब्लिक स्कूलों की योजना बहुत दिनों से चल रही है। सन् 1953 में यह योजना शुरू हुई थी, तब पहली बार 64 अनुसूचित जातियों को उसमें सेलेक्शन मिला और उन में से उनकी छांट हुई थी। किन्तु घटते घटते उस में कुल 31 विद्यार्थियों के प्रार्थना पत्र आये और उन में से 6 छांट लिये गये। मैं जानना चाहता हूं कि पहली बार जो छात्रवृतियां मंजूर थी वह घटते घटते 6 पर कैसे पहुंच गई हैं।

एक नई बात इस बार देखने को मिली है कि सैनिक स्कूलों में इन लोगों की भर्ती होगी और सैनिक स्कलों में हरिजनों और आदिम जातियों के छात्रों को लिया जायेगा। इस का तो मैं स्वागत करता हूं किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि किस किस राज्य से कितने लिये गये, क्योंकि जो भी सैनिक स्कूल हैं, जहां तक मुझे ज्ञात है उनका 200 रु० महीना के आस पास खर्च बैठता है, और इस तरह से पूरे साल में लगभग ढाई हजार रुपये खर्च होते हैं। इतना रुपया न तो हरिजनों के पास है न उनके गार्जियन्स के पास है और न किसी पिछड़े वर्ग के लोगों के पास है। तो क्या कोई ऐसा भी प्रबन्ध किया गया है कि इस तरह का कष्ट उनको न हो। अगर किया गया है तो क्या किया गया है।

हम लोग यहां बार बार लड़कों की छात्र-वृतियों के सम्बंध में कहते हैं। मुझे और दूसरी जगहों का तो पता नहीं, लेकिन पिछले साल दिल्ली में जो छात्र वृति दी गई थी वह नहीं मिल पाई है। आज विद्यार्थी कालेज में पढ़ते हैं। इस बार आश्वासन दिलाया गया था कि इस बार जल्दी जल्दी दिलाया जायेगा, लेकिन मैं देखता हूं कि हम दिसम्बर में खड़े हुए हैं और किसी कालेज के विद्यार्थी को कोई छात्र वृति नहीं मिली है। आप अनुमान कीजिये कि मार्च के महीने से ले कर दिसम्बर मास तक उस छात्र को कितनी तकलीफें और परेशानियां रही होंगी। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे राज्य सरकारों को लिखें कि समय के ऊपर छात्र वृतियां विद्यार्थियों को मिलें ताकि पढ़ाई के सम्बंध में उनकी जो कठिनाइयां और परेशानियां हैं और आर्थिक संकट है, वह हट सके।

एक बात मैं छात्र वृति के सम्बंध में यह कहना चाहता हूं कि जब छात्र वृतियों को तय किया गया था कि अमुक छात्र को इतनी छात्र वृति दी जानी चाहिये, उस समय का ध्यान किया जाये और आज की मंहगाई का ध्यान किया जाये। दोनों तरफ से आप देखिये। जो हमारे हरिजन सरकारी कर्मचारी थे उनके भत्ते कुछ बढ़ गये थे। उनके भत्ते के बढ़ जाने से जो उन के बच्चे हैं उनको छात्र वृतियां नहीं मिल पाती हैं। दूसरी तरफ आप देखिये कि छात्र वृति की जो राशि है जो कि आपने विद्यार्थी के लिये निर्धारित किया है, वह विद्यार्थियों को अब भी उतनी ही मिलती है। आप इस मंहगाई सूचक अंक को देखिये तो पता चलेगा कि पहले मंहगाई सूचक अंक जो था सन् 1964 में वह बहुत बढ़ गया है। उसके हिसाब से रुपये में आठ आना के बराबर छात्र वृति रह जाती है। मैं मंत्री

[श्री नवल प्रभाकर]

महोदय से यह कहूंगा कि वे गम्भीरतापूर्वक देखें और दोनों पहलुओं पर विचार करें। एक तो इस पहलू को देखें कि लोगों की तन्ख्वाहें बढ़ गई हैं, इसलिये बढ़ गई हैं कि वे लोग मंहगाई भत्ता पा रहे हैं, दूसरी तरफ इस पहलू से देखें कि छात्रवृतियों की राशि बढ़नी चाहिये।

इस रिपोर्ट में समुद्रपारीय छात्रवृत्ति के सम्बंध में भी सुझाव दिया गया है और उस सुझाव के अन्दर यह कहा गया है कि 27 छात्रवृत्तियों में से पांच दी गई हैं। पांच में से भी एक किसी कारण नहीं आ सका। मैं चाहूंगा कि यह छात्रवृत्तियां कुछ और बढ़ाई जायें और अधिक विद्यार्थियों को बाहर जाने का अवसर दिया जाना चाहिये।

भूमि के सम्बंध में मैं एक बात कह देना चाहता हूं और सब बातों को छोड़े देता हूं। वह भी सारे देश की बात नहीं कहता, दिल्ली की बात कहना चाहता हूं। सरकार ने बड़ी कृपा की कि हरिजनों को मकान बनाने के लिये 60, 60 वर्ग गज भूमि दी। भूमि तो उन को अलाट कर दी गई लेकिन उन को पैसा नहीं दिया। अब मेरे पास आकर मुझ से कहा है अब वह कहते हैं कि या तो हमारी भूमि वापिस दो या मकान बनाइये। जिस समय यह भूमि दी गई थी उस समय यह कहा गया था कि 1200 रुपया मकान बनाने के लिए दिया जायगा। लेकिन हालत यह है कि मकान बनाने के लिए पैसा तो दिया नहीं अब वापिस भूमि की मांग की जा रही है। चूंकि अब समय नहीं है इसलिए मैं और अधिक न कहते हुए मैंने जो चंद एक बातें सदन के सामने रखी हैं उन पर मंत्री महोदय ध्यान देने की कृपा करें।

Mr. Deputy-Speaker: The debate is closed. The hon. Minister will reply tomorrow. (*Interruptions.*)

17.00 hrs.

Shri C. M. Kedaria (Mandvi): Sir, we have not been given a chance to speak. The time should be extended.

Mr. Deputy-Speaker: 25 people have already spoken.

श्री प० ला० बारूपाल : यह सारे देश का मसला है इस पर समय अवश्य बढ़ाया जाये।

Shrimati Savitri Nigam (Banda): It has been mentioned by the Speaker that the time will be increased.... (*Interruptions.*)

Shrimati Renuka Ray: You can extend the time for this debate.

Mr. Deputy-Speaker: Please begin your half an hour discussion.

17.01 hrs.

HIGH POWERED TRANSMITTER*

Shrimati Renuka Ray (Malda): Sir, in reply to Question No. 256 in regard to the installation of a high powered, medium wave transmitter of a thousand kws to counteract the Chinese propaganda in South-east Asia, the Deputy Minister said something on 30th November which completely took the house by surprise. He said that Government was doing some re-thinking to avoid infringement of the ITU radio regulations. Was it not rather late to think of this? They ought to have thought of it much earlier...

Mr. Deputy-Speaker: Hon. Minister wants to make a statement; perhaps it may avoid the discussion itself.

Shrimati Renuka Ray: So many statements have been made and I would like to speak about them. Important decisions were taken and then later on Government went back.

Shri Jaipal Singh (Ranchi West): If my hon. friend will forgive me, I